मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2018 - 2019

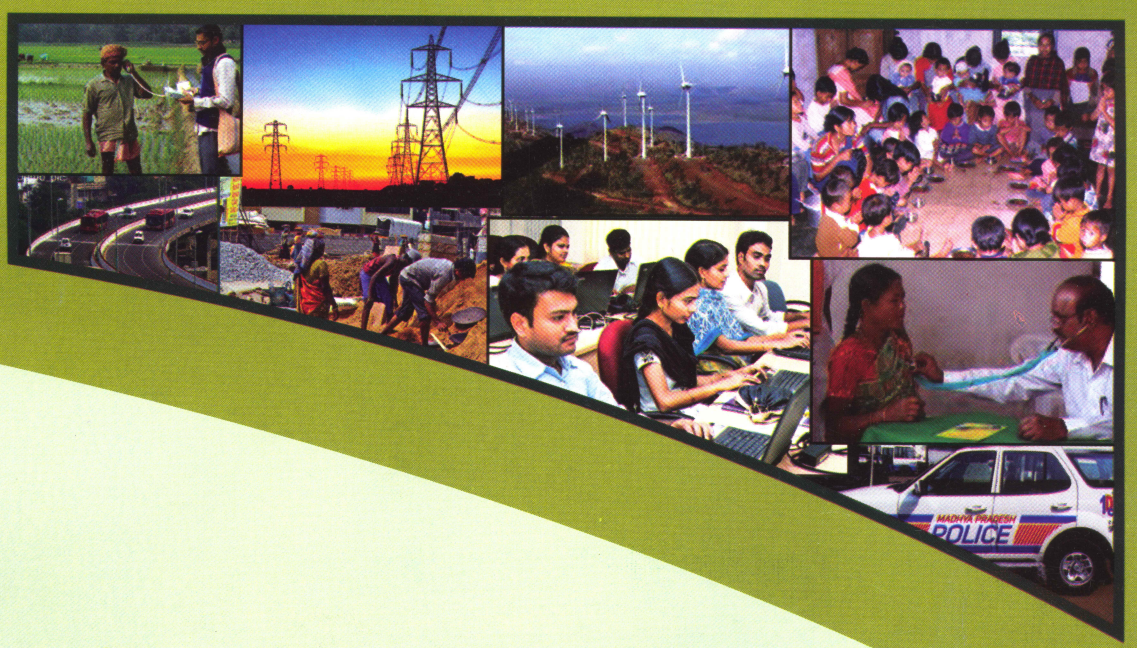

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2018-19

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

"मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19" नामक प्रकाशन में प्रदेश की समाजार्थिक अर्थ-व्यवस्था, राज्य शासन की नीतियों/ उपलब्धियों/ घोषणाओं एवं कार्यकलापों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत प्रकाशन हेतु संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । यह प्रकाशन आर्थिक विश्लेषण संभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सतत् प्रयासों, संचालनालय के अन्य तकनीकी संभागों एवं कम्प्यूटर संभाग के सहयोग से ही समयावधि में तैयार किया जाना संभव हो सका है ।

आशा है प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति एवं प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । उक्त प्रकाशन राजनीतिज्ञों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है ।

भोपाल 03 जुलाई, 2019

चितरंजन त्यागी
आयुक्त
आर्थिक एवं सांख्यिकी
मध्यप्रदेश

प्रकाशन को तैयार करने में सहयोग देने वाले अधिकारी/कर्मचारी

1.	श्री आर. एस. राठौर	अपर संचालक
2.	डॉ. एस. महाले	संयुक्त संचालक
3.	श्रीमती अनिमा टोप्पो	उप संचालक
4.	श्रीमती सविता शुक्ला	सहायक संचालक
5.	श्री अतुल आनंद अग्रवाल	सहायक संचालक
6.	श्री राजकुमार कड़वे	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
7.	श्री शंकर तायडे	वरिष्ठ कलाकार
8.	श्रीमती गुंजन मिश्रा चतुर्वेदी	अन्वेषक
9.	श्री भवन कुमार चौहान	अन्वेषक
10.	श्री मनमोहन सिंह अहिरवार	स्टेनो टायपिस्ट

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा**	**1-19**
2	**लोक वित्त**	**20-25**
3	**बचत एवं विनियोजन**	**26-32**
	बैंकिंग	26
	बीमा क्षेत्र	31
4	**भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण**	**33-38**
	भाव स्थिति	33
	खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	35
5	**कृषि**	**39-81**
	कृषि	39
	मौसम एवं फसल की स्थिति	39
	वाणिज्यिक फसलें	46
	कृषि विकास योजनाएं	47
	कृषि यंत्रीकरण	53
	उद्यानिकी	54
	कृषि विपणन	62
	भंडारण सुविधा	65
	पशुधन एवं डेयरी विकास	67
	पशुधन एवं कुक्कुट विकास	70
	मत्स्य पालन से विकास	74
	वानिकी	76
6	**उद्योग**	**82-96**
	उद्योग विनिर्माण	82
	अधोसंरचना विकास	84
	हाथकरघा उद्योग	85
	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास	86

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	रेशम उद्योग	87
	खादी तथा ग्रामोद्योग विकास	88
	पर्यटन	90
	खनिज	92
7	**अधोसंरचना**	**97-117**
	ऊर्जा	97
	नवीन एवं नवकरणीय उर्जा	107
	परिवहन	109
	पंजीकृत वाहन	110
	राज्य में सड़कें	112
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	113
	सिंचाई	114
	कमांड क्षेत्र (विकास)	116
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	117
8	**सामाजिक क्षेत्र**	**118-178**
	प्रारम्भिक शिक्षा	118
	माध्यमिक शिक्षा	123
	उच्च शिक्षा	128
	तकनीकी शिक्षा	131
	स्वास्थ्य	132
	पेयजल व्यवस्था	136
	श्रम	138
	रोजगार	140
	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	140
	कारखानों की संख्या एवं नियोजन	141
	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	141
	स्वच्छ भारत मिशन	144
	शहरी क्षेत्रों में रोजगार	145
	महिला एवं बाल विकास	148
	महिला वित्त एवं विकास	152

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	अनुसूचित जातियों का विकास	153
	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	157
	पिछड़ा वर्ग का कल्याण	165
	अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	169
	सामाजिक न्याय	170
	नगरीय विकास	174
9	**सुशासन एवं कानून व्यवस्था**	**179-183**
	जेल (पुलिस) विभाग की योजनाएं	179
	गृह (पुलिस) विभाग की योजनाएं	180
10	**सामाजिक-आर्थिक विकास: चुनौतियां**	**184-187**

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेतांक	188
2	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	190
3	प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्खनित खनिजों का मूल्य	191
4	प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य	192
5	रोजगार समंक	193
6	मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	194

सांख्यिकीय तालिकाएं

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	राजकोषीय घाटा	20
2.2	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	21
2.3	राजस्व प्राप्तियों की संरचना	22
2.4	राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि	22
2.5	राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि	23
2.6	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	24
2.7	शुद्ध लोक ऋण	25
3.1	बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार	26
3.2	बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक	28
3.3	राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना	28
3.4	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	29
3.5	कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि	29
3.6	आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण	31
3.7	व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियॉ (मध्य क्षेत्र)	32
3.8	पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)	32
4.1	कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक	33
4.2	औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	34
4.3	कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	34
5.1	वर्षा की स्थिति	40
5.2	प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादन	40
5.3	प्रमुख फसलों का उत्पादन	41
5.4	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन	41
5.5	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन	42

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.6	दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	43
5.7	दलहनी फसलों का उत्पादन	43
5.8	प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	45
5.9	प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन	45
5.10	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन	46
5.11	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	46
5.12	बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एंव उत्पादन	47
5.13	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	48
5.14	पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र	48
5.15	प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन	58
5.16	प्रमुख मसालों का उत्पादन	59
5.17	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल	59
5.18	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन	60
5.19	प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन	60
5.20	प्रमुख फलों का उत्पादन	61
5.21	प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एंव उत्पादन	61
5.22	प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एंव उत्पादन	61
5.23	भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता	65
5.24	भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति	66
5.25	पशुधन वृद्धि	67
5.26	म.प्र. राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम की योजनाओं की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति	70
5.27	दुग्ध संकलन एंव संबद्ध गतिविधियां	72
5.28	वनोत्पादन का विवरण	78
5.29	तेंदूपत्ता का संग्रहण एंव निवर्तन	80
5.30	काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एंव प्राप्त राजस्व)	81

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
6.1	रेशम उत्पादन	88
6.2	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	93
6.3	नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार	95
6.4	प्रदेश के खनिज भण्डार	96
7.1	उपलब्ध विद्युत क्षमता	99
7.2	विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना	99
7.3	विद्युत प्रदाय	100
7.4	राजस्व प्राप्ति (राज्य शासन से प्राप्त सब्सिडी मिलाकर)	105
7.5	सकल राज्य मूल्यवर्धन में परिवहन का अंश	109
7.6	पंजीकृत वाहनों की संख्या	110
7.7	प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई	112
7.8	सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल	115
7.9	सिंचाई क्षमता एवं उपयोग	115
7.10	प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	116
8.1	राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं	118
8.2	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	119
8.3	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 2017-18 (N.E.R.)	120
8.4	शाला त्याग दर	120
8.5	शालाओं की संख्या की स्थिति	124
8.6	शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति	124
8.7	कुल छात्रों की संख्या/नामांकन की स्थिति (शा. एंव निजी)	124
8.8	कुल छात्रों के वर्गवार नामांकन की स्थिति (शा. एंव निजी)	124
8.9	समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति	125
8.10	तकनीकी शिक्षण संस्थायें	131
8.11	शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति	146
8.12	अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं	154

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
8.13	आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान	158
8.14	अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें	159
8.15	प्रोत्साहन राशि	166

चित्रों की सूची

चित्र क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	1
1.2	विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूलवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भागों पर	2
1.3	विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) भावों पर	3
1.4	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	4
3.1	राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति	28
5.1	फसल क्षेत्र में विकास दर	39
5.2	दुग्ध उत्पादन	68
5.3	अंडों का उत्पादन	69
5.4	मांस का उत्पादन	69
6.1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना	83
6.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड रूपये	83
6.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार	84
7.1	विद्युत विक्रय (मलियन यूनिट में)	101
7.2	अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति (मेगावाट में)	101
7.3	विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट	102
7.4	विद्युत का उपयोग	103

बाक्स की सूची

बाक्स क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
6.1	खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन	94
7.1	उर्जा विभाग	98
8.1	प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण	119

1

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

1.1 आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2017-18 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2018-19 (अग्रिम) में 7.04 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है जबकि वर्ष 2017-18 (त्वरित) में वर्ष 2016-17 (प्रावधिक) की तुलना में 6.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर विगत वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.1

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

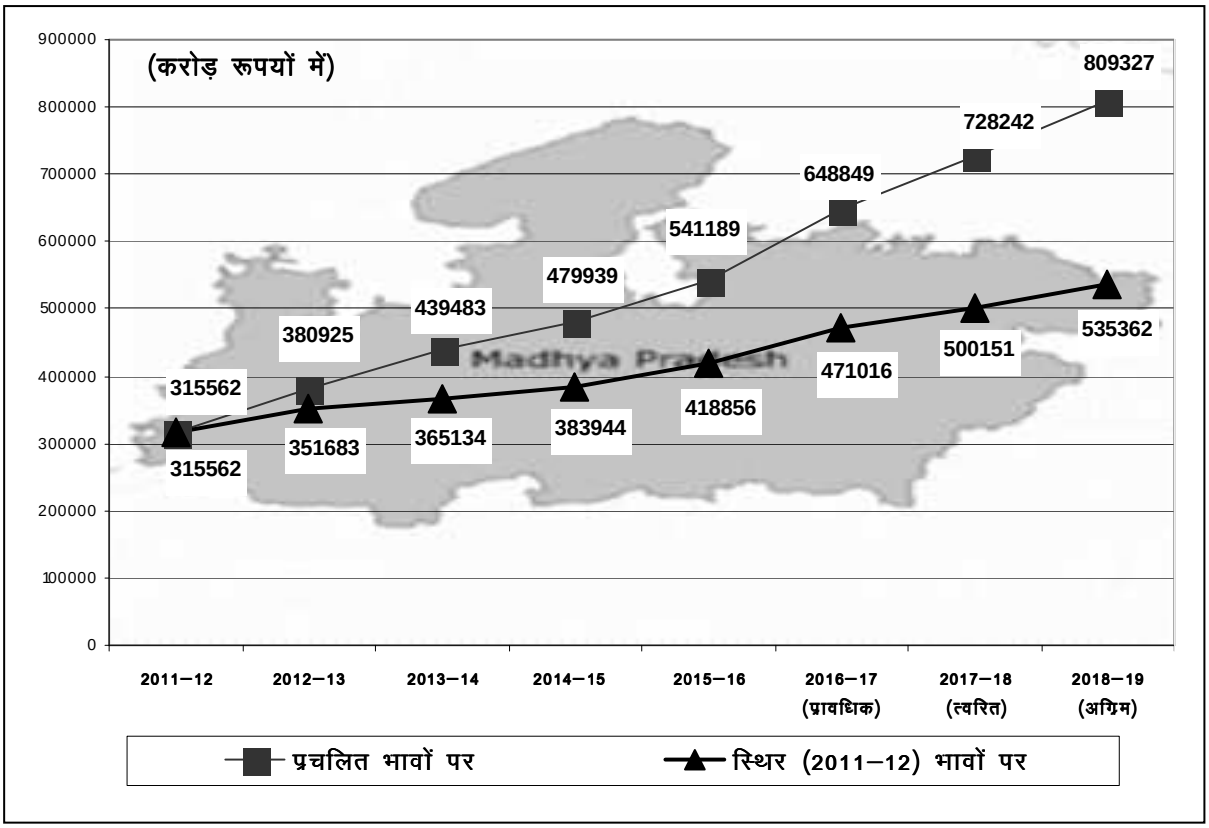

आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 315562 करोड़ रूपये था। जो वर्ष 2017-18 (त्वरित) एवं 2018-19 (अग्रिम) में बढकर 500151 करोड़ एवं 535362 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जो आधार वर्ष से क्रमश: 58.50 एवं 69.65 प्रतिशत अधिक है।

1.2 सकल राज्य मूल्यवर्धन के वृहद क्षेत्रवार निष्पादन में आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र के अंश में वृद्धि हुई है प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2017-18 (त्वरित) एवं 2018-19 (अग्रिम) में बढ़कर 37.40 प्रतिशत एवं 37.17 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जबकि तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत था । जो वर्ष 2017-18 (त्वरित) एवं 2018-19 (अग्रिम) में क्रमशः 38.46 प्रतिशत एवं 38.79 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जो **चित्र 1.3** में प्रदर्शित है ।

चित्र 1.2

विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

प्रचलित भावों पर

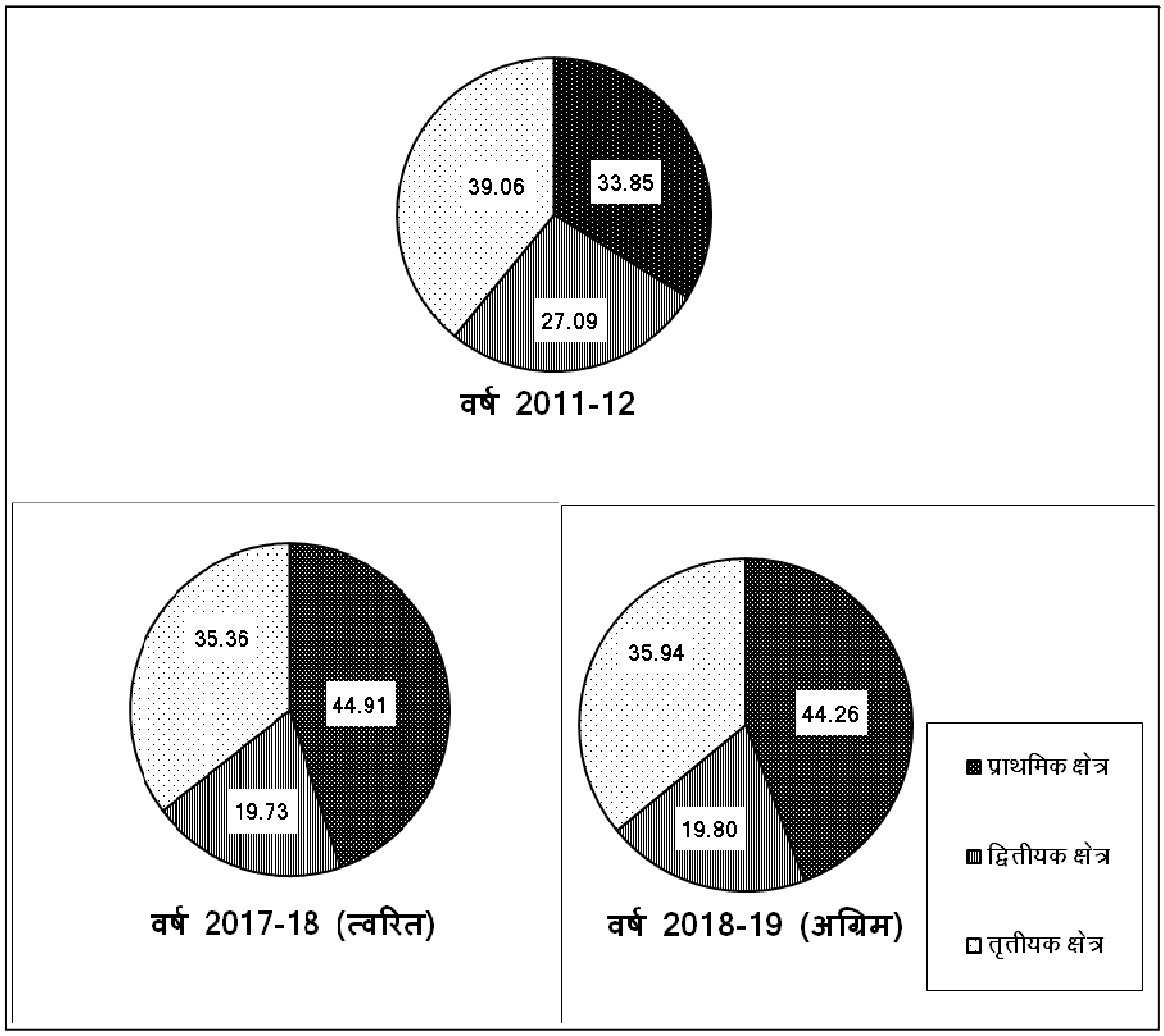

चित्र 1.3

विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) भावों पर

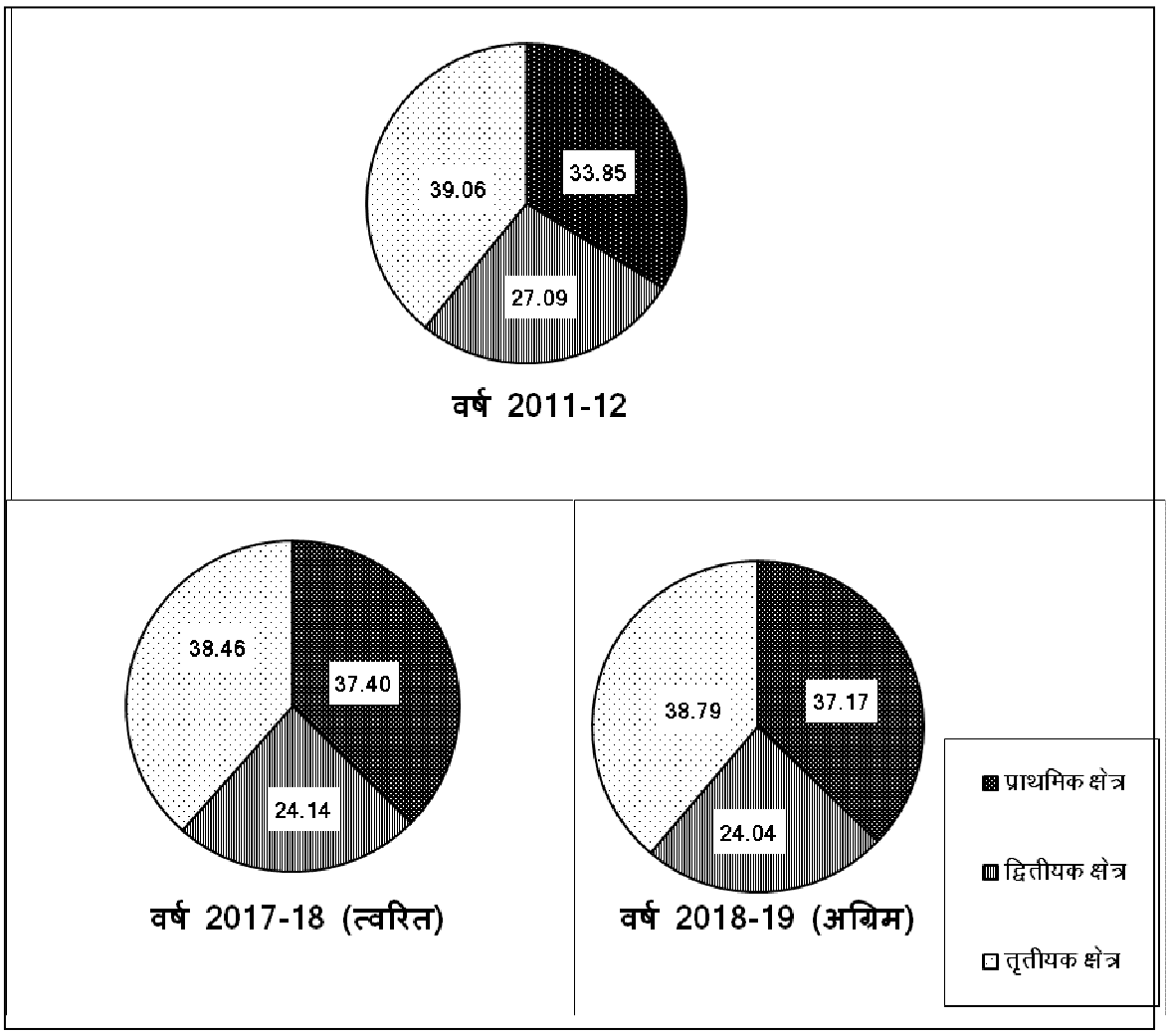

1.3 वर्ष 2018-19 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017-18 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 11.13 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 7.04 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2018-19 (अग्रिम) के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.48 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है । इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5.71 प्रतिशत की एवं 7.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही है।

1.4 स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2017-18 (त्वरित) में 55677 रूपये थी जो बढ़कर वर्ष 2018-19 (अग्रिम) में रूपये 58706 हो गई है। जो गतवर्ष की तुलना में 5.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । प्रचलित भावों के आधार पर

राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2017-18) में 82941 रूपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 (अग्रिम) में 90998 हो गई, जो 9.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम है, प्रचलित मूल्य पर मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1993-94 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय का 85 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 में 70.86 प्रतिशत के स्तर पर है। इस प्रकार, देश में 21.92 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 31.65 प्रतिशत जनसंख्या (Head Count Ratio) गरीबी रेखा के नीचे है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में गरीबी के स्तर पर 29 राज्यों में से 27 वें स्थान पर है। प्रदेश में गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख चुनौती है।

प्रदेश में कृषि उत्पादन की मानसून पर निर्भरता अधिक होनेके कारण फसलों के सकल मूल्य संवर्धन में अत्यधिक उतार-चढाव होता है, जिससे कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पडता है।

चित्र 1.4

प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

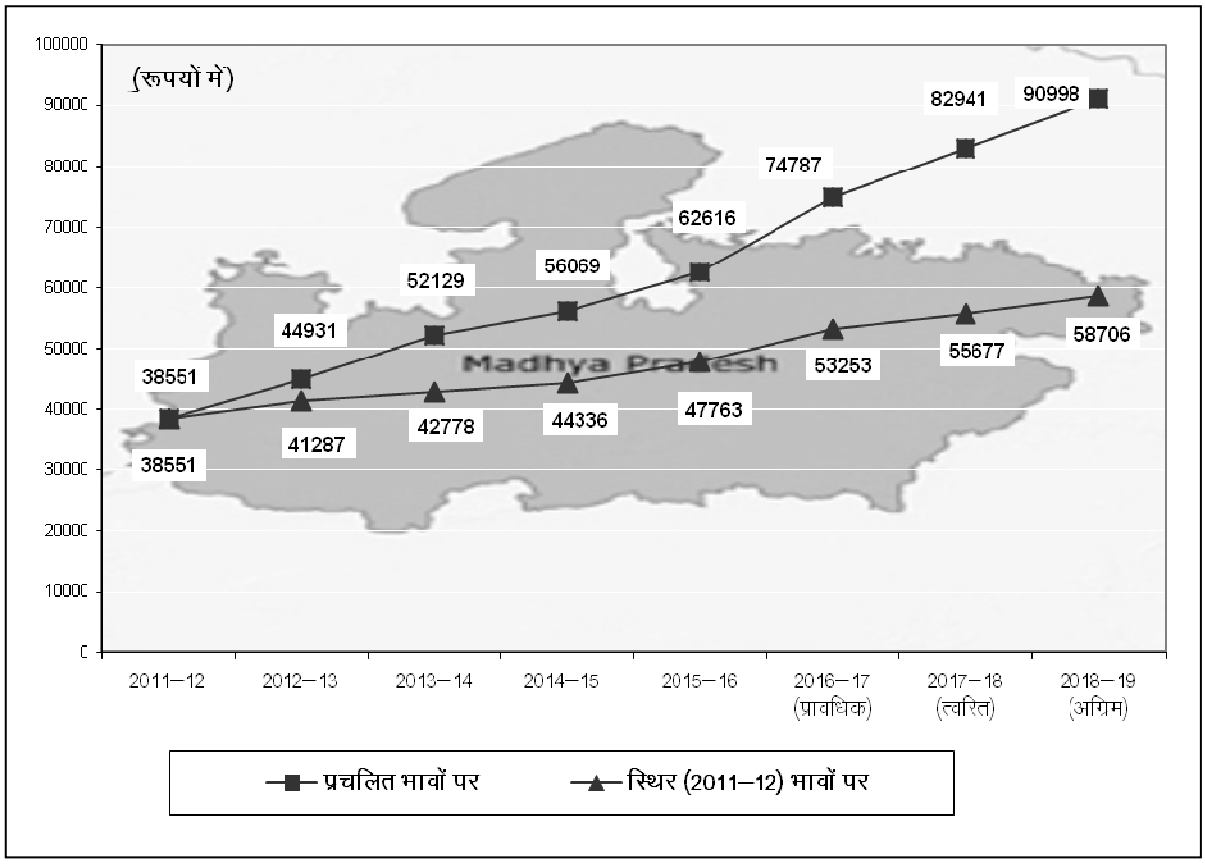

1.5 लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत के भीतर रहा है । वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 155886.47 करोड़ रूपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 15.41 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2018-19 के मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 87.88 तथा 83.50 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है । वर्ष 2017-18 में राज्य का प्राथमिक घाटा (-) 12118.18 करोड़ रूपये था । वर्ष 2018-19 में प्राथमिक घाटा (-) 13912.96 करोड़ रूपये अनुमानित है । राज्य के खनन राजस्व में वृद्धि 10.81 प्रतिशत रही है । 31 मार्च 2018 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 119372.52 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

1.6 बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है । बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के दौरान कुल जमा राशि में 9.00 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 13.90 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई । मार्च, 2019 की स्थिति में प्रदेश में साख-जमा अनुपात 78.17 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है। कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2016 से लगातार बढ़कर वृद्धि दर मार्च, 2019 में 9.50 प्रतिशत की रही । इसी अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 23.38 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है । कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2018-19 में 73.70 प्रतिशत रहा है ।

1.7 किसान क्रेडिट कार्ड : भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा रहे है।

1.8 जय किसान फसल ऋणमाफी योजना : राज्य शासन द्वारा मार्च 2018 की स्थिति में किसानों के बकाया अल्पकालीन फसल ऋण की पात्रतानुसार 2.00 लाख रुपये की सीमा तक माफ करने का आदेश जारी किया गया है। योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीकृत बैंक से फसल ऋण किसानों के अधिकतम 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा की पात्रतानुसार निम्नानुसार लाभ दिया जावेगा।

- दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में ऐसे किसान जिनका फसल ऋण प्रदाता संस्था में प्रदाय ऋण की बकाया राशि (Regular outstanding loan)के रूप में दर्ज है, भले ही दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें योजना का लाभ दिया जावेगा।

- दिनांक 01.04.2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण, जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिए Non Performing Asset (NPA) घोषित किया गया हो, भले ही किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में Non Performing Asset (NPA) अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें योजना का लाभ दिया जावेगा।

1.9 स्वाईल हेल्थ कार्ड : इस योजना का उददेश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ पत्रक उपलब्ध कराना है । जिससे किसानो को अधिक पैदावार मिल सके । प्रदेश में वर्ष 2018-19 में ग्रिड आधारित मृदा नमूना एकत्रीकरण 23.15 लाख के विरूद्ध 22.52 लाख नमूने एकत्रित किये जिसमे से 20.42 लाख नमूने का विश्लेषण कर वर्ष 2018 तक प्रदेश में 62.00 लाख कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये। वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जिलों को उपलब्ध राशि रूपये 3336.91 लाख वित्तीय आवंटन के विरूद्ध राशि रूपये 2267.00 लाख व्यय किये गये है।

1.10 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढावा देने के उददेश्य से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 से फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्ष 2017-18 में 7763 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये । वर्ष 2018-19 में 10.00 हजार फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 4084 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं ।

1.11 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में भावों में कमी की प्रवृत्ति देखी गई । यह कमी कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांको एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में परिलक्षित रही है। राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100) में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में 6.70 प्रतिशत की कमी हुई है । इसी अवधि में खाद्यान्न एवं अखाद्यान्नों के सूचकांकों में क्रमश: 11.40 तथा 13.13 प्रतिशत की कमी हुई है।

1.12 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में विगत वर्षो से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई । औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य

समूह सूचकांकों में वृद्धि सामान्य समूह सूचकांकों से अपेक्षाकृत अधिक रही । यही स्थिति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांकों में दृष्टिगोचर हुई है । वर्ष 2017 की तुलना में औद्योगिक कामगारों के अंतर्गत वर्ष 2018 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह सूचकांकों में भोपाल इकाईयों को छोडकर शेष इकाईयों में कमी आई है। परन्तु सामान्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में खाद्य एवं सामान्य सूचकांक सर्वाधिक छिंदवाडा केन्द्र का 319 एवं 393 रहा है। इसी प्रकार कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2017 की अपेक्षा 2018 में वृद्धि परिलक्षित रही है। वर्ष 2018 में कृषि एवं ग्रामीण का खाद्य सूचकांक क्रमश: 734 एवं 736 रहा है तथा सामान्य सूचकांक 802 एवं 826 है।

1.13 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 24657 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिसमें सभी दुकानों में पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं।

1.14 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खादयान्न (गेहू, धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है जिसके तहत उपार्जन केन्द्रो पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर की जानकारी संकलित की जाती है । प्रदेश में रबी एवं खरीफ विपणन वर्षों से लगातार उपार्जन बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 के विपणन में गेहू का 67.25 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 2018-19 में 73.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है । इसी प्रकार धान के विपणन में वर्ष 2018-19 में 21.81 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हुआ है।

1.15 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत 63.30 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके है।

1.16 मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2017 में 742.2 मिली मीटर तथा वर्ष 2018 (जून से सितम्बर तक) में 823.0 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से क्रमशः 27.69 प्रतिशत कम एवं 19.82 प्रतिशत कम रही ।

1.17 प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2017-18 में 967.00 करोड़ रूपये आवंटित हुए तथा वर्ष 2018-19 में 1016.00 करोड़ रूपये प्राप्त होना प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, के अंतर्गत जनहानि के मामलों में त्वरित राहत सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से योजना शीर्षो को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था के अनुसार जिला एवं तहसील स्तर पर स्वीकृत प्रकरणों पर कोषालय के माध्यम से राहत राशि का भुगतान शीघ्र किया जाता है। वर्ष 2018-19 में विभिन्न मदों में जिला कलेक्टरों को आवंटन राशि जारी की गई है। जैसे- सूखा मद में राशि रूपये 863.20 करोड़, पेयजल में राशि रूपये 2.11 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन पर 1.80 करोड, बाढ बचाव सामग्री क्रय पर राशि रूपये 4.50 करोड़, पाला में राशि रूपये 7.39 करोड़ एवं कीट प्रकोप में राशि रूपये 47.45 करोड़ का आवंटन राहत आयुक्त कार्यालय से आपदा प्रभावितों को राहत सहायता हेतु राशि जारी की गई है।

1.18 कृषि : प्रदेश में अभी भी कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता है। प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में (सकल मूल्य वर्धन) वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 25.86 प्रतिशत है।

1.19 कृषि विकास योजनाएं : कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्ष 2017-18 में 20.16 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2018-19 में 21 जनवरी, 2019 तक 20.28 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है।

वर्ष 2017-18 में पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 203.82 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया है। वर्ष 2017-18 में 39.75 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था। वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर, 2018 तक 21.03 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया जा चुका है ।

1.20 उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2018-19 में प्रमुख साग-सब्जी, फसलों का उत्पादन 175.23 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 74.08 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 42.11 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्पों का उत्पादन 3.77 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है ।

1.21 सिंचाई : प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है । विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है । प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ।

1.22 निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : वर्ष 2017-18 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 10566 हजार हेक्टर है जो गत वर्ष के 9876 हजार हेक्टर से 6.99 प्रतिशत अधिक रहा ।

1.23 मत्स्योत्पादन : वर्ष 2016-17 (त्व.) की अपेक्षा वर्ष 2017-18 (अ.) में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार मत्स्योत्पादन में 3.41 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2018-19 में समस्त स्त्रोतों से 1.70 लाख टन लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 1.05 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 61.95 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर, 2018 तक स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्योत्पादन बीज उत्पादन 12440.19 लाख मीट्रिक टन रहा, जो लक्ष्य का 91.14 प्रतिशत है।

1.24 वानिकी : वर्ष 2018-19 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 2.35 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2017-18 में 1134.00 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 1097.63 करोड़ रू. का सकल राजस्व प्राप्त हुआ । जो निधारित लक्ष्य का 96.79 प्रतिशत है।

1.25 उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2017-18 (त्व.) से वर्ष 2018-19 (अ.) में 5.71 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है। वर्ष 2017-18 में कुल 2.06 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 14402 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 5.97 लाख रोजगार उपलब्ध हुये। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 1.80 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 13224 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 7.19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2017-18 में 157.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 115.56 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को राशि प्रदान की गई।

1.26 पर्यटन : वर्ष 2017-18 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को 10404.64 लाख रूपये की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 तक रुपये

8972.19 लाख की आय प्राप्त हुई, इस दौरान 6.93 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये ।

1.27 खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की योगदान वर्ष 2016-17 (प्रा.) के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 3.91 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 4.47 प्रतिशत है।

1.28 ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हेतु किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल विद्युत प्रदाय 66359 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 837 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 519 मिलियन यूनिट उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी व्दारा कुल विद्युत प्रदाय 18105 मिलियन यूनिट है। वर्ष 2017-18 प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 39.7 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया। इसके पश्चात औद्योगिक उत्पादन हेतु 30.5 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा। विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं । दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु राशि रुपये 2865 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

1.29 ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में राजस्व प्रबंधन के सुधार हेतु उठाये गये कदमों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रदेश में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व में 13.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.30 परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि स्थिर भावों पर (2011-12) पर वर्ष 2016-17 (प्रा.) में 5.84 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्व.) में 7.02 प्रतिशत है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2017-18 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र की 2.70 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है। स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य मूल्यवर्धन में इस भागीदारी का अंश वर्ष 2017-18 (त्व.) में 3.23 रहा।

मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2016-17 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.11 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.23 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.13 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.26 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 1.88 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्व.) के अनुसार 1.93 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2016-17 में 2.17 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्व.) में 2.32 प्रतिशत अंश परिलक्षित है।

1.31 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रारंभ से दिसम्बर, 2018 तक 73.00 हजार किलोमीटर लम्बाई की 17.97 हजार सडकों तथा 280 बडे पुलों का निर्माण कार्य करते हुए राशि रुपये 21934 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।

1.32 लोक निर्माण विभाग की सड़क : वर्ष 2018 में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सडकों की लम्बाई 64.92 हजार, राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 8.01 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गो की लंबाई 11.39 हजार किलोमीटर रही है। प्रदेश में सडकों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1.33 पंजीकृत वाहन : पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2016-17 में 13193 हजार से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 14706 हजार हो गई जो गत वर्ष से 11.47 प्रतिशत अधिक रही।

1.34 शिक्षा : जनगणना 1991 के अनुसार देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमश: 52.2 एवं 44.7 थी जनगणना 2001 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमश: 64.8 एवं 63.7 प्रतिशत हो गई। इस दशक में साक्षरता की अभिवृद्धि हेतु बेहतर प्रदर्शन किया गया। जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमश: 73.0 एवं 69.3 प्रतिशत रही है। 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, इसका मुख्य कारण प्रदेश में शुद्ध नामांकन अनुपात कम होना है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 78.9 प्रतिशत था जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 87.3 से बहुत कम है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में, 29 राज्यों में से 23 वॉ स्थान है। राष्ट्रीय स्तर की बराबरी करने के लिए नीति एवं कार्यक्रम के स्तर पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2017-18 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग 80.81 हजार शासकीय प्राथमिक तथा 30.23 हजार शासकीय माध्यमिक शालायें हैं। इन शालाओं में नामांकन क्रमशः 77.30 लाख एवं 43.63 लाख है। कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 36.92 एवं 20.66 लाख है। वर्ष 2017-18 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की

संख्या 17.37 हजार है जिनमें नामांकन 39.54 लाख है। वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 4.6 एवं 3.6 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 4.7 एवं 4.6 रही। प्रदेश में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्यान्ह भोजन आदि की योजनाओं का क्रियान्वयन कर शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास उपयोगी रहे हैं ।

1.35 नि:शुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा नौवी में दूसरे ग्राम से अथवा ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से अधिक है अध्ययन हेतु जाने वाले बालिकाओं/बालकों को नि:शुल्क सायकिल वितरित की जाती है। वर्ष 2018-19 में 4.15 लाख बालक/बालिका को (कक्षा 9वीं) इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। इसी तरह मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 12 वीं में 85 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय करने हेतु 25.00 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है।

1.36 गांव की बेटी : राज्य शासन ने **"गांव की बेटी"** योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये योजनाएं बनाई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में 42.60 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर राशि रुपये 3773 लाख रुपये व्यय किये गये।

1.37 प्रतिभा किरण : शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 1.81 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर राशि रुपये 283.00 लाख व्यय किये गये।

1.38 तकनीकी शिक्षा : वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 2018-19 में 609 संस्थायें संचालित हैं जिनमें वार्षिक प्रवेश क्षमता 1.22 लाख विद्यार्थी है ।

1.39 स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है । सतत विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विश्लेषण के अनुसार "अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली" के सूचकांक में देश के 29 राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति 25 वें स्थान पर है। नगरीय क्षेत्रों में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

प्रदेश में मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये आपातकालीन प्रसूतिसेवाओं हेतु 110 सीमॉक संस्थायें क्रियाशील हैं साथ ही प्रदेश के 51 जिलों में 155 स्टॉफ नर्स को **नर्सिंग मेंटर्स** तथा 133 एएनएम को **एएनएम मेंटर्स** के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। महिला स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से वर्ष 2018-19 में कुल 13.92 लाख गर्भवती महिलायें लाभांवित हुईं हैं। **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** के तहत वर्ष 2018-19 में प्रदेश को सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2018-19 में कुल 693102 शिशु लाभांवित हुये। वहीं **दस्तक अभियान** द्वारा घर-घर पहुँच बनाकर 5 वर्ष से कम उम्र के 6658406 बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग की गई। प्रदेश में 62 **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयां** संचालित हैं, जिनसे वर्ष 2018-19 में कुल 118361 शिशु लाभांवित हुये हैं। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के संचालन से वर्ष 2018-19 में कुल 54034 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उपचारित किया गया है।

प्रदेश में 62.31 हजार आशा कार्यकर्ता कार्यरत है। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंन्ध हेतु दीनदयाल 108 ऐम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये है। वर्तमान में 606 एम्बुलेंस संचालित है। वर्ष 2017-18 मे 5.76 लाख तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2019 तक 7.70 लाख मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभांवित किया गया है।

1.40 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का स्वास्थ परीक्षण 4 डी (जन्मजात विकृति, कमी, रोग एंव विकासात्मक विलंब, सह दिव्यांगता) के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी, 2019 तक 87.37 लाख बच्चों का स्वास्थ परीक्षण किया गया जिसमें 1.10 लाख बच्चे 4डी के धनात्मक पाये गये। जिसमें से 7.46 लाख बच्चों को आवश्यक उपचार प्रदान किया गया तथा 34.91 हजार बच्चों की आवश्यक शल्य क्रिया हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराया गया।

1.41 जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में माह सितम्बर, 2017 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 24.8 एवं 6.8 रही। राज्य में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 47 है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 33 है। प्रति एक लाख प्रसव पर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 है, जो राष्ट्रीय स्तर दर 130, एवं अधिकतर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। इसी प्रकार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 77 है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में, असम को छोडकर, सर्वाधिक है। प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है।

1.42 पेयजल व्यवस्था : हेण्डपंप एवं नलजल प्रदाय योजना द्वारा 55-70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की 1.27 लाख बसाहटों में लगभग 5.40 लाख हैंडपंपों एवं 15.5 हजार नलजल प्रदाय द्वारा 1.12 लाख बसाहटों को पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री पेयजल योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के 8 ग्रामों का चयन कर प्रथम चरण में विकासखण्ड के 4 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था क्रियान्वयन हेतु 1471 योजनाएं स्वीकृत की गई है जिनकी कुल अनुमानित लागत राशि रूपये 1437 करोड़ है जिसमें से 997 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाकर 91 योजनाएं पूर्ण की गई है।

1.43 रोजगार की स्थिति : वर्ष 2018 के अंत में प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर कुल 26.82 लाख व्यक्ति दर्ज रहे । राज्य में जीवित पंजी पर शिक्षित आवेदकों की संख्या 24.34 लाख थी। वर्ष 2018 की अवधि में लगभग 7.48 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया है।

1.44 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2018 में कुल कर्मचारियों की संख्या 735559 रही जो गत वर्ष से 0.57 प्रतिशत कम है। शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की संख्या में 1.16 प्रतिशत की वृद्धि रही, वहीं विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 1.78 की प्रतिशत कमी रही ।

1.45 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : वर्ष 2018 में 15881 कारखानें पंजीकृत है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 8.85 लाख है ।

1.46 औद्योगिक विवाद : वर्ष 2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक) में औद्योगिक अशांति के कारण विवादों की संख्या 10 रही जिसमें 30.00 हजार मानव दिवसों की हानि हुई ।

1.47 हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना : प्रदेश के शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 57652 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। प्रसुति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

1.48 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि की ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । वर्तमान तक 30445 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

1.49 दीनदयाल अन्त्योदय योजना : इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । यह योजना भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें केन्द्र एवं राज्य शासन का अंशदान क्रमश: 60 एवं 40 प्रतिशत है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है । इसके अंतर्गत वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर तक भौतिक लक्ष्य 30000 के विरूद्ध 15112 लोगों को प्रशिक्षित किया गया तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार योजना में 49076 लक्ष्य के विरूद्ध 5285 को प्रशिक्षण दिया गया है।

1.50 महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्ति कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेशमें कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.67 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत बच्चे अविकसित (Stunted), 25.8 प्रतिशत कमजोर (Wasted) एवं 42.8 प्रतिशत बच्चे कम वजन से पीडित है। बच्चों में कुपोषण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विश्लेषण के अनुसार भुखमरी (Hunger) के सूचकांक में देश के 29 राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति केवल दो राज्यों, बिहार एवं झारखण्ड से बेहतर, 27 वें स्थान पर है। नीतिगत बदलाव, कार्यक्रम हस्तक्षेप एवं सामुदायिक भागीदारी से पोषण की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है।

1.51 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एंव पोषण मिशन : प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिये वर्ष 2020 को लक्ष्य करके यह मिशन तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** के तहत नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती एंव धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबधी सुधार करना लक्ष्य है।

1.52 वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना : सभी प्रकार की हिंसा से पीडित महिलाओं एंव बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेन्टर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर पर 2481 महिलायें पंजीकृत की गयी।

1.53 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एंव नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 6400 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं। इसके अतिरिक्त कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता आदि उपलब्ध कराते हुये उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला विकास द्वारा स्वाधार आश्रयगृह योजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त **उदिता योजना** के तहत किशोरियों एंव महिलाओं को पोषण, एनीमिया, महामारी प्रंबधन के बारे में तथा शारीरिक हाइजीन (सेनेटरी नेपकिन के उपयोग) संबधी शिक्षा प्रदान की जाती है।

1.54 तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्येश्य महिलाओं को अपनी आर्थिक, सामाजिक एंव राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिये सशक्त करना है। योजना से जुडने के पश्चात 80 प्रतिशत महिलाओं की आय में बढोत्तरी हुई है। बालाघाट के क्षेत्र गढी में 300 आदिवासी महिलाओं के साथ अलसी क्रय-विक्रय व रोस्ट यूनिट की स्थापना की गई है। इसी के साथ ममत्व मेला व प्रदर्शनियों द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है।

1.55 अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.62 प्रतिशत है । इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ इनके जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 571 पोस्ट मेट्रिक एवं 1153 प्री मैट्रिक छात्रावास 189 महाविद्यालयीन छात्रावास, संचालित है। 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास तथा प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 12

छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इस समस्त छात्रावासों में 97952 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.56 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि रूपये 2.50 लाख से राशि रूपये 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिवावकों के बच्चों को राज्य शासन के द्वारा पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 से 8 तक 60 रूपये मासिक एवं कक्षा 9 वीं से कक्षा 11 वीं तक 130 रूपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 990.00 लाख तथा वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 1125.00 लाख लोकशिक्षण संचालनालय को हस्तांतरित की गई है।

1.57 पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछडे वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत राज्य छात्रवृति पिछडा वर्ग के विधार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर अध्ययनरत के लिए प्रोत्साहन देने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है । जिनके अभिवावक आयकर दाता की सीमा में नहीं आती या 10 एकड से कृषि भूमि धारक नहीं है को छात्रवृत्ति दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2017-18 में कुल 4.5 लाख विद्यार्थियों पर राशि रूपये 573.96 करोड़ व्यय किये गये । वर्ष 2018-19 में 5.00 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित करने के लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध 4.60 लाख विद्यार्थियों के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए जिस पर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

1.58 राज्य स्तरीय रोजगार एंव प्रशिक्षण केन्द्र (पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये प्रति माह की दर से शिक्षावृत्ति एंव नि:शुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 128.19 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसंबर 2018 तक राशि रुपये 60.00 लाख व्यय किये गये हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 125, मुख्य परीक्षा हेतु 39 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.59 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय : राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में आवंटन 50201.00 लाख रूपये में से माह फरवरी, 2019 तक राशि रूपये 42881.71 लाख रूपये व्यय कर 9.94 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

- **इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना :** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में आवंटन 7620.40 लाख रूपये में माह फरवरी, 2019 तक राशि रूपये 4130.57 लाख रूपये व्यय कर 1.18 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
- **इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में आवंटन 57732.05 के विरूद्ध माह फरवरी, 2019 तक राशि रूपये 51852.16 लाख रूपये व्यय कर 19.42 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ;** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में आवंटन 41885.10 लाख रूपये के विरूद्ध माह फरवरी, 2019 तक राशि रूपये 34664.25 लाख रूपये व्यय कर 10.13 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

1.60 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के अंतर्गत कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सावधि जमा रूपये 17.00 हजार तथा विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री हेतु 5.00 हजार रूपये प्रदाय किये जाते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार समेत इस प्रकार कुल 25.00 हजार रूपये प्रदान किये जाते थे। वर्तमान में 18 दिसंबर, 2018 से इस योजनांतर्गत राशि बढाकर राशि रुपये 51.00 हजार की गई है। वर्ष 2018-19 में आवंटन राशि रूपये 15000.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी, 2019 तक राशि रूपये 13409.75 लाख रूपये व्यय किये जाकर 47.03 हजार कन्याओं के सामूहिक विवाह संपंन कराये गये हैं।

1.61 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन व्दारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/ परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराने के लिये रूपये 25000 प्रदान करने का प्रावधान था। वर्तमान में 18 दिसंबर, 2018 से इस योजना में राशि बढाकर राशि रुपये 51.00 हजार की गई है। सावधि जमा रूपये 17.00 हजार, गृहस्थी स्थापना, विवाह संस्कार के आवश्यक सामग्री 5.00 हजार रूपये प्रदाय किये जाते है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार समेत कुल 25.00 हजार रूपये प्रदान किये जाते थे। योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में आवंटन 900.00 लाख के विरूद्ध माह

फरवरी, 2019 तक राशि रूपये 690.53 लाख रूपये व्यय किये जाकर 2137 हितग्राहियों का सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया।

1.62 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेशन योजना : अप्रैल, 2019 से इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नि में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याये हैं जीवित पुत्र नही, तथा हितग्राही आयकर दाता न हो तो उन को 600 रूपये प्रति माह पेंशन दी जावेगी। वर्ष 2018-19 में आवंटन 2500.00 लाख रू. के विरूद्ध माह फरवरी, 2019 तक 2173.20 लाख रू. व्यय कर 53.55 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

1.63 नगरीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना: भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी 378 निकायों में परियोजना स्वीकृत है जिसमें 1.45 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है। 6.57 लाख आवासीय इकाईयों और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। योजना अवधि में 10 लाख आवासीय इकाइयां बनाया जाना लक्षित है।

1.64 स्मार्ट सिटी मिशन : भारत सरकार के Digital Payment Award 2018 के प्रथम चरण मे जारी परिणाम में देश के प्रथम 5 शहरों में प्रदेश के 4 शहर (उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर) को स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत 111 प्रोजेक्ट लागत रूपये 2175.73 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है। 224 प्रोजेक्ट लागत रू 8494.98 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके है। 68 प्रोजेक्ट लागत रुपये 7664.02 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है। 9 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रुपये 541.54 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। 126 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रुपये 4412.9 करोड़ की डीपीआर बनाए जाने की प्रक्रिया में है।

1.65 जिला योजना समिति का सुदृढीकरण : मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र विशाल एवं विविधता से परिपूर्ण है। केन्द्रीकृत योजनाओं से स्थानीय विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। स्थानीय प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के विन्यास नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है तथा निवेश को ज्यादा असरकारी स्वरूप प्रदान करता है। नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्मित आस्तियों का उपयोग एवं रख-रखाव भी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो जाता है। जिला स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों के बीच समन्वय से विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने तथा योजनाओं का सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिये जिला योजना समिति का सुदृढीकरण किया जा रहा है।

2

लोक वित्त

2.1 सिंहावलोकन :

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय द्योतकों का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्य प्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत के भीतर ही रहा है, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा म.प्र. उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सीमा में है।

तालिका 2.1

राजकोषीय घाटा

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	**2016-17**	**2017-18 (पुअ)**	**2018-19 (बजट अनुमान)**
राजस्व आधिक्य	3769.42	575.53	262.55
राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	(-) 27663.57*	(-) 24083.13	(-) 26780.25
प्राथमिक घाटा	(-) 18584.08	(-) 12118.18	(-) 13912.96
राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	4.32%	3.49%	3.24%
राजस्व आधिक्य का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	0.59%	0.08%	0.03%
ब्याज भुगतान का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से	7.36%	8.86%	8.25%

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान

(ब.अ.)=बजट अनुमान

*** उदय योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण (रूपये 7361 करोड) को शामिल कर।**

2.2 प्राप्तियां : राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। वर्ष 2013-14 तथा 2018-19 के मध्य कुल प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक रहा है।

तालिका 2.2

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (पु.अ.)**	**2018-19 (ब.अ.)**
राजस्व प्राप्तियां	75749.24	88640.79	105510.59	123306.79	135072.29	155886.47
शुद्ध लोक ऋण	5536.18	10148.19	15124.94	24922.00+	22642.11	25342.48
उधार वसूली	131.63	6793.70*	190.72	796.26	5139.37*	4018.52*
शुद्ध लोक लेखा	4781.0	1230.50	-251.10	1679.10	1413.10	1451.20
आकास्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियां	0.00	298.92	1.08	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	86198.05	106813.18	120575.15	150704.15	164266.87	186698.67
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)	87.88	82.99	87.51	81.82	82.23	83.50

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान
(ब.अ.)=बजट अनुमान

*** विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों की वित्तीय पुर्नसंरचना एव उदय योजना के कारण यह वृद्धि परिलक्षित हुई है ।**

2.3 राज्य का स्वयं का कर राजस्व : राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में एवं प्रमुख कर राजस्व मद में प्राप्तियॉ **तालिका 2.4** में दर्शायी गई है । वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के मध्य राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 8.43 प्रतिशत रही है।

तालिका 2.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	वृद्धिदर की प्रवृति (%) (औसत)	2018-19 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राज्य कर	33552.15	36567.31	40240.43	44193.78	46337.58	8.43	54655.24	17.95
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	22715.28	24106.80	38371.06	46063.97	50853.05	23.94	59489.92	16.98
केन्द्रीय अनुदान	11776.82	17591.44	18330.31	23962.53	28361.00	25.66	30807.53	8.63

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

तालिका 2.4
राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

स्वयं के कर राजस्व	2013- 14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृति (%) (औसत)	2018-19 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
भू-राजस्व	366.23	243.10	276.86	406.65	700.00	24.82	1200.00	71.43
स्टाम्प व पंजीयन	3400.00	3892.77	3867.69	3925.43	4800.00	9.41	5600.00	16.67
राज्य उत्पाद शुल्क	5907.39	6695.54	7922.84	7532.59	8100.00	8.57	9000.00	11.11
बिक्री व्यापार आदि पर कर	16649.85	18135.96	19806.15	22561.12	15187.0	- 0.16	11500.00	- 24.28
वाहन कर	1598.93	1823.84	1933.57	2251.51	2800.00	15.22	3200.00	14.29
माल तथा यात्रियों पर कर	2578.74	2686.39	3084.76	3805.04	1100.00	- 7.18	15.00	- 98.64
विद्युत कर तथा शुल्क	1972.20	2010.20	2257.83	2620.53	2750.00	8.81	3050.00	10.91

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.4 राज्य के करेत्तर राजस्व : राज्य के प्रमुख करेत्तर राजस्व मदों में वर्षवार प्राप्तियां **तालिका 2.5** में दर्शाई गई हैं । राज्य के करेत्तर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं।

तालिका 2.5

राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

करेतर राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2018-19 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
वानिकी और वन्य जीवन	1036.80	968.77	1001.71	917.98	1134.00	3.00	1150.00	1.41
सिंचाई	357.85	437.33	482.90	574.36	500.00	9.66	650.00	30.00
अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2306.17	2813.66	3059.64	3168.28	3700.00	12.77	4100.00	10.81

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.5 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा : चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 7.548 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 7.727 प्रतिशत अंश निश्चित किया है, जबकि तेरहवें वित्त वित्त आयोग द्वारा क्रमशः 7.12 प्रतिशत तथा 7.23 प्रतिशत का अंश निश्चित किया गया था।

2.6 व्यय : लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसरंचना उपलब्ध कराती है। अतः लोक व्यय का आकार, संरचना तथा उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। राज्य के आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण **तालिका 2.6** में हैं ।

तालिका 2.6
राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृति (%) (औसत)	2018-19 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राजस्व व्यय	69869.76	82372.82	99770.70	119537.37	134496.80**	17.84	155623.90	15.71
पूंजीगत व्यय	10812.52	11877.68	16835.47	27288.32*	28154.77**	29.21	29342.83	4.22
ऋण एंव अग्रिम	5079.88	12835.58	3159.85	4940.93	1643.26	16.73	1718.49	4.58

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

* विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 7568 करोड, (4011 करोड़ राजस्व तथा 3557 करोड़ पूंजीगत) की सहायता।

** विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 611 करोड़ राजस्व तथा 4011 करोड़ पूंजीगत का समायोजन।

लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो केवल लोक आस्तियों को नहीं बनाता, बल्कि निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। राज्य शासन को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये। पिछले कुछ वर्षो में राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण पर निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2013-14 से गत वर्ष 2017-18 तक पूंजीगत आयोजना व्यय में वद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 29.21 प्रतिशत रही है।

2.7 लोक ऋण : 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 119372.52 करोड़ रूपये अनुमानित है। शुद्ध लोक ऋण की संरचना **तालिका 2.7** में दर्शायी गई है। लोक ऋण का 55.01 प्रतिशत बाजार से लिया गया ऋण है तथा अल्प बचत का योगदान 14.39 प्रतिशत है।

तालिका 2.7
शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रूपये में)

स्त्रोत वर्ष	31 मार्च, 2017	कुल का प्रतिशत	31 मार्च, 2018 (पु.अ.)	कुल का प्रतिशत
बाजार से उधार लेना	70691.64	51.67	88491.64	55.01
केन्द्र	13917.10	10.17	15340.00	9.54
वित्तीय संस्था	16252.40	11.88	17971.59	11.17
अल्पबचत	21447.31	15.68	23147.31	14.39
अन्य (भविष्य निधि, समूह बीमा आदि)	14496.04	10.60	15921.36	9.90
योग	136804.49	100.00	160871.90	100.00
घटाईये				
राज्य को देय बकाया ऋण	44995.50		41499.38	
शुद्ध लोक ऋण	91808.99		119372.52	

3

बचत एवं विनियोजन

बैंकिंग

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करते हुए उसे वित्तीय बाजार में संचारित करने में बैंकिंग संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करते हैं। बैंकों द्वारा घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन का अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस बचत राशि का कृषि, उद्योग, सेवा, आदि क्षेत्रों हेतु निवेश के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

3.1 बैंक शाखा नेटवर्क : प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क की क्षेत्रवार संख्या **तालिका 3.1** में दी गई है। प्रदेश में वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण शाखाओं में 74, अर्द्धशहरी शाखाओं में 163 तथा शहरी शाखाओं में 168 की वृद्धि हुई है। इस वर्ष से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रदेश में कार्यरत स्मॉल फायनेंस बैंकों के डाटा भी शामिल किये गये हैं, जिनकी कुल 191 शाखायें कार्यरत हैं। इस प्रकार स्मॉल फायनेंस बैंकों को मिलाकर कुल 405 शाखाओं की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.1

बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार

बैंक का प्रकार	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19
ग्रामीण बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1475	1533	1551
सहकारी बैंक	297	297	297
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	843	851	854
स्मॉल फायनेंस बैंक	---	---	53
योग	**2615**	**2681**	**2755**
अर्द्धशहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1523	1519	1623
सहकारी बैंक	470	472	470
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	316	316	318
स्मॉल फायनेंस बैंक	---	---	59
योग	**2309**	**2307**	**2470**
शहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	2063	2051	2122
सहकारी बैंक	86	92	110
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	145	148	148
स्मॉल फायनेंस बैंक	---	---	79
योग	**2294**	**2291**	**2459**

बैंक का प्रकार	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19
कुल बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	5061	5103	5296
सहकारी बैंक	853	861	877
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1304	1315	1320
स्मॉल फायनेंस बैंक	---	---	191
योग	**7218**	**7279**	**7684**

3.2 जन धन योजनाः भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना प्रारम्भ की गई थी। योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल 11,864 सब सर्विस एरिया तथा शहरी क्षेत्र के कुल 6,884 वार्ड में निवासरत कुल 153.86 लाख परिवारों में से बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित कुल 49.47 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले जाकर उन्हें बैंक से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया है।

इस योजना अंतर्गत माह मार्च, 2019 तक 306.65 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जाकर 239.07 लाख से अधिक खाताधारकों को कार्ड जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उददेश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई है । इन दोनो योजनाओं के तहत रू. 12 प्रतिवर्ष के बीमा प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा रुपये 2.00 लाख तथा रू. 330 प्रतिवर्ष के बीमा प्रीमियम पर जीवन बीमा रु. 2.00 लाख का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2018-19 में क्रमश: 87.87 लाख तथा 22.37 लाख लोगों को बीमित किया गया है।

3.3 वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी): प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई है। वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्रों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3.4 बैंकिंग के मुख्य सूचकांकः बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के आकार का आंकलन मुख्यतः जमा, अग्रिम, विनियोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कृषि अग्रिम, सीधे कृषि अग्रिम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अग्रिम, तृतीयक क्षेत्र को अग्रिम, कमजोर वर्ग को अग्रिम आदि सूचकांकों से किया जाता है। प्रदेश के लिये विगत वर्षों में इन सूचकांकों का विवरण तालिका 3.2 तथा 3.3 में दिया गया है। बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 के दौरान 9.00 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कुल जमा राशि में 7.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम राशि में 13.90 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कुल अग्रिम राशि में 12.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल अग्रिम में वृद्धि की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम

में 5.59 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। कृषि क्षेत्र में सीधे फसल ऋण अग्रिम में ऋणात्मक वृद्धि रही। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में 6.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2018-19 में 73.70 प्रतिशत रहा है।

तालिका 3.2

बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मार्च- 16	मार्च- 17	मार्च- 2018	मार्च, 2019	मार्च-16 से मार्च-19 तक वृद्धि दर
कुल जमा	303070	336950	365432	393177	**9.00**
कुल अग्रिम	207899	240064	272924	307354	**13.90**
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	121212	158417	175083	184867	**14.64**
कृषि अग्रिम	67379	92362	99393	102143	**14.13**
सीधे कृषि अग्रिम	58812	64162	75823	75284	**9.50**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अग्रिम	30082	40887	52518	55745	**23.38**
कमजोर वर्ग को अग्रिम	37995	55917	59808	77069	**24.47**

तालिका 3.3

राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना

विवरण	राष्ट्रीय मानक	मार्च-16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 2019
साख-जमा अनुपात	60%	68.60%	71.25%	74.69%	78.17%
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40%	58.30%	65.99%	62.49%	60.15%
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18%	32.41%	38.47%	36.42%	33.23%
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	18.28%	23.29%	23.67%	22.90%

चित्र 3.1

राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति

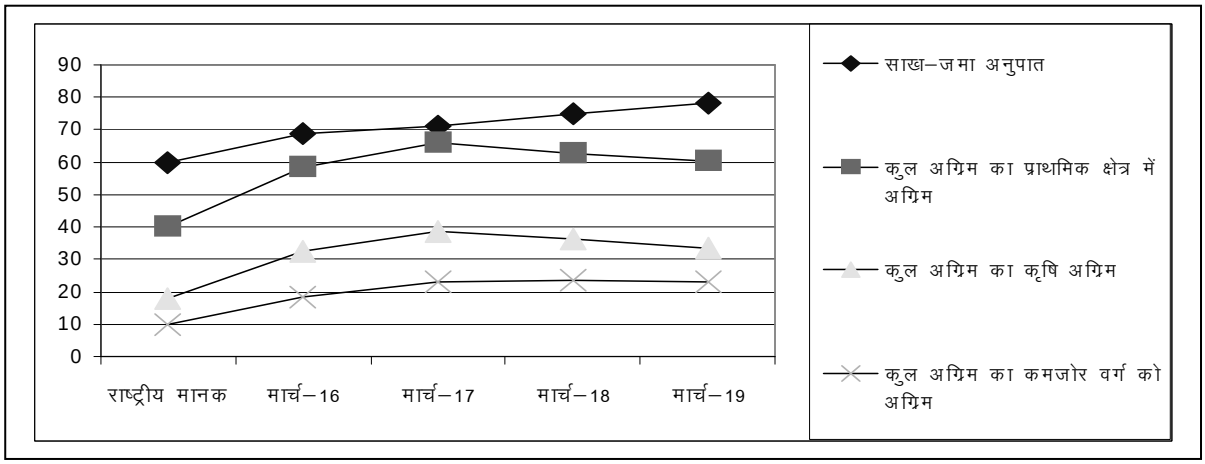

3.5 साख जमा अनुपातः वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश का साख-जमा अनुपात 78.17 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत साख जमा अनुपात के निर्देश हैं। माह सितम्बर, 2018 को समाप्त नो माही पर प्रदेश के 13 जिलों यथा सिंगरौली, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, डिण्डोरी, मण्डला, भिण्ड, टीकमगढ, पन्ना, छतरपुर एंव सतना का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम पाया गया है। 12 जिलों का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत 60 प्रतिशत के बीच है। 18 जिलों का साख-जमा अनुपात अभी भी 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है जबकि 8 जिलों का यह अनुपात शतप्रतिशत से भी अधिक है।

3.6 साख योजना का क्रियान्वयन : बैंकिंग समुदाय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक साख योजना तैयार कर जिलेवार एवं बैंक वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वार्षिक साख योजना के क्रियान्वयन का विवरण **तालिका 3.4** में है। प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण में निरंतर सुधार हो रहा है। लघु उद्योगों के लिए ऋण वितरण में वृद्धि के फलस्वरूप ही इन उद्योगों की गतिविधियों में विस्तार होने का संकेत है।

तालिका 3.4

वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

गतिविधियां	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	52502	64162	60882	66508
सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्योग	17769	16516	22512	30541
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9517	7000	6783	6334
योग	**79788**	**87678**	**90177**	**103383**
अप्राथमिकता क्षेत्र	**-**	**27498**	**58683**	**36159**
कुल योग	**79788**	**115176**	**148860**	**139542**

3.7 कमजोर वर्ग को साख: प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला वर्ग को निर्गमित साख का वर्षान्त पर शेष का विवरण **तालिका 3.5** में है।

तालिका 3.5

कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

विवरण	**मार्च-16**	**मार्च-17**	**मार्च-18**	**मार्च-19**	**मार्च-16 से मार्च-19 में वृद्धि दर**
महिलाओं को अग्रिम	23816	20791	25977	32039	**11.77**
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	10726	11285	15244	17868	**20.10**
अल्पसंख्यक समुदाय	9539	8628	10266	11459	**7.51**

3.8 सूक्ष्म वित्त : वर्तमान परिदृश्य में स्व-सहायता समूहों द्वारा बचत के साथ-साथ नये व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करते हुए व्यवसाय में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु 'एन.आर.एल.एम.' तथा शहरी क्षेत्र हेतु 'एन.यू.एल.एम.' नाम से मिशन संचालित किये जा रहे हैं। इन दोनों मिशन अंतर्गत बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के मध्य लिंकेज की गतिविधियां संचालित की जा रही है।

3.9 गृह निर्माण अग्रिमः बैंकों एवं हाउसिंग फायनेंस कम्पनियों द्वारा प्रदेश की जनता को सामान्य आवास ऋण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.10 किसान क्रेडिट कार्डः बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारी किसानों को किसान कार्ड जारी किये जा रहे है।

3.11 बैंक की अतिदेय राशि की वसूली : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम की समय पर वसूली साख रिसाईक्लिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतिपय कारणों से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्गमित अग्रिम की समय पर वसूली नहीं होने तथा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात वसूली की संभावना नहीं होने पर बैंक द्वारा ऐसी राशि को नॉन-परफार्मिंग सम्पत्ति मानते हुए प्रावधान करना होता है।

बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु प्रदेश में म.प्र. लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 लागू है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली की जाती है।

3.12 आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति : भारत सरकार की योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं (आर.आई.डी.एफ.) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि का विवरण **तालिका 3.6** में है।

तालिका 3.6

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण

(करोड़ रूपये में)

परियोजना क्षेत्र	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
सिंचाई	2	1034.65	3	1723.49	3	1509.95
सड़क	13	469.6	15	295.97	24	131.29
पुल एवं पुलिया	8	58.21	0	0	0	0
आई.टी.आई. भवन	0	0	0	0	0	0
ग्रामीण पेयजल वितरण	4	292.64	0	0	3	595.63
कुल योग	**27**	**1855.10**	**18**	**2019.46**	**30**	**2236.87**

3.13 बचत जमा की सुरक्षा हेतु निक्षेपकों के हितों का संरक्षणः देश की जनता द्वारा बचत राशि को विनियोजित करते हुए आय के संसाधन बढ़ाए जाते हैं। पूर्व वर्षों में बचत राशि को मुख्यत: बैंक, बीमा, डाकघर आदि में जमा रखा जाता था किन्तु पिछले कुछ समय से नॉन-बैंकिग फायनेन्स कम्पनियां भी विभिन्न तरीकों से राशि एकत्र करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु **"मध्य प्रदेश** निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" लागू है।

बीमा क्षेत्र

3.14 जीवन बीमा : बीमा क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। ये संस्थायें प्रदेश के सुदूर अंचलों में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंच कर बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है ।

निगम के द्वारा वैयक्तिक बीमा योजनाओं में मध्यम तथा समाज के कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है । निगम द्वारा अल्प प्रीमियम भुगतान क्षमता वाले लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उदेश्य से सूक्ष्म बीमा की विशेष प्रकार की पॉलिसियां भी उपलब्ध है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो की स्थिति **तालिका 3.7** में दर्शायी है ।

तालिका 3.7
व्यक्तिगत बीमा पालिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)

मद	2016-17	2017-18	2018-19 31 जनवरी 2019 तक
पालिसी संख्या (लाख में)	11.49	14.03	10.11
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये)	1630.32	1940.65	1378.53

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में न केवल बीमा पालिसियों एवं बीमित राशि में वृद्धि हो रही है, वरन निवेश, अधोसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धता हासिल की गई है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा **पेंशन, समूह बीमा** तथा **सामाजिक सुरक्षा योजना** की प्रगति को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है

तालिका 3.8
पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)

मद	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (31-01-2019) तक	
	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना
नये जीवनों की संख्या (लाख में)	39.32	19.50	40.54	15.96	20.33	6.68	1.89	6.82
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये में)	663.98	1.02	1140.68	0.19	1059.25	1.88	1361.86	11.05

4

भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

भाव स्थिति

4.1 कृषि जन्य पदार्थों के थोक भाव सूचकांक : राज्य स्तरीय कृषि जन्य पदार्थों के समूहों के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 =100) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा तैयार किये जाते हैं। गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न, आखाद्यान्न एवं समस्त वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में कमी परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक कमी अखाद्यान्न वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में 13.13 प्रतिशत की रही, सूचकांक गतवर्ष के 228.5 से घटकर वर्ष 2017-18 में 225.5 हो गया। इसी प्रकार खाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक वर्ष 2016-17 में 239.5 था जो 11.40 प्रतिशत की कमी के साथ वर्ष 2017-18 में 212.2 हो गया।

तालिका 4.1
कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक

(आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खाद्यान्न	185.2	217.8	239.5	212.2
अखाद्यान्न	229.2	231.2	228.5	225.5
समस्त वस्तुएं	206.2	224.2	234.2	218.5

समस्त कृषि जन्य पदार्थों के समूह में थोक भाव सूचकांक वर्ष 2016-17 में 234.2 था जो वर्ष 2017-18 में 6.70 प्रतिशत घटकर 218.5 हो गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आंकलन में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) का समावेश किया जाता है ।

4.3 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश के चार केन्द्रों यथा- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा के साथ-साथ अखिल भारत के लिये यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 2001=100) तैयार किये जाते हैं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण **तालिका 4.2 में** दर्शाया गया है ।

तालिका 4.2
औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आधार वर्ष (2001 = 100)

केन्द्र	2016		2017		2018	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
भोपाल	292	271	287	276	288	301
इन्दौर	295	252	292	257	291	269
जबलपुर	323	274	313	279	312	298
छिन्दवाड़ा	325	281	321	286	319	393

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह के सूचकांकों में भोपाल केन्द्र को छोडकर शेष में कमी आई है। परन्तु सामान्य समूह सूचकांकों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में खाद्य समूह एंव सामान्य सूचकांक सर्वाधिक छिंदवाडा में क्रमश: 319 एंव 393 रहा है।

4.4 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 1986-87=100) खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं, जिसका वर्षवार विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3
कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1986-87 = 100)

वर्ष	मध्य प्रदेश			
	कृषि श्रमिक		ग्रामीण श्रमिक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
2013	697	711	697	721
2014	694	730	692	739
2015	704	751	705	774
2016	742	789	748	811
2017	731	791	733	816
2018	734	802	736	826

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष से कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह तथा सामान्य सूचकांक में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2018 में सामान्य समूह सूचकांक एवं खाद्य समूह दोनो में वृद्धि परीलक्षित हुई।

खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

4.5 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : राष्ट्रीय खाद्यान्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा गेहूं 2.00 रूपये प्रति किलो एवं चावल 3.00 रूपये प्रति किलो की दर से प्रति व्यक्ति 5 किलो दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गेहूं एवं चावल 1 रूपये किलो तथा साथ में नमक भी 1 रूपये प्रति किलो प्रदाय करने का प्रावधान है। योजना के प्रारंभ के समय मार्च, 2014 में 92.00 लाख परिवारों के 388.00 लाख सदस्य लाभान्वित हो रहे थे। जो मार्च 2019 में बढकर 117.52 लाख परिवारों के 546.00 लाख हो गये। योजना पर वर्ष 2018-19 में 440.00 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में "राज्य खाद्य आयोग" का गठन किया गया है तथा जिले के कलेक्टर को **"जिला शिकायत निवारण अधिकारी"** घोषित किया गया है। प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना बीपीएल परिवार, कर्मकार मण्डल के पंजीकृत श्रमिकों समेत 25 श्रेणियों के परिवारों को इस योजना में लाभांवित किया जा रहा है।

4.6 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान:- प्रदेश के 5065 छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति के 64300 एवं जनजाति के 1,74,246 छात्र/छात्राओं को 12.00 किलो प्रति छात्र के मान से 1.00 रू. प्रति किलो की दर से खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.7 पात्र परिवारों का डाटा डिजिटाईजेशन:- पारदर्शिता बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 546 लाख पात्र हितग्राहियों का डाटा राज्य खाद्य पोर्टल पर आमजन के अवलोकन के लिए ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

4.8 उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन एंव बायोमैट्रिक सत्यापन:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 24657 उचित मूल्य दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें (पीओएस मशीन) लगाई गई है। पात्र परिवारों को बायोमैट्रिक सत्यापन/समग्र आईडी के आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है।

4.9 सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संपूर्ण सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है। प्रत्येक माह के अंत में सभी उचित मूल्य दुकानों पर पात्र परिवारों की संख्या के आधार पर खाद्य सामग्री का आवंटन राज्य स्तर से प्रतिमाह ऑनलाईन जारी करके नागरिक आपूर्ति निगम के वेब पोर्टल पर भेजा जाता है। खाद्य सामग्री दुकानों तक भेजने के लिये नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ट्रांसपोर्टर्स को उचित मूल्य की दुकानवार डी.ओ. तथा आर.ओ. ऑनलाईन जारी किये जाते हैं।

4.10 डबल फोर्टिफाइड एवं आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना:- प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों के पात्र परिवारों को डबल फोर्टिफाइड नमक तथा शेष परिवारों को प्रति परिवार 1 किलो नमक 1 रुपये प्रतिकिलो की दर पर आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जा रहा है।

4.11 मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना:- सुपोषण अभियान के तहत पात्र परिवारों को जिला श्योपुर के करहल विकासखण्ड में एवं जिला खंडवा के खालवा विकासखण्ड में साबूत दाल का वितरण 10 रूपये की दर से 1 किलो प्रति सदस्य के मान से वितरण किया जा रहा है । अन्य क्षेत्र के पात्र परिवारो को साबूत चना 27 रूपये के दर से एवं मसूर 24 रूपये की दर से, 1 किलो प्रति सदस्य के मान से वितरण किया जा रहा है ।

4.12 शक्कर का वितरण:- अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 1 किलो प्रति परिवार के मान से शक्कर 10 रूपये की दर से वितरण किया जा रहा है ।

4.13 नीले केरोसीन का वितरण :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत 117.52 लाख परिवारों को चिन्हांकित किया गया है जिन्हें नीला केरोसीन (रियायती दर का केरोसीन) उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को न्यूनतम 4 लीटर और अधिकतम 5 लीटर केरोसीन एवं 89 आदिवासी विकासखण्ड के प्राथमिकता परिवारों को न्यूनतम 2 लीटर और अधिकतम 4 लीटर प्रत्येक त्रैमास में एवं शेष जिलों के प्राथमिकता परिवारों को 2 लीटर केरोसीन का वितरण प्रतिमाह प्रति परिवार किया जा रहा है।

4.14 खाद्यान्न का ई-उपार्जन: राज्य सरकार द्वारा उपार्जन को कुशलता पूर्वक सम्पादित करने के लिये ई-उपार्जन साफ्टवेयर तैयार करा कर पंजीकृत किसानों को उपार्जन हेतु एसएमएस भेजने तथा विक्रय किये गये खाद्यान्न की राशि उनके खाते में सीधे जमा कराने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2018-19 में 9,60,306 किसानों से 73,16,041 मैट्रिक टन गेहूं तथा 3,76,038 किसानों से 21,80,808 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है।

4.15 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना:- प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत 63.30 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

4.16 देश में प्रथम मध्यप्रदेश शासन की वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स पालिसी, 2012:- मध्यप्रदेश राज्य भारत वर्ष में प्रथम राज्य है, जहां पर प्रदेश में भण्डारण क्षमता वृद्धि हेतु स्वयं की वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स पालिसी, 2012 बनायी गयी है।निजी निवेशकों को 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान एवं 07 वर्ष की अवधि तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। संयुक्त भागीदारी योजना में निजी गोदाम धारकों को साढे चार माह की व्यावसायिक गांरटी देने का प्रावधान है। वर्ष 2002 में प्रदेश में लगभग 11 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता थी जो बढकर 184 लाख मैट्रिक टन हो चुकी है। वेयरहाउस लाइसेंस जारी करने एंव नवीनीकरण को सरलीकृत करके ऑनलाइन व्यवस्था की गई है तथा नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष के स्थान पर पॉच वर्ष कर दी गई है।

4.17 वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन:- मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा प्रदेश में भण्डारण क्षमता के निर्माण एवं व्यवस्था हेतु भारत सरकार की पी.ई.जी. योजना, सायलो बैग, स्टील सायलो एवं प्रदेश की लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत भण्डारण क्षमता वृद्धि का कार्य लिया गया है।

4.18 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रण आदेश:- पात्र परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 जारी किया गया है। जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है:-

- प्रदेश में नवीन खोले जाने वाली उचित मूल्य दुकानों में से यथासंभव एक तिहाई उचित मूल्य दुकाने महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दुकान खोली जाएगी।
- नगरीय क्षेत्र में 800 पात्र परिवार पर एक उचित मूल्य दुकान होगी।
- उचित मूल्य दुकानों के विक्रताओं की योग्यता का निर्धारण।
- लीड संस्थाओं के प्रावधान को समाप्त कर व्दार प्रदाय योजना का प्रावधान किया गया।
- उचित मूल्य दुकान से संबंधित दस्तावेजों को सूचना के अधिकार के तहत प्रदाय का प्रावधान।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के प्रति स्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान।

4.19 उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन कमीशन व्यवस्था लागू:- उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु नगरीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न पर रूपये 20 प्रति क्विंटल के स्थान पर रूपये 70 प्रति क्विंटल का कमीशन तथा ग्रामीण दुकानों पर पृथक विक्रेता कार्यरत होने पर एकमुश्त रूपये 8,400 प्रतिमाह एवं आंशिक विक्रेता होने पर रूपये 2,400 प्रतिमाह कमीशन दिया जा रहा है।

5

कृषि

मध्य प्रदेश में कृषि ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार एवं आजीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है। राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है । फसल क्षेत्र की उक्त स्थिति को देखते हुये फसल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता को रेखांकित कर रही है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है । वर्ष 2018-19 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 4.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । फसल क्षेत्र की विकास दर को **चित्र 5.1** में दर्शाया गया है ।

चित्र 5.1

फसल क्षेत्र में विकास दर

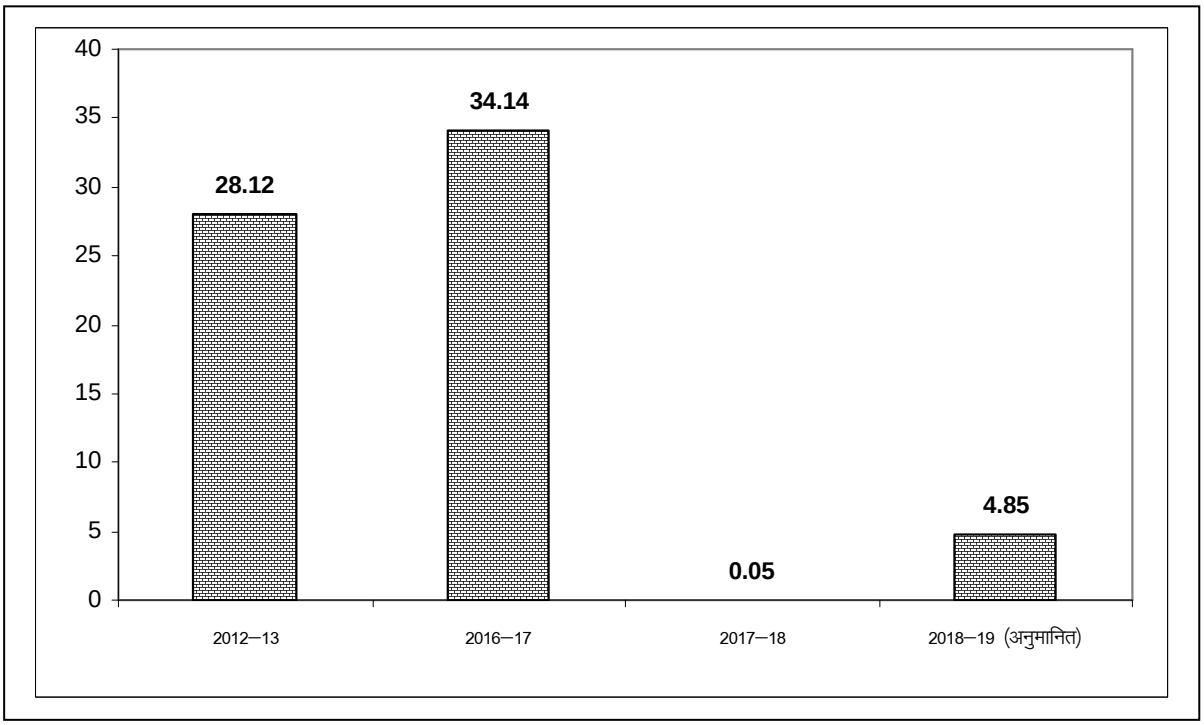

मौसम एवं फसल की स्थिति

5.1 कृषि क्षेत्र का निष्पादन प्रायः वर्षा, मौसम, विद्युत एवं सिंचाई के उपलब्ध साधनों इत्यादि पर निर्भर रहता है जिसके कारण कृषि उत्पाद पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ।

मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितम्बर तक होता है तथा सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मि.मी. है । वर्ष 2017 में (जून से सितम्बर) अवधि में 742.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी । जो सामान्य औसत वर्षा से लगभग 27.69 प्रतिशत कम है। वर्ष 2018 में इसी अवधि में कुल वर्षा 823.00 मि.मी. दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से लगभग 19.82 प्रतिशत कम है । वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1
वर्षा की स्थिति

(मिली.मीटर)

माह	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी**
जून	85.9	87.8	62.6	99.4	58.78
जुलाई	429.1	501.6	350.3	438.0	25.03
अगस्त	715.0	925.0	557.9	634.8	13.78
सितम्बर	804.3	1037.6	742.2	823.0	10.88

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.2 प्रमुख फसलों क्षेत्राच्छादान एवं उत्पादन : वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में अनाज, तिलहन के क्षेत्रफल में क्रमश: 5 एवं 7 प्रतिशत की कमी तथा उत्पादन में 6 एवं 15 प्रतिशत की कमी रही है। साथ ही दलहन के क्षेत्रफल में 11 प्रतिशत एवं उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि रही है। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में 4 प्रतिशत की कमी परिलक्षित रही।

तालिका 5.2
प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादान

(इकाई हजार टन में)

समूह	**2014-15 वास्तविक**	**2015-16 वास्तविक**	**2016-17 चतुर्थ अनुमान**	**2017-18 चतुर्थ अनुमान**	**2018-19 द्वितीय अनुमान**	**वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में (अधिक /कमी का प्रतिशत)**
अनाज	9909	9783	10791	10001	10400	(-) 7
दलहन	5250	5770	6752	7470	6727	11
तिलहन	7065	7336	6986	6642	7264	(-) 5
कुल	23087	23663	25232	24877	25135	(-) 1

तालिका 5.3
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(इकाई हजार टन में)

समूह	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 चतुर्थ अनुमान	2017-18 चतुर्थ अनुमान	2018-19 द्वितीय अनुमान	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में (अधिक /कमी का प्रतिशत)
अनाज	27400	28297	36269	33989	35646	(-) 6
दलहन	4748	5751	8201	9460	8731	15
तिलहन	7719	5628	8224	6947	8989	(-) 15
कुल	45038	40918	54122	52080	54776	(-) 4

5.3 खाद्यान्न : वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में धान एवं गेहूं के क्षेत्रफल में, मक्का के क्षेत्रफल में क्रमश: 10.49 एवं 9.64 प्रतिशत की कमी एवं 4.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, समग्र रूप से कुल खाद्यानों के क्षेत्रफल में 0.10 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई। इसी अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन गतवर्ष से 1.88 प्रतिशत कम रहा। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.4 तथा 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
धान	2153.00	2024.00	2260.00	2023.00	2485.00	(-) 10.49
मक्का	1132.00	1098.00	1263.00	1317.00	1361.00	4.27
गेहूं	6002.00	5911.00	6422.00	5803.00	5900.00	(-) 9.64
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	**15147.00**	**15522.00**	**17543.00**	**17526.00**	**17127.00**	(-) 0.10

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.5
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
धान	5438.00	5320.00	8070.00	7305.00	8461.00	(-) 9.47
मक्का	2531.00	3140.00	4301.00	4680.00	4925.00	8.81
गेहूं	18480.00	18410.00	21918.00	20020.00	20774.00	(-) 8.65
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	**32048.00**	**33951.00**	**44470.00**	**43634.00**	**44376.00**	(-) 1.88

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.3.1 धान : धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 10.49 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 2260.00 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2017-18 में 2023.00 हजार हेक्टर हो गया । धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होने से उत्पादन में भी वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 9.47 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष 2016-17 में 8070.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2017-18 में 7305.00 हजार मीट्रिक टन हो गया ।

5.3.2 मक्का : मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 4.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2016-17 में 1263.00 हजार हेक्टर से बढकर वर्ष 2017-18 में 1317.00 हजार हेक्टर हो गया । मक्का के उत्पादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 8.81 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं उत्पादन गत वर्ष 2016-17 में 4301.00 हजार मीट्रिक टन से बढकर वर्ष 2017-18 में 4680.00 हजार मीट्रिक टन हो गया ।

5.3.3 गेहूं : गेहूं के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 9.64 प्रतिशत की कमी हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2016-17 में 6422.00 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2017-18 में 5803.00 हजार हेक्टर हो गया, इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल में कमी के कारण उत्पादन में भी 8.65 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है, और उत्पादन गत वर्ष के 21918.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2017-18 में 20020.00 हजार मीट्रिक टन हो गया।

5.4 दलहन : कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी परिलक्षित रही। दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.6 तथा तालिका 5.7** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.6
दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
अरहर	521.00	579.00	690.00	647.00	445.00	(-) 6.23
चना	2853.00	3017.00	3222.00	3590.00	3432.00	11.42
उडद	862.00	932.00	1168.00	1789.00	1652.00	53.19
मूंग	155.00	193.00	225.00	228.00	191.00	1.33
मसूर	520.00	546.00	574.00	596.00	560.00	3.83
मटर	257.00	450.00	505.00	312.00	369.00	(-) 38.22
कुल दलहनी (अन्य सहित)	**5250.00**	**5770.00**	**6752.00**	**7470.00**	**6727.00**	**10.63**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.

तालिका 5.7
दलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
अरहर	511.00	640.00	873.00	839.00	577.00	(-) 3.89
चना	2964.00	3364.00	4546.00	5385.00	5217.00	18.45
उडद	428.00	515.00	1063.00	1744.00	1725.00	64.06
मूंग	70.00	53.00	132.00	137.00	124.00	3.78
मसूर	377.00	615.00	653.00	679.00	641.00	3.98
मटर	250.00	419.00	521.00	322.00	382.00	(-) 38.19
कुल दलहनी (अन्य सहित)	**4748.00**	**5751.00**	**8201.00**	**9460.00**	**8731.00**	15.35

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.4.1 अरहर : अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 6.23 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2016-17 में 690 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2017-18 में 647 हजार हेक्टेयर रह गया। अरहर के उत्पादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 3.89 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2016-17 में 873.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर 839.00 हजार मीट्रिक टन रह गया है।

5.4.2 चना : चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 11.42 प्रतिशत की वृध्दि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष 2016-17 में 3222.00 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2017-18 में 3590.00 हजार हेक्टेयर हो गया । चने के उत्पादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 18.45 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2016-17 के 4546.00 हजार मीट्रिक टन से बढकर 5385.00 हजार मीटरिक टन हो गया।

5.4.3 उडद, मूंग, मसूर एवं मटर : उडद, मूंग, मसूर के क्षेत्रफल में गत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में क्रमश: 53.17, 1.33 एवं 3.83 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई साथ ही उत्पादन में भी क्रमश: 64.06, 3.78 एवं 3.98 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है, मटर के क्षेत्रफल एंव उत्पादन में गत वर्ष से क्रमश: 38.21 एंव 38.19 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है।

5.5 तिलहन : तिलहन फसलों के अन्तर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में 4.92 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है । वर्ष 2016-17 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 6986.06 हजार हेक्टेयर था जो वर्ष 2017-18 में 4.92 प्रतिशत घटकर 6642.00 हजार हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष 2016-17 से 15.52 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन वर्ष 2016-17 के 8224.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2017-18 में 6947.00 हजार मीट्रिक टन रह गया। कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** एवं **तालिका 5.9** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.8
प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
राई- सरसों	666.00	617.00	708.00	748.00	778.00	5.65
सोयाबीन	5604.00	5906.00	5401.00	5010.00	5604.00	(-) 7.24
कुल तिलहन	**7065.00**	**7336.00**	**6986.06**	**6642.00**	**7264.00**	(-) 4.92

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.9
प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
राई सरसों	670.00	666.00	920.00	976.00	1106.00	6.09
सोयाबीन	6382.00	4448.00	6649.00	5321.00	7201.00	(-) 19.97
कुल तिलहन	**7719.00**	**5628.00**	**8224.00**	**6947.00**	**8989.00**	(-) 15.53

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.6 राई-सरसों : राई-सरसों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 5.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 708.00 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2017-18 में 748.00 हजार हेक्टेयर हो गया तथा इसी अवधि में राई-सरसों के उत्पादन में में 6.09 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 920.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2017-18 में 976.00 हजार मीटरिक टन हो गया ।

5.7 सोयाबीन : प्रदेश में मुख्य तिलहन फसल सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 7.23 प्रतिशत की कमी आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष में 5401

हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2017-18 में 5010.00 हजार हेक्टेयर रह गया । इसी अवधि में सोयाबीन का उत्पादन गत वर्ष 2016-17 के 6649.00 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2017-18 में 5321.00 हजार मीटरिक टन अर्थात 19.97 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ है।

वाणिज्यिक फसलें

5.8 प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास एवं गन्ना हैं । वर्ष 2017-18 कपास एवं गन्ने के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृध्दि रही है । इन फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.10** एवं **5.11** में दर्शाये गये हैं ।

तालिका 5.10

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गन्ना	111.00	103.00	92.00	98.00	118.00	6.52
कपास	636.00	563.00	599.00	603.00	614.00	0.67

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.11

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 चतुर्थ अनुमानित	2018-19 द्वितीय अनुमानित	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गन्ना (गुड के रूप मे)	457.00	528.00	473.00	543.00	416.00	14.80
कपास (टन) #	378.00	716.00	946.00	953.00	976.00	0.74
कपास (वेल्र्स)	2222.00	1403.00	1855.00	1868.00	1914.00	0.70

(#) = 170 किलोग्राम की गांठों में ।

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.9 गन्ना : गन्ने की फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 6.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष में 92.00 हजार हेक्टर से बढकर वर्ष 2017-18 में 98.00 हजार हेक्टर हो गया। गन्ने के उत्पादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 14.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन गतवर्ष के 473.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2017-18 में 543.00 हजार मीटरिक टन हुआ है।

5.10 कपास : कपास फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 0.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 599.00 हजार हेक्टर से बढक़र वर्ष 2017-18 में 603.00 हजार हेक्टेयर हो गया । इस अवधि में कपास, फसल के उत्पादन में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 0.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि विकास योजनाएं

5.11 कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.टी.कॉटन., रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, कल्चर वितरण, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना प्रमाणित बीजों का वितरण परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एण्ड आयल पॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना, **भावांतर भुगतान योजना, कृषक समृद्धि, जय किसान ऋण माफी, फ्लेटरेट भावांतर योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** आदि कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण आगे दर्शाया गया है ।

5.12 बी.टी.कॉटन : मध्यप्रदेश में बी.टी.कॉटन बीज का उपयोग वर्ष 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तो के अधीन जारी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ हुआ। बी.टी. कॉटन के क्षेत्राच्छादान एवं उत्पादन में लगातार वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक के क्षेत्राच्छादन एवं 1 किलो ग्राम बीज के वितरित पैकिट संख्या का विवरण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.12

बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (हेक्टर में)	वितरित पैकिट (संख्या)
2014-15	564000	2436480
2015-16	547000	1447141
2016-17	572000	1510080
2017-18	603000	2065052
2018-19	684000	2288678

5.13 रासायनिक उर्वरकों का वितरण : प्रदेश में खरीफ वर्ष 2018-19 में जनवरी, 2019 तक 20.28 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कराया गया है। रासायनिक उर्वरकों के वितरण का विवरण (तत्वो में) वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक **तालिका 5.13** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.13

रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(लाख मीटरिक टन)

वर्ष	नत्रजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)	कुल (N+P+K)
2014-15	11.19	6.05	0.72	17.96
2015-16	12.33	6.50	0.82	19.65
2016-17	12.72	6.17	0.92	19.81
2017-18	12.63	6.55	0.98	20.16
2018-19 (21.01.2019 की स्थिति में)	12.67	6.68	0.93	20.28

5.14 पौध संरक्षण : फसलों को रोगों एवं कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा नीदा नियंत्रण-उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक उपलब्धियॉ का विवरण **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.14

पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हैक्टेयर)

कार्यक्रम	2014-15	2015-16	2016-17	2018-19	2018-19 दिसंबर 2018
बीज उपचार	142.76	138.62	140.78	130.74	131.31
फसल उपचार	34.15	36.98	30.46	27.68	24.44
चूहा नियंत्रण	23.36	23.96	27.11	26.70	28.17
नींदा नियंत्रण	19.42	20.71	18.47	18.70	19.42
योग	**219.69**	**220.27**	**216.82**	**203.82**	**203.34**

5.15 जय किसान फसल ऋणमाफी योजना: राज्य शासन द्वारा मार्च 2018 की स्थिति में किसानों के बकाया अल्पकालीन फसल ऋण की पात्रतानुसार 2.00 लाख रुपये की सीमा तक माफ करने का आदेश जारी किया गया है। योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीकृत बैंक से फसल ऋण किसानों के अधिकतम 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा की पात्रतानुसार निम्नानुसार लाभ दिया जावेगा।

- दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में ऐसे किसान जिनका फसल ऋण प्रदाता संस्था में प्रदाय ऋण की बकाया राशि (Regular outstanding loan)के रूप में दर्ज है, भले ही दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें योजना का लाभ दिया जावेगा।
- दिनांक 01.04.2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण, जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिए Non Performing Asset (NPA) घोषित किया गया हो, भले ही किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में Non Performing Asset (NPA) अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें योजना का लाभ दिया जावेगा।

5.16 मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में वर्ष 2018-19 में राशि रू. 4382.80/- करोड़ का आवंटन जिले के उप संचालक कृषि को जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में वर्ष 2018-19 में 2956226 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया ।

5.17 भावांतर भुगतान योजना : मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में राशि रू. 1738.32 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 में 265.98 करोड़ का किया गया है। वर्ष 2017-18 में 1158316 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2018-19 में 126349 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया ।

5.18 मूल्य स्थिरीकरण कोष : प्रदेश में राशि रूपये एक हजार करोड़ की लागत से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना दिनांक 29 जून 2017 को की गई है। जिसका मुख्य उद्येश्य जिन जिन्सों पर भारत सरकार द्वारा MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन जिन्सों के मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एंव विपणन आयोग द्वारा अनुशंसित एंव राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत घोषित बाजार हस्तक्षेप दर पर किये गये उपार्जन में हानि की स्थिती में उपार्जन संस्था को उक्त कोष से राशि प्रदाय की जाती है। उक्त कार्य में भारत सरकार के Price Stabilization Fund से वित्तीय हानि के लिये प्राप्त राशि को उक्त में जमा किया जाता है। लाभांश प्राप्त होने पर कोष में लाभांश राशि जमा की जाती है। कोष में उपलब्ध राशि पर ब्याज की राशि प्राप्त होने पर मूल्य स्थिरीकरण कोष में जमा कराया जाता है। कोष का संधारण मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मध्यप्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष में राशि रु. 500 करोड़ मण्डी बोर्ड की राज्य विपणन विकास निधी से तथा

शेष राशि हेतु राज्य शासन से बजट प्रावधान किये जाने उपरांत राज्य शासन में समक्ष स्तर से स्वीकृति उपरांत राशि प्राप्त कर विधीपूर्वक उक्त कोष में जमा कराई जायेगी। उक्त आधार पर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित किया जावेगा।

5.19 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में वर्ष 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी। खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है जिसकी मुख्य उपलब्धियों को निम्नानुसार दर्शाया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा

क्र.	विवरण	खरीफ 2016	रबी 2016-17	खरीफ 2017	रबी 2017-18	खरीफ 2018
1.	बीमित किसान संख्या(लाख)	38.36	26.73	34.29	33.19	34.67
2.	बीमित क्षेत्रफल(लाख हे.)	62.75	53.85	61.25	59.22	68.24
3.	प्रीमियम में किसानों का अंश(लाख रु.)	40257.0	25568	44385	31681	50136
4.	प्रीमियम में राज्यांश(लाख रु.)	106918.0	40365	141802	52458	166675
5.	प्रीमियम में केन्द्रांश(लाख रु.)	106918.0	40365	141802	52458	166675
6.	दावा राशि का भुगतान	171679.0	8470	537292	-	-
7.	दावा प्राप्त करने वाले कुल किसान(संख्या)	8.52	1.09	17.27	-	-
8.	बीमा का आधार	मौसम	मौसम	मौसम	मौसम	मौसम

5.20 अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनाः मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषको के कल्याण हेतु यह योजना वर्ष 2000-2001 से लागू की गई है । सूरजधारा योजना में दलहन एवं तिलहन तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते है ।

- **सूरजधारा योजनान्तर्गत :** वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 140 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 136 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के 168.00 हजार और अनुसूचित जनजाति के 158.00 हजार कृषको को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 5541.60 लाख प्रावधान

के विरूद्ध दिसम्बर 2018 तक 256.00 हजार कृषकों को लाभांवित किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के 131.00 एवं अनुसूचित जनजाति के 125.00 कृषक शामिल है।

- **अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत :** वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 147 हजार अनुसूचित जनजाति के 146 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के 163.00 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 162.00 हजार कृषकों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2018-19 में दिसम्बर, 2018 तक राशि रूपये 5533.05 लाख प्रावधान के विरूद्ध 250 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के 120.00 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 131.00 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है ।

5.21 प्रमाणित बीजों का वितरणः राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिये बीजग्राम योजना, सूरजधारा, अन्नपूर्णा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 34.68 लाख क्विटल वर्ष 2016-17 में 39.13 लाख क्वि. एवं वर्ष 2017-18 में 39.75 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया है। वर्ष 2018-19 में 45.48 लाख क्वि. प्रमाणित बीज के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 21.03 लाख क्वि. बीज वितरित किया गया।

केन्द्रीय योजनायें

5.22 परंपरागत कृषि विकास योजना : वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवारनाशकों व कीटनाशकों के बढते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में बढोत्तरी हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण मृदा उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड रहा है। भूमि की उर्वरकता, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जैविक खेती को बढावा देने के लिये वर्ष 2015-16 से यह योजना लागू की गई है।

पंरपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत तीन वर्षीय वार्षिक कार्य योजना (वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, जिसे अद्यतन वर्ष से 2020-21 तक जारी रखा गया है। जिसमें जैविक खेती हेतु इच्छुक कृषकों के क्लसटर का चयन कर सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पी.जी.एस.) आधारित क्लसटर, गुणवत्ता नियंत्रण, जैविक खाद प्रंबधन, समन्वित खाद प्रंबधन, कस्टम, हायरिंग केन्द्र तथा जैविक उत्पादों की पैकिंग व लोगो गतिविधियों हेतु सहायता का प्रावधान किया गया है।

योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 48.08 करोड़ के विरूद्ध 31 मार्च, 2017 तक राशि रूपये 17.85 करोड़ व्यय किये जा चुके है । वर्ष 2018-19 में 2948 क्लस्टर एवं वित्तीय राशि रूपये 105.57 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए है। जिसके विरूद्ध प्रथम रिलीज के रूप में राशि रूपये 41.20 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है ।

5.23 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः 14वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2020 तक निरतंर रखी जाना है। योजना में भारत सरकार द्वारा राज्यों को 60 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है, 40 प्रतिशत राज्यांश है। योजना में विभिन्न विभागो, संस्थाओं, निगम, मंडलों द्वारा प्रस्तावित कृषकों की स्थानीय, विशिष्ट एंव सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जातें हैं जिसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य बीज फार्म निगम को प्रोत्साहन, उद्यानिकी, रेशम पालन, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि विश्वविद्यालय एंव पशुपालन विश्वविद्यालय, सहकारिता, फार्मर प्रोडयूसर आर्गेनाइजेशन, डेयरी विकास बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, मत्स्य महासंघ, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक क्रमश : 356.15, 373.59 एवं 284.81 करोड़ रूपये राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2016-17 में 228.96 एवं 2017-18 में 373.59 तथा वर्ष 2018-19 में दिसम्बर, 2018 तक 110.77 करोड़ रूपये व्यय किया गया है।

5.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑन आयल सीड एवं आयल पॉमः तिलहनी फसलों के उत्पादन एंव उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्येश्य से यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में प्रदेश के समस्त 51 जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैा वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 5083.83 लाख का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया तथा 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि रूपये 1926.54 लाख एवं 40 प्रतिशत राज्यांश राशि रूपये 1284.36 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 3210.90 लाख रूपये उपलब्ध है जिसके विरूद्ध माह जनवरी, 2019 तक राशि रूपये 820.01 लाख का व्यय किया गया।

5.25 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुयामी योजना है। वर्ष 2016-17 में उपलब्ध राशि रू 31481.19 लाख के विरूद्ध राशि रू. 14963.59 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2017-18 में उपलब्ध राशि रूपये 30609.59 लाख के विरूद्ध राशि रूपये

17362.69 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की शेष राशि रिलीज सहित रूपये 49310.17 लाख दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 13616.76 लाख व्यय की गई।

5.26 स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना : प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से केन्द्र सहायित स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें दो वर्ष के अंतराल पर कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।

प्रथम चक्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 88.72 लाख कृषि जोतों से 23.75 लाख ग्रिड आधारित मिट्टी नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में विश्लेषण कराये गये हैं। द्वितीय चक्र में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 23.15 लाख ग्रिड आधारित मृदा नमूना एकत्रीकरण लक्ष्य के विरूद्ध 22.52 लाख नमूनों को एकत्रित किया जाकर 20.42 लाख मृदा नमूनों के परीक्षण उपरांत दिसम्बर 2018 की स्थिति में अद्यतन रूप से 62.00 लाख स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराए गए। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जिलों को प्रदाय रुपये 3336.91 लाख वित्तीय आवंटन के विरूद्ध अद्यतन रूप से रुपये 2267.00 लाख राशि का उपयोग कर लिया गया है।

प्रदेश में 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाऐं संचालित हैं। कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए 265 नवीन प्रयोगशालाओं को स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। 248 प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कृषि यंत्रीकरण

प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता वर्ष 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टर थी जो कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से वर्ष 2017-18 में बढ़कर 2.06 कि.वाट/हेक्टर हो गई है। जो भारत की औसत फार्म पावर उपलब्धता 1.84 किलोवाट प्रति हेक्टर से अधिक है। आगामी चार वर्षों में प्रदेश की फार्म पावर उपलब्धता को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढाकर 3.25 किवा/हेक्टर किये जाने का लक्ष्य है ।

यंत्रीकरण के विभाग द्वारा संचालित योजनायें निम्नानुसार हैं :-

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2. कृषि शक्ति योजना

3. कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजना, जिसमें शक्ति चलित यंत्रों पर विशेष अनुदान सहायता तथा निजी क्षेत्र में कस्टमहायरिंग केन्द्र स्थापना
4. कौशल विकास केन्द्र एंव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
5. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम.)
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना
7. नेशनल ऑइल सीड एंव ऑइल पॉम मिशन योजना

कृषि उत्पादकता बढाने की दृष्टि से आधुनिक कृषि उपकरण 10 लाभ के साथ-साथ जागरुकता हेतु कृषकों के लिये प्रदर्शन, प्रशिक्षण, मेले आदि के कार्यक्रम किये जातें हैं। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना से बुवाई, निदांई, गुडाई, कटाई के यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है । कौशल विकास एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगार युवकों को कृषि उपकरण अथवा मशीनरी निर्माण एंव रखरखाव के कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार देना है ।

उद्यानिकी

5.27 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्यानिकी संचालनालय द्वारा मुख्य रूप से मसाले, साग-सब्जी, फल, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार हेतु कार्यक्रम संचालित है। उच्च तकनीकी से बेमौसम में फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों कृषकों को उद्यानिकी की अधुनिकतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य पोषित योजनाएं :

5.28 फल पौध रोपण योजना : फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/ अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टयर के लिये अनुदान देय है। योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 2800.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 3006.36 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 1366.60 लाख व्यय किया गया है तथा 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 6500 हेक्टेयर क्षेत्र में फल पौध रोपण

कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 2517.65 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 770.54 लाख के व्यय किये गये हैं।

5.29 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना : वर्ष 2016-17 से सब्जी क्षेत्र विस्तार की योजना में संशोधन किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत (उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रूपये प्रति हेक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड एवं कंदवाली फसल जैसे- आलू, अरबी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 30.00 हजार रूपये जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर के लिये अनुदान देय है। वर्ष 2017-18 में 5888.16 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 2463 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 490.69 लाख व्यय किया गया है तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक 1780.85 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 600.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 72.53 लाख व्यय किया गया है ।

5.30 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल (मिर्च, धनिया, मैथी, कलौंजी, जीरा और अजवाइन) उत्पादन व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रूपये प्रति हेक्टयर जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जड एवं कंद/प्रकंद वाली व्यवसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार प्रति हेक्टयर जो भी कम होगा रोपण सामग्री अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में 2463.53 हजार हेक्टर में मसाला क्षेत्र में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 1783.04 लाख के विरूद्ध 347.82 लाख रूपये व्यय कर 3352 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 1431.79 हजार हेक्टर में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 600.00 लाख के विरूद्ध 64.66 लाख व्यय कर 2635 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

5.31 औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार : योजना के तहत कृषकों के द्वारा क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु प्रति कृषक 0.25 से 2.00 हेक्टेयर तक निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2017-18 में 433 हेक्टेयर में औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार कर वित्तीय आवंटन 100.00 लाख के विरूद्ध 48.93 लाख व्यय कर 882 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर

2018 तक 14.4 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कर वित्तीय आवंटन अप्राप्त होकर 25 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

5.32 व्यावसायिक उदयानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदंड एंव बागवनी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.सी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्रांइग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एंव प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारित मापदंड अनुसार इकाई लागत कर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2017-18 में 855.45 हेक्टेयर में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि 1930.12 लाख के विरूद्ध 1717.94 लाख व्यय कर 903 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर 2018 तक 750.00 हेक्टर में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि 1931.48 लाख के विरूद्ध 725.06 लाख व्यय कर 730 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

5.33 उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषकों को निर्धारित किये गए आधुनिक यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2017-18 में वित्तीय आवंटन राशि रूपये 88.52 लाख के विरूद्ध 820.19 लाख व्यय कर 1531 कृषकों को लाभांवित किया गया है तथा वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक वित्तीय आवंटन राशि रूपये 946.52 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 334.75 लाख व्यय कर 1000 कृषकों को लाभांवित किया गया है।

5.34 बाडी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम: राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजनांतर्गत प्रति हितग्राही को 75 रूपये सीमा तक उसकी बाडी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकिट वितरित किये जाते है। वर्ष 2017-18 में 309447 सब्जी बीजों के पैकेटों को नि:शुल्क वितरित किये जाने हेतु वित्तीय आवंटन राशि रूपये 231.44 लाख के विरूद्ध 215.06 लाख व्यय कर 309447 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है तथा वर्ष 2018-19 के माह दिसम्बर, 2018 तक 283172 सब्जी बीजों के पैकेट नि:शुल्क वितरित किये जाने हेतु वित्तीय आवंटन राशि 231.00 लाख के विरूद्ध 189.00 लाख व्यय कर 283172 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

5.35 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है ।

5.36 प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी एवं विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं । वर्ष 2017-18 में 1074 प्रदर्शिनी/ मेंलों का आयोजन कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 279.00 लाख के विरूद्ध 238.18 लाख व्यय कर 52616 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 632 मेलों का आयोजन कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 215.01 लाख के विरूद्ध 54.24 लाख व्यय कर 9327 कृषकों को लाभांवित किया गया।

5.37 मौसम आधारित फसल बीमा : प्रदेश में उद्यानिकी कृषकों की फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013-14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें- बैंगन, प्याज,टमाटर,केला,पपीता,मिर्च एवं संतरा तथा रबी की फसलें- आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, पत्तागोभी, फूलगोभी हरी मटर धनियां, लहसुन, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में विचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है। वर्ष 2017-18 में 425618 बीजित कृषकों की फसलों का बीमा दावों के विरूद्ध 342384 कृषकों को राशि रू. 232.31 करोड़ रूपये का भुगतान तथा वर्ष 2018-19 में 410608 बीमित कृषकों के फसलों का बीमा दावे किये गये हैं जिसका भुगतान किया जाना शेष है।

5.38 नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पटटी तक फल पौध रोपण की योजना : नर्मदा नदी के संरक्षण एंव प्रदूषण से मुक्ति के साथ क्षेत्र के किसानों की आय बढाने के लिये नदी के मध्य को केन्द्र बिन्दु मानकर दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर की पटटी तक निजी भूमि में फल पौध रोपण की योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ की गई है। प्रथम वर्ष में 5000, दिवतीय वर्ष में 20000 तथा तृतीय वर्ष में 20000 कुल 45000 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराने हेतु कृषकों को अनुदान हेतु राशि रु. 534.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2017-18 में 11440 हेक्टर क्षेत्र में 14774 कृषकों के यहां 44.45 लाख एवं वर्ष 2018-19 में 11887 हेक्टर क्षेत्र में 18608 कृषकों के यहां 46.61 लाख फलदार पौधों का रोपड किया गया है।

5.39 खाद्य प्रसंस्करण : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढावा देने हेतु नवीन नीति लागू की गई है, जिसमें नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु दो वर्षों में 5 लाख मीटरिक टन शीतगृह भण्डारण एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में 5 लाख मीटरिक टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि की योजना स्वीकृत कराई गई है।

इस रणनीति के तहत प्याज भण्डारण क्षमता के 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 1.37 लाख मीट्रिक टन प्याज भण्डारण गृह निर्मित हो चुकें तथा 3.028 लाख मीट्रिक टन निर्माणाधीन हैं।

नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेत कोल्ड स्टोरेज हेतु 02 वर्षों में 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 3.32 लाख मीट्रिक टन क्षमता विकसित हो रही है।

5.40 मसाले : वर्ष 2017-18 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 7.38 लाख हेक्टेयर एवं 40.79 लाख मीटरिक टन रहा है तथा वर्ष 2018-19 में कुल मसालों का क्षेत्रफल 7.51 लाख हेक्टयर तथा उत्पादन 42.11 लाख मीटरिक टन रहने का अनुमान है। प्रमुख मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.15** एवं **5.16** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.15

प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

मसाले	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 स.**	**2018-19 प्रथम अनुमानित**
मिर्च सूखी लाल	150654	101436	98538	94415	102688
अदरक	26038	19675	23153	23431	31531
लहसून	103805	122987	156880	186179	182782
धनिया बीज	197915	248354	275763	279837	279275
कुल मसाले (समस्त मसाले सहित)	**571165**	**582154**	**711544**	**737972**	**751365**

तालिका 5.16
प्रमुख मसालों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

मसाले	2014-15	2015-16 A	2016-17	2017-18 स.	2018-19 प्रथम अनुमानित
मिर्च सूखी लाल	13.88	3.74	3.04	2.33	2.56
अदरक	3.66	3.13	3.73	3.77	5.14
लहसून	12.40	11.98	17.80	18.82	18.52
धनिया बीज	6.04	3.50	3.87	3.90	3.71
कुल मसाले (समस्त मसाले सहित)	**44.46**	**26.87**	**41.20**	**40.79**	**42.11**

5.41 साग-सब्जी : वर्ष 2017-18 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश: 8.48 लाख हेक्टेयर एवं 168.60 लाख मीटरिक टन रहा तथा वर्ष 2018-19 में अनुमानित साग सब्जी का क्षेत्रफल 8.87 लाख हेक्टयर तथा उत्पादन 175.23 लाख मीटरिक टन उत्पादन रहने का अनुमान है। प्रमुख साग-सब्जी फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण क्रमशः **तालिका 5.17 व 5.18** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.17
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 सं.	2018-19 प्रथम अनुमानित
आलू	136012	134136	159997	136290	147301
शकरकन्द	3089	2513	4432	5188	5925
प्याज	153969	140837	150839	150886	150643
मटर हरी	57802	85822	95205	94988	106205
टमाटर	70225	74231	95395	84526	90302
फूल गोभी	26042	34345	46355	46470	49439
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	**701509**	**756812**	**869589**	**847742**	**887007**

तालिका 5.18

प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

सब्जी	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 सं**	**2018-19 प्रथम अनुमानित**
आलू	30.48	27.43	34.61	31.45	33.15
शकरकन्द	0.60	0.35	0.63	0.79	0.87
प्याज	41.35	32.40	38.21	37.01	37.22
मटर हरी	6.07	7.17	9.58	9.62	10.54
टमाटर	21.77	18.06	27.23	24.19	25.86
फूल गोभी	7.50	7.16	9.92	10.08	10.68
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	**153.90**	**137.44**	**172.69**	**168.60**	**175.23**

5.42 फल : वर्ष 2017-18 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 3.47 लाख हेक्टर एवं 73.44 लाख मीटरिक टन रहा तथा वर्ष 2018-19 में अनुमानित फलों का क्षेत्रफल 3.55 लाख हेक्टर रहा तथा उत्पादन 74.08 लाख मीटरिक टन रहने का अनुमान है। प्रमुख फलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन वर्षवार विवरण **तालिका 5.19 एवं 5.20** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.19

प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन

(हेक्टर में)

फल	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 सं**	**2018-19 प्रथम अनुमानित**
केला	27795	22637	26970	26375	26421
आम	26707	36026	43609	45519	46514
मौसंबी/संतरा	68848	104914	129559	127538	128885
पपीता	13821	9122	10931	10549	10598
कुल फल (समस्त फलो सहित)	**226834**	**291411**	**345373**	**347125**	**355098**

तालिका 5.20
प्रमुख फलों का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

फल	2014-15	2015-16 A	2016-17	2017-18 सं.	2018-19 प्रथम अनुमानित
केला	18.36	15.56	18.74	18.34	18.41
आम	3.96	4.42	5.89	6.55	6.61
मौसंबी/संतरा	11.35	13.20	17.99	22.15	21.95
पपीता	4.55	4.00	4.64	4.22	4.24
कुल फल (समस्त फलो सहि)	**62.04**	**53.12**	**67.80**	**73.44**	**74.08**

तालिका 5.21
प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

पुष्प का नाम	वर्ष 2017-18 सं.		वर्ष 2018-19 प्रथम अनुमानित	
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
गेंदा	20339.29	264002.96	20567.74	262591.69
गुलाब	3229.94	37117.96	3265.38	28971.60
सेवन्ती	1065.75	13287.91	1068.75	13194.47
रजनीगंधा	208.25	2666.04	193.43	2469.68
ग्लेडूल्स	854.99	7168.19	748.17	5704.80
अन्य पुष्प	5779.64	63629.47	6078.27	63665.16
योग	**31477.86**	**387872.53**	**31921.74**	**376597.40**

तालिका 5.22
प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

औषधि का नाम	वर्ष 2017-18 सं.		वर्ष 2018-19 प्रथम अनुमानित	
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
अश्वगंधा	3917.16	4987.34	3417.34	5097.63
सफेद मुसली	1346.20	5191.72	1452.50	5134.57
ईसबगोल	22958.20	27775.64	18461.95	19830.60
कोलियस	305.50	1587.88	317.94	1720.20
अन्य औषधियां	15025.85	48666.86	14292.49	43324.62
योग	43552.91	82209.44	37942.22	75107.62
1 सुगंधित फसल	**1619.40**	**2643.32**	**1622.40**	**2650.32**
महायोग	**2009489.38**	**28762573.00**	**2064956.07**	**29595956.90**

केन्द्रीय योजनाएं :

5.43 एकीकृत बागवानी विकास मिशन :

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन दो गुना करना है । योजना के अंतर्गत निजी तथा शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री तैयार करना। ऑवला, संतरा अमरूद, सीताफल, आम, अनार एवं केले के नये बगीचे तैयार किये जाना है । इसके अलावा आम, अमरूद, संतरा, पपीता आदि के पुराने बगीचे का जीर्णोद्धार करना, मिर्च, धनियां एवं लहसुन मसाला फसलों एवं पुष्प फसलों का उत्पादन कार्यक्रम लेना, समन्वित कीट एवं पौषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, जलसंवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण यत्रीकरण, संरक्षित खेती एवं मानव संसाधन विकास तथा फसलोत्तर प्रंबधन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।
- वर्ष 2017-18 में वित्तीय आवंटन राशि रूपये 5000.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 4801.93 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर, 2018 तक वित्तीय आवंटन राशि रूपये 5293.33 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 3122.46 लाख व्यय किए गए ।

5.44 माईक्रो इरीगेशन योजना (PMKSY) : माईक्रो इरीगेशन योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 33538.2 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 20400.97 लाख व्यय कर 24902 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया तथा वर्ष 2018-19 में 14374.86 हेक्टर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 6998.82 व्यय कर 10818 कृषकों को लाभांवित किया गया है।

5.45 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन : राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के व्दारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2017-18 में औषधीय पौध मिशन अंतर्गत 128 हेक्टर औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार कर राशि रूपये 86.46 लाख व्यय की जाकर 2502 कृषकों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 237.82 हेक्टर औषधि फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया जिसमें 297 कृषकों को लाभांवित किया गया।

कृषि विपणन

कृषकों को समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) एक तीन स्तरीय संस्था है । जिसमें मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा तथा 257 मंडियां एवं 299 उप मंडियां कार्यरत हैं ।

5.46 मंडियों में अधिसूचित जिन्सों की कुल आवक : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2016-17 में प्रदेश की मंडियों में 253.70 लाख टन कुल आवक हुई। वर्ष 2018-19 में नवम्बर, 2018 में प्रदेश की मंडियों में 233.05 लाख टन आवक हुई।

5.47 मंडियों की मण्डी फीस से आय : राज्य शासन द्वारा मंडियों की आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2018-19 में माह नवंबर 2018 तक में प्रदेश की मंडियों से रूपये 825.25 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई है।

5.48 कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि: वर्ष 2001 से माह नवम्बर 2018 तक इस निधि अन्तर्गत 572.00 करोड़ रूपये अर्जित किये गये हैं तथा ब्याज मद में राशि रूपयें 160.27 करोड़ रूपये अर्जित किये गये है। शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत विभिन्न संस्थाओं की परियोजनाओं के लिये राशि रूपये 411.00 करोड़ अनुदान स्वरूप प्रदाय किये गये हैं तथा ब्याज मद से राशि रूपये 155.65 करोड़ व्यय की गई है ।

5.49 गौ संरक्षण तथा संवर्धन निधि : गौ संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि अधौसंरचना निधि में जुलाई 2004 को संशोधन किया गया है। माह नवम्बर 2018 तक कुल रूपये 256.14 करोड़ अर्जित किये गये हैं तथा मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को कुल 232.27 करोड़ रूपये प्रदेश की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये हैं ।

5.50 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना : सितम्बर 2008 से लागू की गई है इस योजनांतर्गत वर्तमान में कृषक कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि रूपये 4.00 लाख, स्थायी अपंगता में राशि रूपये 1.00 लाख, अस्थायी अपंगता में राशि रूपये 50.00 हजार एवं अन्त्येष्टि सहायता राशि रूपये 4.00 हजार दिये जाने का प्रावधान है। विगत पांच वर्षों में 2454 हितग्राहियों को राशि रूपये 3324.06 लाख की सहायता वितरित की गई है।

5.51 मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 : कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये लागू की गई है

योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता दुर्घटना में स्थाई अपंगत एवं मृत्यु की स्थिति,मंडी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना राशि उपलब्ध करायी जाती है। विगत पांच वर्षों में 18257 हितग्राहियों को राशि रूपये 455.12 लाख की सहायता वितरित की गई है।

5.52 कृषि विपणन पुरस्कार योजना :- मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज विक्रय करने वाले कृषकों के लिये कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में बम्पर ड्रा के पुरस्कार में क संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का टेक्टर एवं ख,ग,घ, प्रवर्ग की मण्डी समिति में रू. 50 हजार मूल्य में कृषि यंत्र तथा 1.00 हजार रू. से 21.00 हजार रूपये तक के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है। विगत पांच वर्षों में 2560 हितग्राहियों को राशि रूपये 491.12 लाख के पुरुस्कार दिये गये है।

5.53 कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना : समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को 5 रूपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है ।

5.54 राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना: राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनान्तर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश की 58 मंडियों में 19475 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा 90,94,713.65 क्वि. कृषि जींसों का व्यापार संपन्न कराया गया जिसका मूल्य लगभग राशि रूपये 276507.09 लाख रूपये है। उक्त अवधि में 1986297 कृषकों का पंजीयन ई-नेम पोर्टल पर किया गया है। मंडियों द्वारा इंटर मंडी ट्रेड ट्रांजेक्शन के अंतर्गत 1560575.32 क्वि कृषि जींसों का आपस में व्यापार किया गया जिसका मूल्य राशि रूपये 16617.24 लाख है। प्रदेश की 13 कपास मंडियों तथा 12 अन्य मंडियों को ई-नेम से जोडने का प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है।

5.55 भावान्तर भुगतान योजना: भावान्तर भुगतान योजना उद्देश्य कृषकों को उचित मूल्य प्रदाय करने के लिये विक्रय दर में उतार-चढाव से सुरक्षा प्रदान करना है। खरीफ 2017 में 08 फसलों को चयनित किया गया, जिसमें कुल 21.28 लाख पंजीकृत किसानों में से 11.16 लाख किसानों को 28.764 लाख मीट्रिक टन जींस के विक्रय पर भावान्तर भुगतान रूपये 1951.32 करोड़ का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से कराया गया है।

रबी 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना एवं भावान्तर भुगतान योजना अन्तर्गत 06 फसलों को चयनित किया गया, जिसमें कुल 33.93 लाख पंजीकृत किसान में से 21.43

लाख किसानो को 119.03 लाख मीट्रिक टन जींस की बिक्री पर भावान्तर भुगतान राशि रू. 3313.36 करोड़ का भुगतान किया गया है।

रबी की ग्रीष्मकालीन फसल में कुल 1.16 लाख पंजीकृत किसानों में से 0.80 लाख किसानो को 1.73 लाख मीट्रिक टन जींस की बिक्री पर भावान्तर राशि रूपये 163.50 करोड़ का भुगतान कृषकों को किया गया है।

खरीफ 2018 में फ्लेट भावान्तर भुगतान योजना प्रारंभ की गयी जिसमें 02 फसल सोयाबीन एवं मक्का चयनित है। जिसकी विक्रय अवधि 20 अक्टूबर 2018 से दिनांक 19 जनवरी, 2019 तक है। जिसके अंतर्गत पात्रतानुसार भावान्तर राशि रूपये 500 प्रति क्वि. तक देय होगी।

भण्डारण सुविधा

5.56 कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की 239 शाखाओं पर 96.24 लाख मीटरिक टन कार्यशील क्षमता हैं। निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों / जमाकर्ताओं को भंडारण की सुविधा देना है। सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है ।

विगत दो वर्षो में मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक/ वित्तीय स्थिति को **तालिका 5.23 एवं 5.24** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.23

भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता

(क्षमता लाख मीटरिक टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता +केप क्षमता + पी.ई.जी	किराये की क्षमता +केप क्षमता	JV की क्षमता + प्रा + पी.ई.जी	कुल क्षमता	उपयोगिता	उपयोगिता की प्रतिशत
2016-17	281	22.77	01.20	35.24	59.21	31.37	54
2017-18	230	22.92	04.15	46.10	73.17	53.98	74
2018-19 माह जनवरी 2019 की स्थिति में	239	25.57	08.55	62.12	96.24	83.36	87

तालिका 5.24
भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2016-17	20451.30	16910.20	3541.10
2017-18	30294.95	22505.26	7789.69
2018-19 माह जनवरी 2019 की स्थिति में	26818.17	20576.08	6242.09

- कृषकों द्वारा 200 क्विंटल से अधिक स्कंध जमा करने पर सोयाबीन में 25 प्रतिशत एवं अन्य खाद्यान तथा धान पर 15 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषक जमाकर्त्ताओं को जमा स्कंध की वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा रूपये 208.69 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी 2019 तक राशि रूपये 207.86 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अन्तर्गत उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। निम्नानुसार मात्रा का भंडारण किया गया :-

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2017-18	67.25 लाख मे.टन	53.82 लाख मे.टन + 0.26 लाख मे.टन स्टील सायलो बेग + 3.26 लाख मे.टन स्टील सायलो
2018-19	73.16 लाख मे.टन	55.76 लाख मे.टन + 1.74 लाख मे.टन स्टील सायलो बेग + 2.52 लाख मे.टन स्टील सायलो

- मध्यप्रदेश के इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद एवं सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मीटिरिक टन क्षमता के स्टील सायलों प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर स्थापित किये गये है। वर्ष 2017-18 के उपार्जित गेहूं का 3.26 लाख मीटिरिक टन तथा वर्ष 2018-19 में 2.52 लाख मीट्रिक टन भण्डारण इन सायलों में किया गया है।

पशुधन एवं डेयरी विकास

5.57 पशु पालन खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है । वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 3.63 करोड़ पशुधन तथा 119.05 लाख कुक्कुट एवं बतख् पक्षी है । पशुधन वृद्धि का वर्षवार विवरण **तालिका 5.25** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.25
पशुधन वृद्धि

पशु संगणना	पशुधन (करोड़ में)	कुक्कुट एवं बतख (लाख में)
वर्ष 2007 के अनुसार	4.07	73.84
वर्ष 2012 के अनुसार	3.63	119.05

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रदेश में वर्ष 2018-19 के अंत तक 1063 पशु चिकित्सालय, 1585 पशु औषधालय, 38 चलपशु चिकित्सा इकाईयां, 27 विरूजालय, 10 मातामहामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग शमनदल, 19 माता महामारी जॉच चौकियां, एक पशु निरोध स्थल एक राज्य स्तरीय, 07 संभागीय स्तरीय एवं 34 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत हैं ।

वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की (मादाओं)संख्या 109.90 लाख है । राज्य में अधिकांश पशु अवर्णित नस्ल के हैं जिनकी दुग्धोत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है । विभागीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में 26.90 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 9.61 लाख वत्सोत्पादन हुए । इस प्रकार वर्ष 207-18 में गत वर्ष की तुलना में 0.41 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान में कमी तथा 02.02 प्रतिशत वत्सोत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2018-19 में माह नवम्बर, तक 18.33 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 6.29 लाख वत्सोत्पादन हुए ।

प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 3.09 लाख भेड़े एवं 80.14 लाख बकरे/ बकरियां हैं । वर्ष2017-18 में 20.13 हजार भेड़ों से 19.70 हजार तथा वर्ष 2018-19 में माह नवम्बर, तक 18.84 भेड़ों से 11.72 हजार मेमने उत्पन्न हुए ।

प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। इन प्रक्षेत्रों पर **साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा** आदि उन्नत नस्ल के सॉड़ रखे जाते हैं। सुदूर ग्रामीण अंचलों में नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017-18 में 2637 उन्नत नस्ल के गौ-सांड प्रदाय किये गये हैं तथा वर्ष 2018-19 में माह नवम्बर तक 1584 गौ-सांड प्रदाय किये गये ।

प्रदेश में वर्ष 2016-17 में दुग्ध उत्पादन 13445 हजार मीट्रिक टन, अण्डा का उत्पादन 16940 लाख तथा मांस उत्पादन 79 हजार मीट्रिक टन रहा । इसी प्रकार प्रदेश में वर्ष 2017-18 में दुग्ध उत्पादन 14713 हजार मीट्रिक टन, अण्डा का उत्पादन 19422 लाख तथा मांस उत्पादन 89 हजार मीट्रिक टन रहा ।

5.58 दुग्ध उत्पादन : प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.2 में दर्शाया गया है । वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में दुग्ध उत्पादन में 9.43 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

चित्र 5.2

दुग्ध उत्पादन

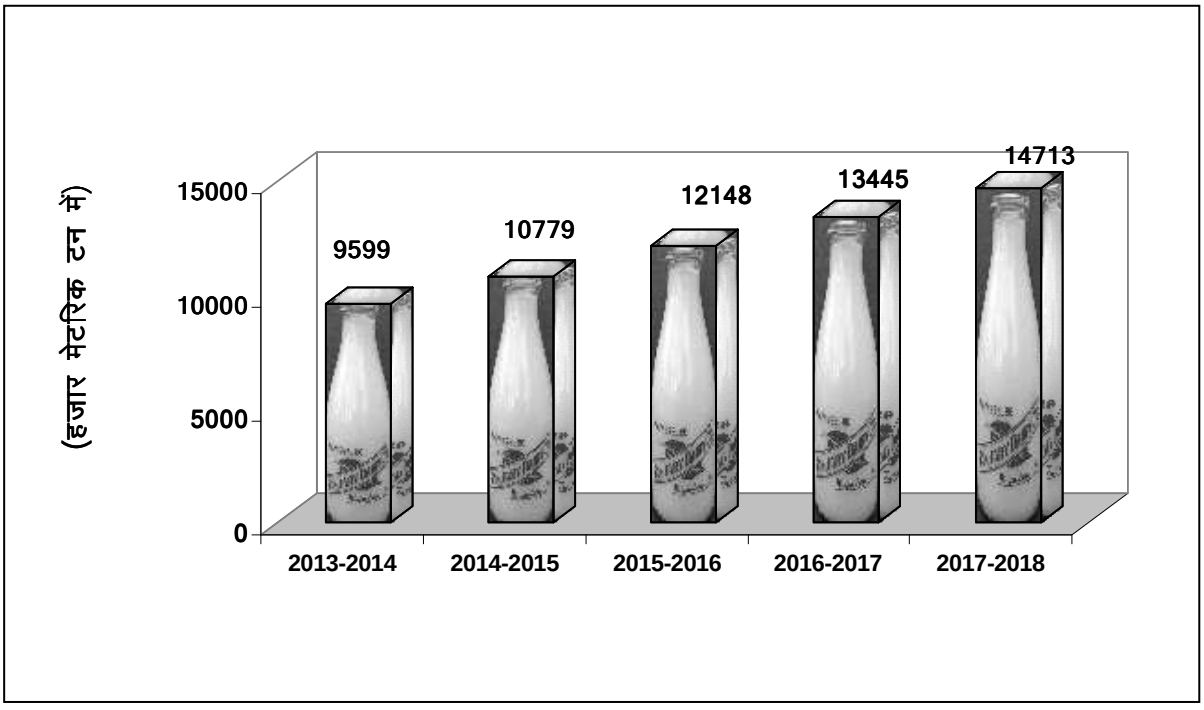

5.59 अंडों का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में अण्डों के उत्पादन में 14.65 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक का अंडों का उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 5.3

अंडो का उत्पादन

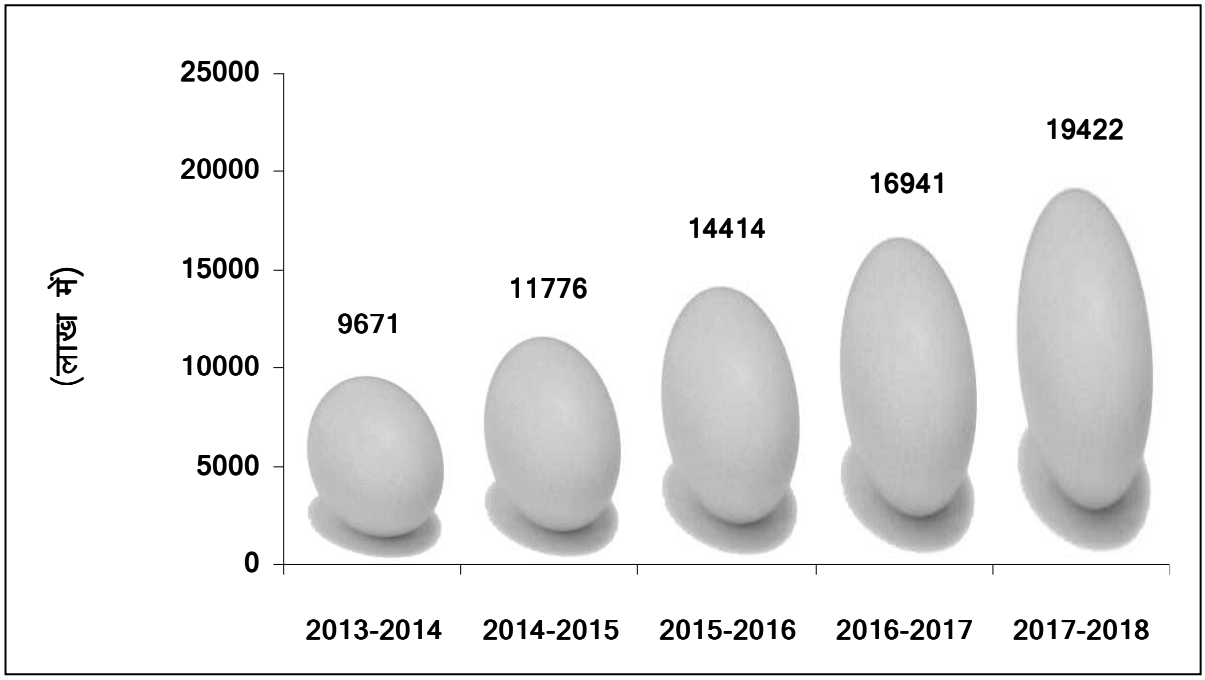

5.60 मांस का उत्पादन : वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में मास के उत्पादन में 12.66 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2013-14 वर्ष 2017-18 तक का मांस उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.4** दर्शाया गया है ।

चित्र 5.4

मांस का उत्पादन

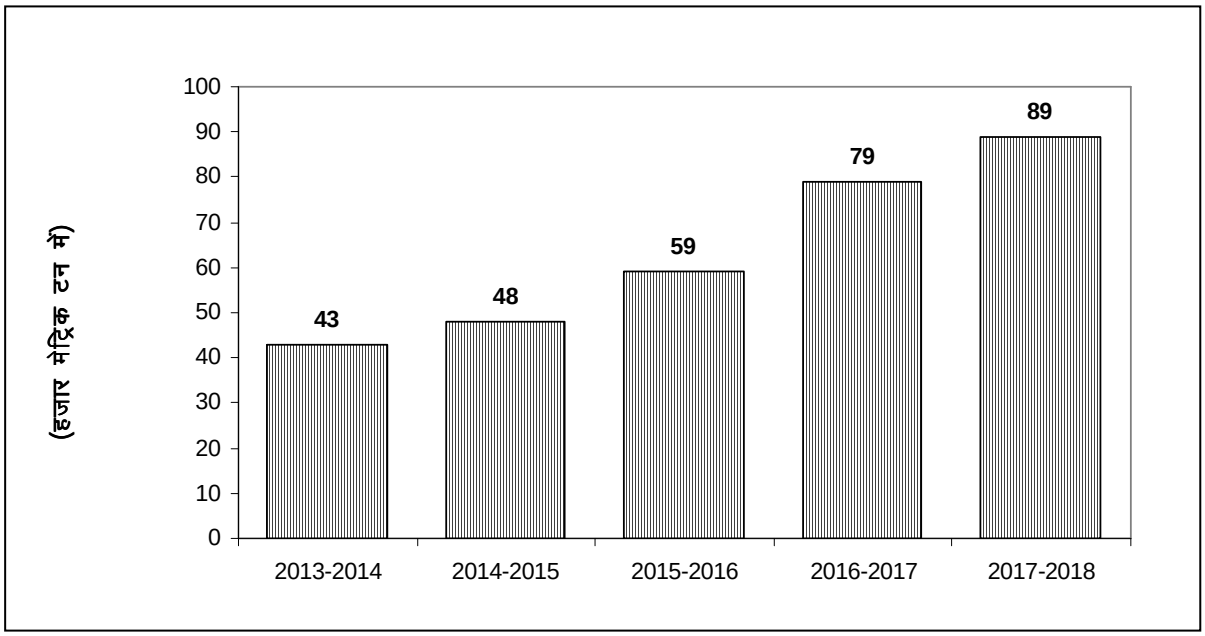

पशुधन एवं कुक्कुट विकास

5.61 मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर 1982 को हुई। निगम का मुख्य उददेश्य पशु तथा कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, संग्रहण पालन पोषण और विपणन करना है । निगम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण **तालिका 5.26** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.26
म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2017-18		उपलब्धि 2017-18		लक्ष्य 2018-19		उपलब्धि 2018-19 (दिसम्बर, 2018)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.
• उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय (बैलजोड़ी भी सम्मिलित)	-	-	215	121.80	-	-	482	320.16
• नस्ल सुधार (गौ-वंश / भैस-वंश / बकरा / सूकर,)	96.38	1779.70	7333	1606.73	10896	1886.50	1972	548.41
• पशु आहार का उत्पादन (गौ-भैंसवंश, बकरा एवं पक्षी)	-	-	2972.35 मे.टन	475.41	-	-	2373.35 मे.टन	375.38
• तरल नत्रजन का विक्रय	-	-	12.76 लाख लीटर	368.78	-	-	8.70 लाख लीटर	286.79
• फ्रोजन सीमन डोजेज (स्टा) का उत्पादन	30.00 लाख स्ट्रा	492.00	28.00 लाख स्ट्रा	448.00	22.47 लाख स्ट्रा	359.52	17.23	275.68

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2017-18		उपलब्धि 2017-18		लक्ष्य 2018-19		उपलब्धि 2018-19 (दिसम्बर, 2018)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.
• राष्ट्रीय गौ-भैंस वंशीय प्रजनन कार्यक्रम, (NPBB 2014-15) पशु प्रक्षेत्र रतोना, मिनोरा कीरतपुर, बुलमदर फार्म, भदभदा भोपाल	-	460.40	कृग सांड क्रय 60 रिप्लेसमेंट कृग उपकरण अंतर्गत, 197 कृग उपकरण अंतर्गत, 574 तरल नत्रजन पात्र तरल नत्रजन परिवहन का सुदृढीकरण के अंतर्गत OMR-2 नग BA35-200 नग TA55-200 नग J12-100 नग	690.73	-	-	कृग गर्भाधान कार्यकर्ताओं का रीफ्रेशर प्रशिक्षण, कृषकों के ओरियन्टैशन कार्यक्रम, 500 नग BA-3क्रय 9500 लीटर क्षमता का तरल नत्रजन परिवहन टैंकर का क्रय	252.52+1422.000

निगम की प्रमुख योजनायें जो केन्द्र एवं राज्य शासन संचालित की जाती है निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय गौ-भैस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार योजना, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रदाय नंदीशाला योजना, समुन्नत पाडा योजना, सूकर त्रयी प्रदाय योजना, नर सूकर प्रदाय योजना, दुधारू पशु बीमा योजना निगम की अन्य नवीन योजनायें जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना एवं तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है।

5.62 तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना:- RKVY योजनान्तर्गत तीन संयंत्र क्रमश: केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भोपाल, ग्वालियर, एवं सीमन बैंक जबलपुर में तथा बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के तहत सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई हैा वर्ष 2017-18 में 12.76 लाख एवं वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक 8.07 लाख लीटर तरल नत्रजन का जिलों को प्रदाय किया गया है।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

5.63 दुग्ध संकलन एवं वितरण : वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, वर्तमान में एम.पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, की स्थापना की गयी । दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति/ क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है । दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण **तालिका 5.27** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.27
दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (दिसम्बर तक)
• गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	8014	8385	9437	9463	9549
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6300	6315	6612	6737	6387
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	237013	248717	256150	264653	246916
• दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	1101610	1029138	889611	1102657	991290
• स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	712385	703452	741032	766195	735820
• पशु आहार विक्रय (मैं.टन)	115482	116714	110541	98021	75426
• कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	405698	508362	556633	622604	442586
• दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रूपये में)	1243.66	1057.16	954.94	1288.81	720.00
• विक्रय प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)	1606.84	1739.51	1718.64	1689.64	1425.00

5.64 राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना : भारत शासन द्वारा वित्त पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संकलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। योजना का 22 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना के लिये भारत शासन से स्वीकृत राशि रूपये 39.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध राशि रूपये 29.04 करोड़ प्राप्त हुई है।

5.65 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	लागत (रू. लाख में)
1	जबलपुर डेयरी संयंत्र परिसर में ऑटोमेटिक पनीर प्लांट की स्थापना	500.00
2	ग्वालियर दुग्ध संघ स्थित दुग्ध चूर्ण संयंत्र का उन्नयन करना	400.00
3	ग्वालियर दुग्ध संघ स्थित डेयरी संयंत्र में दही निर्माण क्षमता विस्तार	190.00
4	प्रदेश में 1000 दुग्ध सहकारी समितियों में ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम की स्थापना	965.00
5	सागर डेयरी संयंत्र प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार	1061.00
6	भोपाल में दुग्ध उत्पादों हेतु भवन की स्थापना	1000.00
	योग-	**4116.00**

5.66 महिला दुग्ध समितियों की उपलब्धि :

विवरण	कुल योग
दुग्ध सहकारी समितियों का गठन (संख्या)	1840
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियॉ (संख्या)	1303
गठित दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	53362
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता	38826
दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	151010
पशु उत्प्रेरण (संख्या)	580
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (संख्या)	79
कृत्रिम गर्भाधान संपादन (संख्या)	5852
पशु आहार विक्रय (मैं.टन.)	1312

मत्स्य पालन

5.67 मत्स्य पालन की ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है । मत्स्य पालन व्यवसाय से जहॉ एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ मिलता है । यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है । मतस्य पालन से वर्ष 2017-18 में 230 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 226.03 लाख मानव दिवस रोजगार निर्मित हुआ। वर्ष 2018-19 में 230 लाख के विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 189.05 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

वर्ष 2017-18 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.08 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 4.02 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 98 प्रतिशत है ।

5.68 मत्स्यबीज उत्पादन : वर्ष 2017-18 में 11870 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध 11172.28 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 94.12 प्रतिशत है । वर्ष 2018-19 में 13650 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 12440.19 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 91.14 प्रतिशत है ।

5.69 मत्स्योपादन : वर्ष 2017-18 में समस्त स्त्रोतों से 155000 टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरूद्ध 143419.66 टन का मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 92.53 प्रतिशत रहा । वर्ष 2018-19 में समस्त स्त्रोतों से 170000 टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 105312.70 टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 61.95 प्रतिशत है ।

5.70 मछुआ सहकारिता : प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल 2376 मत्स्य सहकारी समितियां थीं जिनमें 88509 सदस्य थे, इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समीतियों में 50 समीतियां महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1657 है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वंशानुगत मछुआरों की मछुआ सहकारी समितियों को नवीन मछुआ नीति के अनुसार मछली पालन के लिए दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण तालाब/जलाशय पट्टे पर दिए जाने को प्रावधान के तहत वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 1152.09 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 26 जलाशय 24

मछुआ सहकारी समितियों एवं 586.63 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 13 जलाशय 13 मछुआ समूहों को आवंटित किये गये है ।

5.71 मछुआ समितियो को अनुदान : मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2017-18 में 84.44 लाख रूपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 116.67 लाख लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 530.07 लाख रूपये का अनुदान 279 समितियों को वितरित किया गया है ।

5.72 मछुआ प्रशिक्षण : मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु वर्ष 2017-18 में 5642 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था माह मार्च, 2018 तक विभाग द्वारा 4106 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष 2018-19 में 4606 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है माह दिसम्बर, 2018 तक 3492 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है ।

5.73 फिशरमेन केडिट कार्ड : वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी फिशरमेन क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे है । वर्ष 2017-18 में 7763 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं । वर्ष 2018-19 में 10,000 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 4084 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं । योजना के प्रारंभ से माह दिसम्बर 2018 तक 70399 क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

5.74 बचत-सह-राहत : मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है । इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों को आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अशंदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

हितग्राही राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अशंदान रू. 1500/- कुल राशि रू. 4500/- दो माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाता है। जिसमें वर्ष 2018-19 में 20892 हितग्राहियों के खाते में राशि रूपये 626.76 लाख जमा किये गये।

5.75 नील क्रान्ति योजना : भारत शासन द्वारा वर्ष 2017-18 से प्रदेश में नील क्रान्ति योजना लागू की गई है। योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्यबीज उत्पादन हेतु हेचरी निर्माण, मत्स्य आहार निर्माण हेतु फिश फीड नील की स्थापना, मत्स्य विक्रय हेतु कियोस्क स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटर साईकल-सह-आईस बाक्स, वेन,

आटो रिक्शा एवं ट्रक आदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में क्रेन्द्रांश राशि रूपये 987.20 लाख तथा राज्यांश राशि रूपये 722.94 लाख एवं हितग्राही अंश राशि रूपये 1975.30 लाख कुल राशि रूपये 3685.44 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये हैं तथा भारत सरकार द्वारा रूपये 612 लाख की राशि विमुक्त की गई है।

वानिकी

5.76 वनक्षेत्र एवं भूमिका : प्रदेश का कुल अधिसूचित वनक्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है । राज्य के कुल वनक्षेत्र का 65 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है । वनो की स्थिति पर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहार 8073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों के संरक्षण का मूल उद्देश्य देश की पर्यावरणीय सुरक्षा है। जलवायु परिवर्तन के कारकों के अल्पीकरण, अनुकूलन एवं कार्बन संचयन में वनों की केन्द्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन का संचालन किया जा रहा है। नीति में वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर स्थानीय समुदायों का प्रथम अधिकार तथा वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदेश के वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंध लागू किया । राज्य शासन द्वारा पारित संकल्प वर्ष 2001 के तहत संयुक्त वन प्रबंध को लागू किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा संपादित कराए गए अध्ययनों के अनुसार मध्य भारत के पठार जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवदेनशील क्षेत्रों में शामिल है। अनिश्चित वर्षा एवं तापक्रम बढने से कृषि आधारित आजीविकाओं पर दुष्प्रभाव पडने की संभावनाए है। तापक्रम एवं जल चक्र को बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों के अच्छादन को बढाने की आवश्यकता है।

1. **कार्य आयोजना का क्रियान्वयन :** राष्ट्रीय एवं राज्य की वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करके, स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर प्रदेश के वनों का पोषणीय प्रबंधन (Sustainable Manangement) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वनमंडल की दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती है। कार्य आयोजना का क्रियान्वयन योजना के

अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल एवं मृदा के संरक्षण के उद्देश्य से प्रबंधित संरक्षण समूह में 14570 हेक्टर, उत्पादन के उद्देश्य से प्रबंधित पुनरूत्पादन समूह में 167274 हेक्टर एवं बिगडे वनों के सुधार हेतु पुर्नस्थापना समूह में 169676 हेक्टर में उपचार कार्य किया गया। योजना में रूपए 36639.83 लाख का व्यय किया गया तथा 2018 की वर्षा ऋतु में 5.44 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

2. ग्रीन इंडिया मिशन : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाईमेट चेंज के तहत क्रियांवित किये जा रहे 8 मिशन में से एक ग्रीन इंडिया मिशन है। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार लाकर **"कार्बन संचयन"** में अभिवृद्धि करना, जलागम क्षेत्रों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविकाओं को सुदृढ करना है। मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश की कार्य योजना वर्ष 2016-17 से 2021-22 को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की अवधि में 3,40,700 हेक्टर वनक्षेत्र का उपचार करने के लिए राशि रूपए 3157.36 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 41.80 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध माह मार्च, 2019 तक राशि रूपए 16.26 करोड़ व्यय हुआ है।

3. बॉस मिशन : बांस क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित बांसमिशन के अनुरूप राज्य में वर्ष 2013 में बांस मिशन का गठन किया गया। बांस मिशन का प्रमुख लक्ष्य देश में उद्योगों एवं स्थानीय स्तर पर बांस का उपयोग करके जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों को गुणवत्तपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वन, सामुदायिक भूमियों एवं कृषि क्षेत्रों में बांस के रोपणों को बढावा देना, उत्पादकता में अभिवृद्धि के लिए नवीन तकनीकी एवं नवाचार को प्रत्साहित करना तथा बांस के मूल्यवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों को बढावा देना है। बांस मिशन की अनुमोदित कार्य योजना हेतु 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपए 28.37 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गयी है। मिशन के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणीयों की स्थापना, कृषकों के खेतों में प्रदर्शन प्लॉट, शिल्पकारों का कौशल उन्नयन, स्थानीय स्तर पर शिल्पकारों की सहायता के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य संपादित किए गए है।

5.77 राजस्व प्राप्तियां : वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 1134.00 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध राशि रूपये 1097.63 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जो निर्धारित लक्ष्य का 96.79 प्रतिशत है। स्थिर भावों (2011-12) पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2018-19 में 2.35 प्रतिशत है। वनोत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.28
वनोत्पादन का विवरण

वर्ष	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस नोशनल टन (लाख में)
2013-14	2.35	1.73	0.79
2014-15	2.40	1.78	0.41
2015-16	2.07	1.28	0.36
2016-17	1.83	1.19	0.33
2017-18	1.74	1.24	0.28

इमारती लकड़ी एवं बांस के उत्पादन में गत वर्ष से क्रमश : 4.92 एवं 15.15 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है जबकि इसी अवधि में जलाउ चटटे के उत्पादन में गत वर्ष से 4.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उत्पादन गत वर्ष के 1.19 लाख नग से बढकर वर्ष 2017-18 में 1.24 लाख नग हो गया। इमारती लकडी का उत्पादन गत वर्ष से 1.83 लाख घन मीटर से घटकर वर्ष 2017-18 में 1.74 लाख घन मीटर रहा है एवं बांस का उत्पादन 0.33 लाख नोशनल टन से घटकर 0.28 लाख नोशनल टन रह गया है।

5.78 वन्यप्राणी संरक्षण : प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने एवं पारिस्थितिकीय सेवायों का सतत संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य है जिसमें 6 टाईग रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (एवं अन्य जलजीव) अभ्यारण्य, तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं । प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनक्षेत्र है । संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 8 ग्रामों के 963 परिवारों को बाहर पुर्नस्थापित किया गया है।

1 . वन्य प्राणी गणना: भारतीय वन्य जीव संस्थान देहारादून द्वारा किए गए सर्वेक्षण वर्ष 2014 के अनुसार बाघो की संख्या देश में 2226 तथा प्रदेश में 308 है । इसी प्रकार देश में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 10 से 12 हजार तथा प्रदेश में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 1848 है । प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कैमरा ट्रेप द्वारा लिए गये चित्रों से मिले साक्ष्यों के अनुसार बालाघाट वृत्त में 24, भोपाल वृत्त में 13,

देवास वन मंडल में 7, दतिया वनमंडल में 1 बाघ की उपस्थिति के प्रमाण मिले है। प्रदेश में पहली बार 2016 में की गयी प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना में 7000 गिद्ध पाये गये। द्वितीय गिद्ध गणना वर्ष 2019 में गिद्धों की संख्या बढकर 8300 हो गई।

2. **ईको पर्यटन :** प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र एवं अभ्यारण राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुडा, संजय एवं बांधवगढ टाईगर रिजर्व में ऑनलाईन बुकिंग की व्यवस्था की गयी है। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के शुल्क को एक समान करने से 19.23 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ जो वर्ष 2016-17 में आए 10.67 लाख पर्यटकों की तुलना में बहुत अधिक है। ईको पर्यटन गतिविधियों को विस्तारित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974 में संशोधन करके नवीन वन्यप्राणी अनुभव एवं मनोरंजन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है।

5.79 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी : मध्यप्रदेश के वनो की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण को बढावा देने के लिए 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में 169 रोपणियां संचालित हैं, जिनमें वर्ष 2018-19 में 5.42 करोड़ पौधे तैयार किए गए। वर्ष 2019-20 के लिए रोपणियों में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 8 करोड़ पौधे एवं 2.10 करोड़ सागौन के रूटशूट उपलब्ध है।

1. विस्तार वानिकी योजना अंतर्गत वर्षा ऋतु में 2018 के दौरान प्रदेश में 720.09 हेक्टर में विभिन्न प्रजाति के 6.69 लाख तथा कैम्पा फंड से वित्त पोषित **"कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना"** अंतर्गत 55000 कृषकों की भूमि पर 1.30 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

2. लोक वानिकी योजना के अंतर्गत वर्ष 2002 से 2018 तक प्रदेश में निजी वनक्षेत्रों के प्रबंध हेतु लगभग 3020 प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में **"अध्ययन एंव अनुसंधान योजना"** अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 4, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान के माध्यम से 7 एंव अनुसंधान विस्तार वृत्तों द्वारा 15 लघु शोध कार्य संचालित किये गये।

5.80 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज "व्यापार एवं विकास" सहकारी संघ मर्यादित : वन क्षेत्रों के आसपास निवास करने वाले समुदायों को वनों में पायी जाने वाली अकाष्ठीय वनोपजों को संग्रहित करने का अधिकार है। काष्ठ के अलावा वनों से प्रापत होने वाले समस्त जैविक उत्पादों को **"अकाष्ठीय वनोपज"** के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य तौर पर फल-

फूल, छाल, गोंद, कन्द-मूल, शाकीय पौधे एवं पत्ती आदि को अकाष्ठीय वनोपज की श्रेणी में रखा जाता है। अकाष्ठीय वनोपज स्थानीय समुदायों की आजीविका में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

योजना आयोग, भारत सरकार के एक अध्ययन के अनुसार वनवासी परिवारों की कुल आमदनी का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा अकाष्ठीय वनोपज से प्राप्त होता है। अकाष्ठीय वनोपज का संग्रहण वनवासियों की उत्तरजिविता (Survival) की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर समाज के अतिनिर्धन एवं भूमिहीन परिवार, विशेषकर महिलाऐं रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के लिये अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। अतएव, संग्राहकों की आजीविकाओं को सुद्दढ करने के लिये अकाष्ठीय वनोपजों के प्रबंधन को संगठित करने के लिये प्रदेश में संग्राहकों के त्रिस्तरीय सहकारी संघ का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 1072 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एंव विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत हैं। अकाष्ठीय वनोपजोंका संग्रहण करनेवाले वनवासी परिवारों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में महुआ फूल, महुआ गुल्ली, आचार गुठली, सालबीज, नीमबीज, हर्रा, कुसुम लाख, पलाश लाख एवं करंजबीज के लिए शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। संग्राहको को समर्थन मूल्य देने के लिए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से वनोपजों का क्रय करने की व्यवस्था की जाती है। केवल तेंदूपत्ता एवं कुल्लू गोंद का संग्रहण एवं व्यापार सहकारी संघ द्वारा किया जाता है। तेंदूपत्ता प्रदेश में संग्रहित की जाने वाली अकाष्ठीय वनोपजों में सबसे अधिक महत्वूपर्ण है। मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम,1964 के माध्यमसे तेंदुपत्ते के व्यापार का विनियम करने एवं व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के प्रावधान किये गये हैं। व्यापार से हुए लाभ की अधिकतम राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों में प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहणएवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 5.29
तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरो में)
राशि करोड़ रूपये में

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रूपये./मा.बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख./मा.बो.)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रित मात्रा (लाख./मा.बो.)	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6
2016	1250	18.57	232.07	18.57	627.25
2017	1250	23.37	292.13	23.37	1339.37
2018	2000	19.14	382.80	18.67	900.72

5.81 म.प्र. राज्य वन विकास निगम :

निगम का गठन : राष्ट्रीय कृषि आयोग की अतंरिम रिपोर्ट (प्रोडेक्शन फारेस्ट्री मैन मेड फारेस्टम 1972) के आधार पर, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 31 अक्टूबर, 2006 से निगम की अधिकृत अंश पूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंश पूंजी रूपये 39.32 है जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रुपये 1.39 करोड़ एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रूपये 37.93 करोड़ है। स्थापना वर्ष से ही निगम लाभ में चल रहा है। वर्ष 2017-18 तक संचित लाभ रूपये 414.04 करोड़ है। वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नतालिका क्रमांक 5.31 में दिया गया है।

तालिका 5.30

काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाउ चटटे (नग)	बॉस (नो.टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रू. में)
2014-15	91762	94042	4874	195.48
2015-16	103651	98681	3429	238.94
2016-17	105193	95937	3139	225.80
2017-18	98353	103422	2250	246.32

6

उद्योग

विनिर्माण

नागरिकों के उपभोग में उद्योंगों से उत्पादित वस्तुओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है अत: अर्थ व्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगिकीकरण आवश्यक है । इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण तथा कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है। औद्योगीकरण से प्रति व्यक्ति आय में बढत के साथ कृषि पर रोजगार के लिये निर्भरता कम होती है। नागरिकों की सम्पन्नता के लिये त्वरित औद्योगीकरण आवश्यक है।

6.1 स्थिर भावों पर राज्य के सकल मूल्यवर्धन में द्वितियक क्षेत्र (उद्योग) का योगदान वर्ष 2011-12 के 27.09 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2016-17 में 24.15 प्रतिशत तथा वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 24.14 प्रतिशत आंका गया है। उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में घटते हुये अनुपात का असर प्रदेश की सम्पन्नता के लिये अच्छा नहीं है। विनिर्माण-क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 (त्वरित) के दौरान 6.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना : वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 180414 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई । वर्ष 2016-17 में स्थापित 87071 उद्योंगो की तुलना में वर्ष 2017-18 में 206142 उद्योग स्थापित हुये जो 136.75 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शातें हैं, जिसका विवरण **चित्र 6.1** में दर्शाया गया है

चित्र 6.1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना

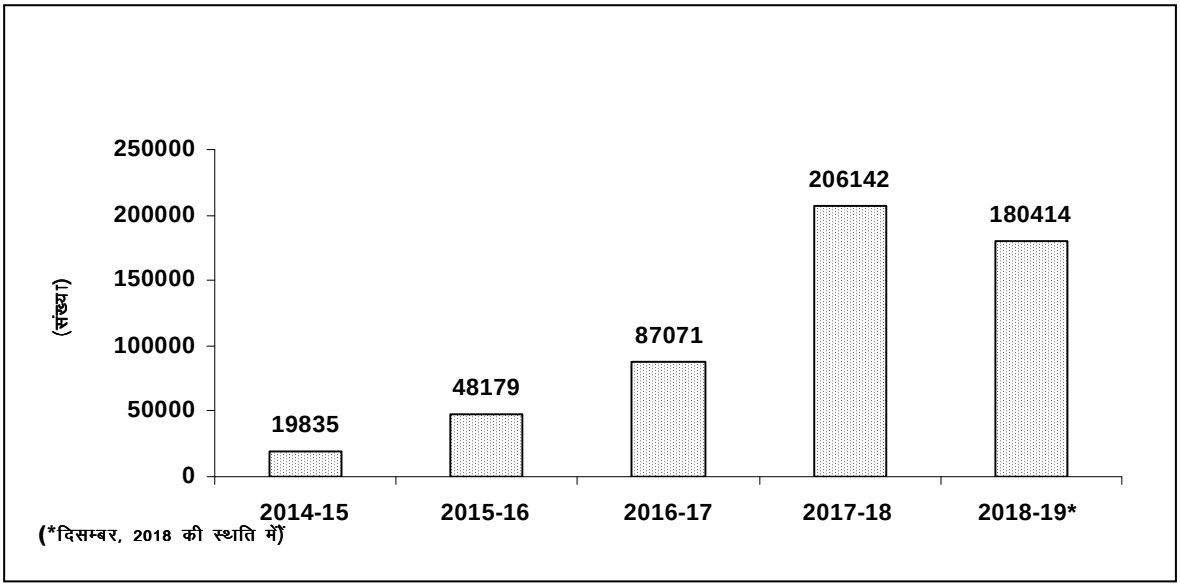

6.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों मे पूंजी निवेश : वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 13224 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में किया गया । वर्ष 2017-18 में 14402 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया जो वर्ष 2016-17 में हुए पूंजी निवेश से 50.85 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2014-15 से 2018-19 दिसम्बर 2018 तक किये गए पूंजी निवेश का विवरण **चित्र 6.2** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.2

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड़ रूपये

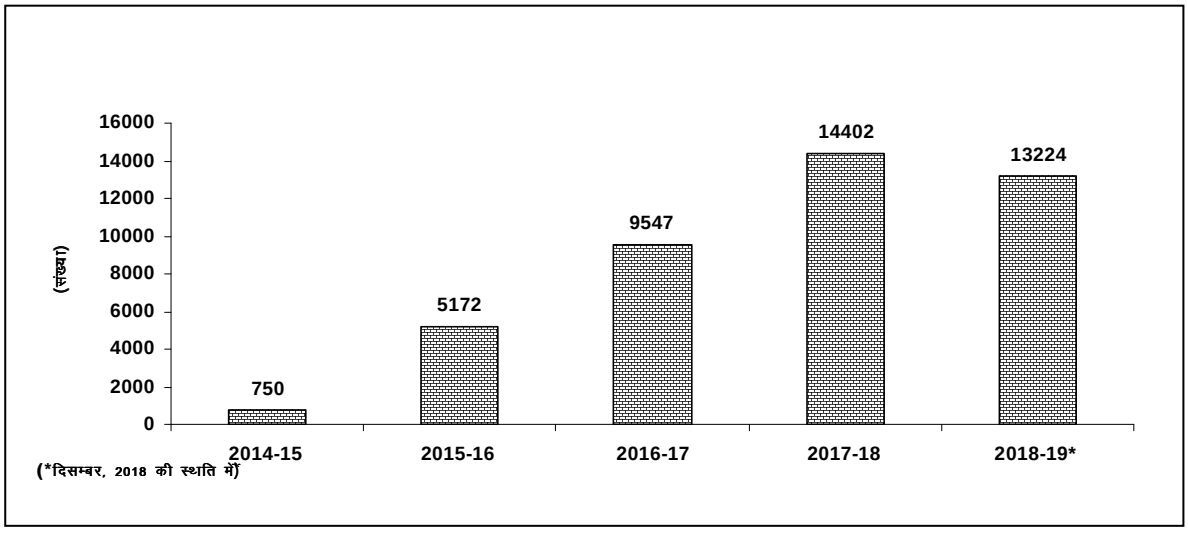

6.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार : वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में 718709 रोजगार निर्मित किये गये। वर्ष 2016-17 में निर्मित रोजगार की संख्या 363812 रही जो वर्ष 2017-18 में बढकर 596990 रही अर्थात निर्मित रोजगार में 20.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक निर्मित रोजगार का विवरण **चित्र 6.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.3

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार

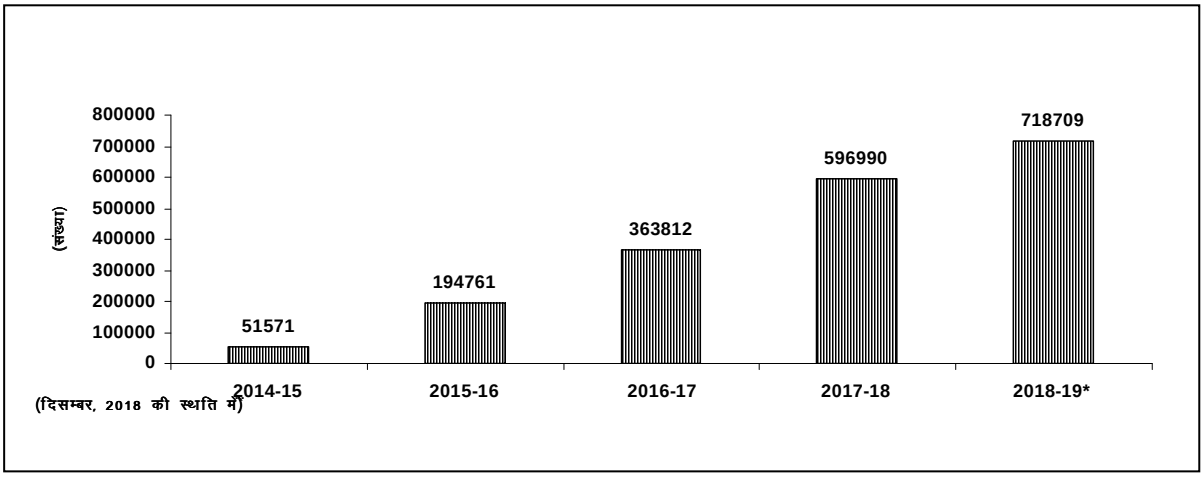

6.5 वित्तीय सहायता : उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 157.00 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म लघु एंव मध्यम विनिर्माण इकाइयों को प्रदान की गई जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 अंत तक रुपये 115.56 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम विनिर्माण इकाइयों को प्रदान की गई ।

अधोसंरचना विकास

6.6 एम.एस.ई-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु सैदधांतिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं :-

- **औधौगिक क्षेत्र फूड क्लस्टर बडौदी जिला शिवपुरी :-** शिवपुरी जिले में फूड क्लस्टर के विकास हेतु औदयोगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धातिंक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रूपये 1180.98 लाख है, जिसमें केन्द्रांश राशि रूपये 535.14 लाख राज्यांश राशि रूपये 645.84 लाख है । परियोजना में भारत सरकार द्वारा राशि

रू. 336.34 लाख प्राप्त हुई । राज्यांश की राशि रू. 600.00 लाख जारी की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है।

- **ग्राम करमदी जिला रतलाम में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर का विकास:-** रतलाम जिले में ग्राम करमदी में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धातिंक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू 2274.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें केन्द्राशं राशि रू. 600.00 लाख राज्यांश राशि रू. 400.00 लाख एवं अन्य राशि रुपये 1274.00 लाख है । परियोजना में भारत सरकार द्वारा राशि रु. 347.00 लाख प्राप्त हुई है तथा राज्यांश की राशि रू. 300.00 लाख जारी की गई है परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

6.7 ऑटो टेस्टिंग ट्रेक : आटो टेस्टिंग ट्रेक विकसित करने की परियोजना वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल आटोमोटिव्हस टेस्टिंग एवं आर.एण्ड.डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) की क्रियान्वयन संस्था NATRIP implementation society (NATIS) का गठन करके किया गया है। परियोजना हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई है। इस हेतु भू-अर्जन मुआवजा राशि रूपये 2058.22 करोड़ कलेक्टर, धार को भू स्वामियों को प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गई है । उक्त परियोजना हेतु 1405.43 हेक्टर निजी भूमि एवं 270.98 हेक्टर शासकीय भूमि का आधिपत्य क्रियान्वयन संस्था नेट्रिप को प्रदान किया गया हैं ।

6.8 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास : प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक विकास कार्यों हेतु रु. 27.85 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियांवयन संस्थाओं के पक्ष में प्रसारित की गई ।

हाथकरघा उद्योग

6.9 हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराता है। वर्ष 2017-18 में राज्य के लगभग 35222 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 20004 हाथकरघे कार्यशील रहे है। कार्यशील करघों पर राशि रुपये 11458.00 लाख रुपये के वस्त्रों का उत्पादन कर लगभग 45000 बुनकर/कारीगरों को

रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर, 2018 तक कुल 35222 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 20004 हाथकरघे कार्यशील रहे है । कार्यशील करघों पर लगभग राशि रुपये 8333.00 लाख रुपये के वस्त्रों का उत्पादन कर 45000 बुनकरों/कारीगरों को रोजगार समर्थन दिया जा रहा है।

6.10 मुख्यमंत्री स्व-रोजगार / आर्थिक कल्याण योजना : प्रदेश में वर्ष 2017-18 में नवीन मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एंव आर्थिक कल्याण योजना में लगभग 4528 शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया एंव वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर तक लगभग 3512 को रोजगार समर्थन दिया जा रहा है ।

वर्ष 2018-19 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम / उदयमी/ स्व-सहायता समूह/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग / युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण / प्रमोशन अभिलेखीकरण / कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना / हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैकेज / वेलफेयर पैकेज / हाथकरघा उदयोग विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अतंर्गत कुल वार्षिक लक्ष्य राशि रुपये 3598.45 लाख के विरुद्ध माह दिसंबर 2018 तक कुल राशि रुपये 2426.67 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जिसके अतंर्गत कुल 4889 हितग्राही/बुनकर/क्लस्टर/निगम लाभावंित हुए ।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास

6.11 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना म.प्र. लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1981 में हुई थी वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रूपये व प्रदत्त पूंजी 126.16 लाख रूपये है । वर्ष 2013 से निगम का नाम **"संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है। निगम के दायित्व में परम्परागत शिल्पियों व बुनकरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षित शिल्पियों व बुनकरों को अनुदान पर उन्नत उपकरण उपलब्ध कराना सम्मिलित है। निगम द्वारा शिल्पियों को बाजार की मांग से अवगत कराने युवा वर्ग का रुझान बढाने के लिये रुपांकन व तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

6.12 विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों को विपणन में सहायता देने के लिये निगम द्वारा 24 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर स्थित है। एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है। वर्ष 2017-18 में एम्पोरियमों के माध्यम से रुपये 1237.04 करोड़ के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई । वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 तक

एम्पोरियमों द्वारा रुपये 836.49 लाख के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की जा चुकी है। निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये देश भर में लगाई गई प्रदर्शनियों के माध्यम से वर्ष 2017-18 में शिल्पियों व बुनकरों द्वारा लगभग राशि रुपये 965.09 करोड़ की बिक्री की गई। वर्ष 2018-19 में दिसंबर, 2018 तक 46 प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिसमें राशि रुपये 865.47 लाख का विक्रय किया गया एंव एम्पोरियमों से रुपये 836.49 लाख का विक्रय किया गया ।

6.13 शासकीय प्रदाय : भण्डार क्रय नियमों की कण्डिका 14 अ के अंतर्गत यह निगम आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रदायकर्ता अभिकरण है । निगम द्वारा हाथकरघा क्लस्टर्स में भारत शासन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के यार्न डिपों संचालित किये जा रहे है । आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प से प्राप्त आदेश व उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार निगम, बुनकर समितियों/संस्थाओं को यार्न बिक्री करता है । वर्ष 2017-18 में 193.12 लाख रूपये के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये एवं वर्ष 2017-18 में एंव वर्ष 2018-19 में जनवरी 2019 तक राशि रुपये 497.02 लाख प्रदाय किये गये ।

शिल्पियों की सहायता के लिये निगम द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों एंव सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 29 विकास सह संग्रहण केन्द्र/सामान्य सुविधा केन्द्र/विपणन सह विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

निगम के अंतर्गत चलाई जी रही विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 1852.54 लाख आंवटन के विरुद्ध 13075 शिल्पियों को कार्य करने हेतु रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध माह दिसंबर 2018 तक राशि रुपये 1209.51 लाख व्यय कर 6061 शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

रेशम उद्योग

6.14 रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को रोजगार का एक वैकल्पिक लाभदायक साधन उपलब्ध करा कर उनकी आजीविका को सुदृढ करना है। रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियॉ संचालित हैं ।

वर्ष 2017-18 में 20.00 लाख किलो मलबरी कोया तथा 2000.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 41733 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 6.89 लाख किलो मलबरी कोया एवं 196.26 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ तथा 10773 हितग्राही लाभान्वित हुये। वर्ष 2017-18 में 531 हेक्टर क्षेत्र में मलवरी पौधरोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 208 हेक्टर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 33.2 हेक्टर, कुल 241.2 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया।

वर्ष 2018-19 में 7.51 लाख किलो मलबरी कोया तथा 502.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 11527 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है,

रेशम संचालनालय के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 के लक्ष्य एंव उपलब्धि को निम्न **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.1
रेशम उत्पादन

विवरण	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	वर्ष 2018-19 (माह दिसंबर 2018 तक)
मलबरी कोया उत्पादन (किलोग्राम में)	701900	689300	(-) 1.79	410100
टसर कोया उत्पादन (लाख नग में)	288.83	196.26	(-) 32.05	25.54

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ।

6.15 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना : योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इकाईयों की स्थापना हेतु 455 इकाईयों को राशि रुपये 1960.26 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 5503 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर, 2018 तक 234

इकाईयों में 959.46 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 2879 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

6.16 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : योजना के अंतर्गत विनिर्माण एंव सेवा के क्षेत्र में न्यूनतम 20,000 रुपये से अधिकतम 10 लाख रुपये की लागत से स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जाता है। योजना के अतंर्गत परियोजना लागत पर बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/ महिला/ अल्प संख्यक/ नि:शक्तजन हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान राशि की पात्रता है तथा परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25,000 रूपये प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय है। वर्ष 2017-18 में 3611 इकाईयों में 4019.29 लाख रूपये अनुदान वितरण किया गया है। वर्ष 2018-19 में 2550 इकाईयों में रूपये 4098.61 लाख का अनुदान वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह दिसंबर, 2018 तक 1919 इकाईयों में राशि रुपये 2194.46 लाख अनुदान वितरण किया गया है।

6.17 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना में विनिर्माण एंव सेवा के क्षेत्र में स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी, गरीबी रेखा की सूची में शामिल आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हितग्राहियों का परियोजना लागत अधिकतम रुपये 50.00 हजार जिसमें 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 15.00 हजार अनुदान का प्रावधान है । वर्ष 2017-18 में 1981 इकाइयों में रुपये 285.31 लाख अनुदान वितरण किया गया है । योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में 2450 इकाइयों में रुपये 356.40 लाख का अनुदान वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह दिसंबर 2018 तक 882 इकाइयों में राशि रुपये 129.23 लाख अनुदान वितरण किया गया ।

6.18 खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 15 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 में 373.43 लाख रूपये का उत्पादन किया गया और 295 कताई कर्ताओं/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर, 2018 तक रुपये 379.86 लाख का उत्पादन किया गया एवं 398 कत्तिन बुनकरों को रोजगार दिया गया है।

6.19 खादी एंव ग्रामोद्योग विक्रय : प्रदेश में संचालित कुल 14 विक्रय एम्पोरियमों द्वारा वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 672.55 लाख की खादी एंव ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय किया

गया । वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर 2018 तक रुपये 540.54 लाख का विक्रय किया गया है ।

पर्यटन

6.20 पर्यटन : संरक्षित वन क्षेत्र एंव वन्य प्राणी, ऐतिहासिक भवन, मंदिर एंव धार्मिक महत्व के स्थल मध्यप्रदेश में पर्यटन के आर्कषण के प्रमुख केन्द्र हैं। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आजीविकाओं को सुद्धढ करने की अपार संभावनाओं को देखते हुये राज्य शासन इस क्षेत्र को अत्यंत महत्व प्रदान करता है। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी, निवेशकों को आकर्षित करने, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन दिनांक 22 फरवरी 2017 को किया गया। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत पर्यटन संवर्धन इकाई, पब्लिकसिटी, योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन आदि शाखायें कार्यरत हैं ।

6.21 प्रदेश में समग्र पर्यटन हेतु नीतियों का निर्धारण:- प्रदेश के पर्यटन विकास व पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश आकर्षित करने के उदेश्य से पर्यटन नीति 2016 जारी की गई जिसे वर्ष 2018 में संशोधित करके सी-प्लेन, एमफीबियन पर्यटक वाहन, एयरो स्पोटर्स एंव एयरो स्पोटर्स ट्रेनिंग सेंटर / अकादमी, हेरिटेज कैफेटेरिया / मोटेल आदि पर्यटन परियोजनाओं की सूची में जोडा गया एंव पूंजीगत अनुदान पात्रता प्रदान की गई । मध्यप्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों को बढावा देने के लिये एक पृथक सेटअप मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत क्रियाशील है ।

1. **जल पर्यटन :-** प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लायसेंस देने की नीति तहत प्रदेश के अधिसूचित 22 जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को मोटर बोट, हाउस बोट, क्रूज, पैरासेलिंग, स्पीड बोट एंव वॉटर स्पोटर्स हेतु लायसेंस जारी किये जा रहे हैं ।
2. **एडवेंचर एंव कैम्पिंग नीति :-** निजी निवेशकों को प्रदेश के अधिसूचित वन क्षेत्रों की अतिरिक्त भूमियों पर कैम्पिंग एंव साहसिक पर्यटन से संबधित गतिविधियों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराने की नीति लागू की गई है जिसके तहत निजी निवेशक पर्यटन विभाग की भूमि पर कैंम्पिग, ट्रैकिंग, पैरा-सेलिंग / पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग,सायकिल सफारी, रॉक-क्लाइम्बिंग आदि विभिन्न गतिविधियों की स्थापना एंव संचालन हेतु 5-15 वर्ष की अवधि के लिये लाइसेंस पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । जिससे स्थानीय पर्यटन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

6.22 मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018):- पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, परम्पराओं एवं भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा एंव स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढाने के लिये होम स्टे इकाइयों को उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर सिल्वर, गोल्ड एंव डायमंड श्रेणी में विभाजित कर के राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है।

6.23 निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना एंव निजी निवेशकों को भूमियों का निवर्तन :- 22 स्थलों पर 69.92 हेकटर भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में आंवटित / हस्तांतरित कराई गई है। 04 भूमियां इस नीति के अनुसार निजी निवेशकों को आंवटित की गई जिनमें प्रसिद्ध समूह महिन्द्रा हॉलीडे, जहानुमां पैलेस होटल लिमिटेड, सृष्टि वेंचर्स प्रमुख हैं ।

6.24 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को हेरिटेज परिसम्पतियों का बैंक तैयार करना व निवर्तन :- निजी क्षेत्र के माध्यम से हेरिटेज होटल के रूप में विकास कर संचालन हेतु हेरिटेज परिसंम्पत्तियों का बैंक बनाया गया है । वर्ष के दौरान 07 हेरिटेज परिसम्पत्तियों (क्योटी फोर्ट रीवा, रॉयल होटल जबलपुर, विजयराघवगढ फोर्ट कटनी, श्योपुर फोर्ट श्योपुर, नरवर फोर्ट शिवपुरी, लुनेरा की सराय माण्डू, बलदेवगढ फोर्ट टीकमगढ) को डी-नोटिफाइड किया गया है तथा 03 शासकीय परिसम्पत्तियां (महेन्द्र भवन पन्ना, मोतीमहल ग्वालियर, अजयगढ रेस्ट हाउस पन्ना) पर्यटन विभाग को आवंटित हुई है। हेरिटेज परिसम्पत्ति राजगढ पैलेस, दतिया को होटल के रूप में विकास एंव संचालन हेतु **लैटर ऑफ अवार्ड** जारी किया गया ।

6.25 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को मार्ग सुविधा केन्द्रों (WSA) का निवर्तन :- मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के तहत इस वर्ष के दौरान ब्राउन फील्ड की 11 मार्ग सुविधा केन्द्र निजी निवेशकों को आंवटित कर लीज अनुबंध निष्पादित किये गये तथा 06 मार्ग सुविधा केन्द्रों को फ्रेंचाइजी हेतु निजी निवेशकों के साथ अनुबंध निष्पादित किये गये हैं ।

6.26 निजी निवेश से स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को पूंजीगत अनुदान का प्रदाय :- वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान के रुप में 10 इकाइयों को नवीन डीलक्स / स्टार होटल, स्टेंडर्ड होटल, रिसॉर्ट, मार्ग सुविधा केन्द्र स्थापना हेतु राशि रु. 19.20 करोड़ पूंजीगत अनुदान का भुगतान किया गया जिससे प्रदेश में राशि रु. 202.00 करोड़ का निवेश हुआ तथा लगभग 3000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ।

6.27 जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन :- जिलों में वीकेंड एंव स्थानीय पर्यटन को बढावा देने, सांस्कृतिक एंव पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एंव संचालन के लिये राज्य के समस्त 51 जिलों में संबधित जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संवर्धन परिषद गठित की गई है।

6.28 कौशल विकास एवं रोजगार:- पर्यटन क्षेत्रक में प्रशिक्षण एंव कौशल विकास हेतु प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय तथा इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम हेतु 1620 सीटस की अनुमति प्राप्त है, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1382 छात्र अध्ययनरत हैं। विगत 2 वर्षों से 911 छात्रों को विभिन्न संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

6.29 प्रदेश में पर्यटक आगम संख्या:- वर्ष 2017-18 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को राशि रूपये 10404.64 लाख पर्यटन आय के रूप में प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी 2019 तक राशि रूपये 8972.19 लाख की आय प्राप्त हुई है। इस दौरान वर्ष जनवरी 2018 से माह अक्टूबर 2018 तक 6.90 करोड़ भारतीय एवं 2.88 लाख विदेशी, इस प्रकार कुल 6.93 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आए।

6.30 प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान:- मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्राप्त हुए है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष मध्यप्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान किये गये जिसमें पहली बार दिया जानेवाला **"Hall of Fame"** अवार्ड सम्मिलित है। यह अवार्ड पहली बार ऐसे राज्य को दिया गया है जिसने पिछले 3 वर्षों में लगातार श्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया हो। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक एवं सिंहस्थ ब्रोशर को प्रकाशन में श्रेष्ठता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

खनिज

6.31 राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है । खनिज संसाधनो में प्रचुरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। हीरा एंव मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, चूना पत्थर एंव रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 2141.27 करोड़ रूपये (अंनतिम) हुआ जो

गत वित्तीय वर्ष में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 1814.5 करोड़ रूपये से 18 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि / कमी का वर्षवार विवरण **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.2

प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2015-16	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2016-17 (स)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2017-18 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	1077.14	(+) 22.96	1050.13	(-) 2.50	1122.39	(+) 6.88
बाक्साइट	6.84	(-) 17.78	6.76	(-) 1.16	5.81	(-) 14.05
ताम्र अयस्क	25.36	(+) 6.59	24.15	(-) 4.77	23.39	(-) 3.15
आयरन ओर	24.47	(-) 41.64	17.72	(-) 27.58	26.79	(+) 51.18
मैगनीज अयस्क	7.66	(-) 12.75	6.50	(-) 15.14	8.31	(+) 27.85
रॉक फास्फेट	0.66	(-)16.46	1.49	(+) 125.75	1.13	(-) 24.16
हीरा (कैरेट)	36044	(-) 0.17	36491	(+) 1.24	39699	(+) 8.79
चूना पत्थर	394.30	(-) 0.25	361.64	(-) 8.28	427.44	(+) 18.19

(स्रोत:- आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित mineral year book)

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयले के उत्पादन में 6.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बाक्साइड, ताम्र अयस्क, रॉक फॉस्फेट में क्रमश: 14.05, 3.15 प्रतिशत की कमी परिलक्षित रही तथा आयरन ऑर,

मैंगनीज अयस्क, हीरा तथा चूना पत्थर में क्रमश: 51.18, 27.85, 8.79 तथा 18.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 51.18 प्रतिशत की वृद्धि लोह अयस्क के उत्पादन में दर्ज की गई है । हीरे का उत्पादन 2016-17 में 36491 कैरेट था, जो वर्ष 2017-18 में बढकर 39699 कैरेट हो गया।

बाक्स 6.1

खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन

वर्तमान में गौण खनिज की रियायतें (गौण खनिज रेत को छोडकर) उत्खनन पट्टा अथवा व्यापारिक खदान के रूप में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत/अनुबंधित की जाती है। भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.02.2015 से 31 मुख्य खनिजों को गौण खनिज घोषित किया गया है । मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में दिनांक 13.02.2015 से संशोधन किया जाकर इन 31 खनिजों को अनुसूची - 5 के रूप में शामिल किया गया है। गौण खनिज रेत के निर्वतन हेतु म.प्र. रेत खनन नीति 2017 तथा म.प्र. रेत नियम 2018 बनाये गये है । इनके प्रावधानों के अधीन प्रदेश की समस्त असंचालित रेत खदानों का संचालन पंचायतों / नगरीय निकायों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रायल्टी, डेड रेंट, सरफेस रेंट, ब्याज और शास्तियों से प्राप्त होने वाले राजस्व को वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधानों के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ऐसी आवंटित रकम का उपयोग पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सचिव, ग्राम पंचायत के मानदेय के भुगतान तथा अधोसंरचना विकास में करता है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2015 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप दिनांक 12.01.2015 से पूर्व स्वीकृत खनिपट्टों से उनके द्वारा देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी की 30 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराया जाता है। इस मद में प्राप्त राशि का उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2015 से अधिनियम में संशोधन कर यह भी प्रावधान लाया गया है कि मुख्य खनिज के पट्टाधारियों को देय रायल्टी के अलावा 2 प्रतिशत की राशि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में जमा करना होगी। इस राशि का उपयोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों की खोज के लिए किये जाने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 4350.00 करोड़ रूपये रखा गया था, जिसके विरूद्ध राजकोष में 4284.44 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां हुई ।

6.32 खनिज अन्वेषण : खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण उपरांत खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निवर्तन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 05 खनिज खण्डों की नीलामी से ऑक्शन प्रीमियम के रूप में आंकलित संसाधन मूल्य 3517 करोड़ रुपये विरुद्ध 3597.00 करोड़ रुपये राज्य शासन को प्राप्त होगें। पटटा अवधि में 563 करोड़ रॉयल्टी को जोडकर 05 खनिज खण्डों की नीलामी से विभाग को पटटा अवधि में 4160 करोड़ की राजस्व आय अर्जित होगी।

6.33 प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार : वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक प्रदेश के कुछ जिलों में डोलोमाइट, चूनापत्थर, बॉक्साइड तथा लेटेराइट के खनिज भण्डारों का पूर्वेक्षण कार्य किया जाकर भण्डारों का आंकलन किया गया है । राज्य में आंकलित भण्डारों का वर्षवार विवरण **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.3

नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार

(मिलियन टन)

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2013-14	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.07
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2014-15	1	चूना पत्थर	सतना	15.00
2015-16	1	चूना पत्थर	धार	24.78
2016-17	1	चूना पत्थर	धार	36.18
	2	चूना पत्थर	रीवा	4.00
	3	चूना पत्थर	सतना	6.00
	4	बाक्साइट	डिण्डोरी	12.03
	5	लेटेराइट	डिण्डोरी	23.46
2017-18	1	चूना पत्थर	धार	15.28
	2	चूना पत्थर	रीवा	5.00
	3	चूना पत्थर	सतना	22.0
	4	बाक्साइट	डिण्डोरी	0.18
	5	लेटेराइट	डिण्डोरी	0.45

6.34 प्रदेश के प्रमुख खनिज भण्डारों की जानकारी : राज्य में प्रमुख खनिजों की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध हैं । खनिज भण्डारों का वर्ष 2015 एंव 2017 की स्थिति का विवरण **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4

प्रदेश के खनिज भण्डार

खनिज	2015	
	इकाई	कुल भण्डार
हीरा	मिलियन कैरेट	28.70
पायरोफिलाइट	मिलियन टन	28.55
डोलोमाइट	मिलियन टन	2311.39
मेंगनीज अयस्क	मिलियन टन	57.71
कोयला	मिलियन टन	27673.00
चूना पत्थर	मिलियन टन	9341.58
रॉकफॉस्फेट	मिलियन टन	58.05
डायस्पोर	मिलियन टन	7.56
कॉपर	मिलियन टन	283.42

स्त्रोत- भारतीय खान ब्यूरो खनिज पुस्तक ।

7

अधोसंरचना

अधोसंरचना विकास प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों की गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिये आवश्यक है । विगत पॉच वर्षो में प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है । प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है । उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजमार्गों के उन्नयन कार्य में तेजी आई है । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

ऊर्जा

नब्बे के दशक में विद्युत उपलब्धता और मांग में अंतर बढता गया तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी गिरावट आई । वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की आस्तियों, दायित्वों, लेनदारी एवं देनदारी का बटवारा होने के उपरांत प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों में भी वृद्धि हुई । प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को वित्तीय एवं विद्युत कमी के संकट से उबारने के लिए सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई ।

7.1 संस्थागत सुधार : विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद्ध स्वरूप का पुनर्गठन किया गया तथा उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कम्पनियों का गठन जुलाई, 2002 में किया गया।

सभी विद्युत कंपनियां यथा म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई है । विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत के थोक व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया । पावर ट्रेडिंग कंपनी का मूल कार्य तीनो वितरण कंपनियों के लिए विद्युत की व्यवस्था करना है। कंपनी का नाम 10 अप्रैल, 2012 को परिवर्तित कर एम.पी पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किया गया एवं विद्युत वितरण के कार्यो को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया । म.प्र.

राज्य विद्युत मंडल का पावर मेनेजमेंट कंपनी में 26 अप्रैल, 2012, को विलय कर दिया गया है, तथा मंडल अब अस्तित्व में नहीं है । उर्जा विभाग के अधीन इन कम्पनियों की सरंचना **बॉक्स 7.1** में दर्शाया गया है ।

बॉक्स 7.1

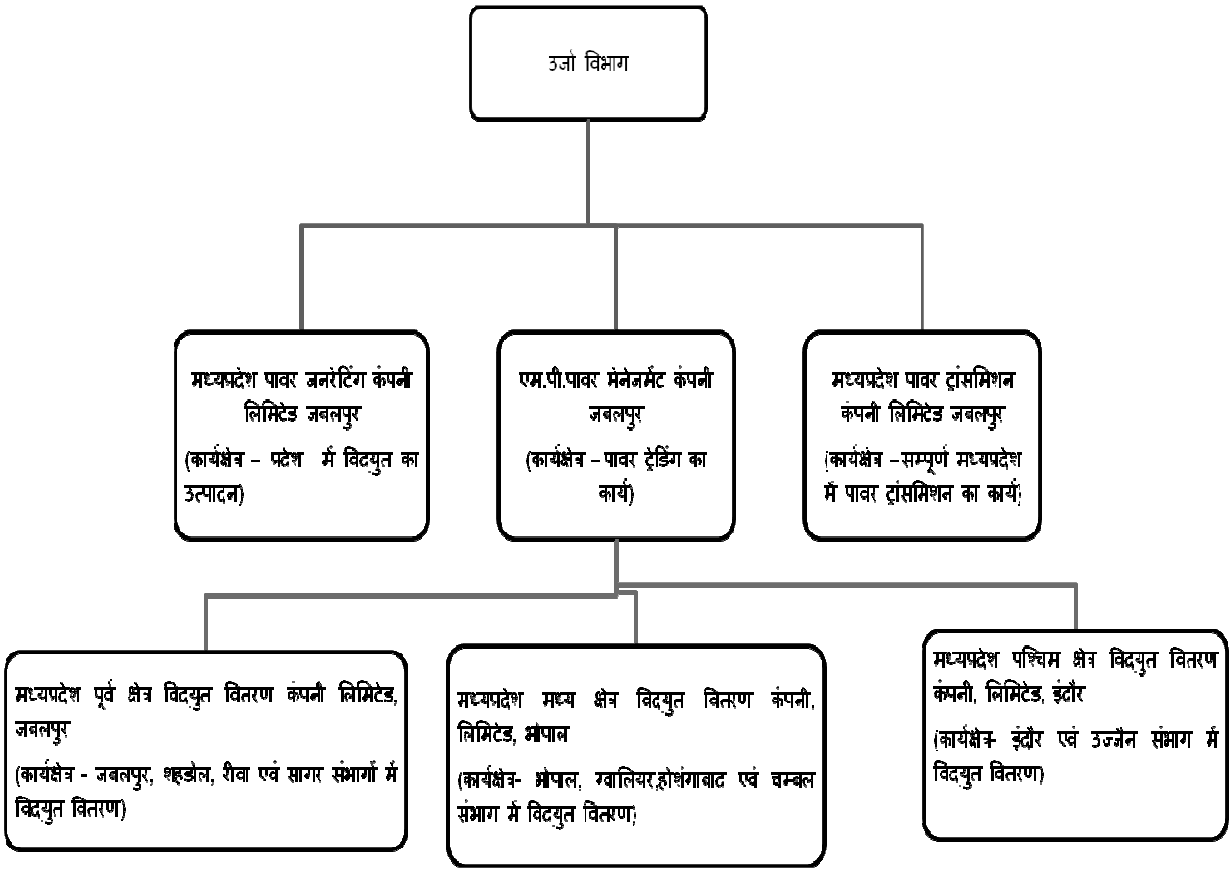

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमन कार्यो के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गयी थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत कंपनियां आयोग द्वारा विनियमित संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं तथा कंपनियों व्दारा प्रेषित राजस्व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा जन सुनवाई के उपरांत विद्युत दरों के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश जारी किये जाते है । इन टैरिफ आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों के युक्ति-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये हैं।

7.2 विद्युत उपलब्धता : दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है। माह नवंबर 2018 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1
उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह नवंबर 2018 की स्थिति में)

विद्युत उत्पादन	उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)
1.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (ताप विद्युत गृह)	4740
2.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (जल विद्युत गृह)	917
3.संयुक्त उपक्रम जल परियोजना, (नर्मदा प्रोजेक्ट एवं अन्य जल विद्युत गृह)	2426
4.केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त अंश	3678
5.निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश	3397
6.अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत एवं अन्य	3502
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता	**18660**

राज्य सरकार ने विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हेतु आगामी वर्षों हेतु एक समग्र योजना बनाई है, जिस पर क्रियान्वयन प्रगति पर है । योजना का वर्षवार विवरण **तालिका 7.2** में दर्शाया गया है । क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा दिनांक 17.11.2018 को श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण का इकाई क्रमांक 3 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ किया गया है। यह राज्य क्षेत्र की सबसे अधिक क्षमता की इकाई है।

तालिका 7.2
विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना

नवंबर 2018 की स्थिति में

वर्ष	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की परियोजनाओं से	केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से	निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से	अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत से	कुल विद्युत उपलब्धता (मेगावाट)
2018-19	1320*	661**	-	875***	2856
2019-20	-	464	-	590	1054
2020-21	-	660	-	1390	2050
2021-22	-	-	-	1495	1495
कुल	**1320**	**1785**	**-**	**4350**	**7455**

* वर्ष 2018-19 में 660 मेगावाट क्षमता वृद्धि की गई।

** वर्ष 2018-19 में 40 मेगावाट क्षमता वृद्धि की गई।

*** वर्ष 2018-19 में 236 मेगावाट क्षमता वृद्धि की गई।

7.3 विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत वर्षो से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण **तालिका 7.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.3

विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)

वर्ष	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			संयुक्त उपक्रम जल परियोजना			केन्द्रीय इकाईयों एवं डी.वी.सी से	निजी क्षेत्र अपारंपरिक एवं अन्य	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)
	ताप विद्युत	जल विद्युत	कुल	इन्दिरा सागर	सरदार सरोवर	ओंकारेश्वर			
2013-14	14180	3655	17835	4049	3250	1620	20576	6281	51116
2014-15	15231	2720	17951	2543	1621	1121	22104	12610	56199
2015-16	16927	2033	18960	1940	1194	953	22144	19979	62775
2016-17	13193	2930	16123	3253	1785	1417	20657	21167	61115
2017-18	16581	1524	18105	837	519	442	23337	25731	66359

विद्युत वितरण कंपनियों को एक्स-बस आपूर्ति, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति एंव अन्य संस्थाओं को विक्रय की गई विद्युत सम्मिलित नहीं है।

वर्ष 2016-17 के समान ही वर्ष 2017-18 में भी विद्युत की संपूर्ण मांग की आपूर्ति की गई।

7.4 विद्युत मांग : नवबंर 2018 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 18660 मेगावाट हो चुकी है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त विद्युत क्षमता सम्मिलित हैं। रबी के मौसम (अक्टूबर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग में लगभग 4000 से 5000 मेगावाट की वृद्धि होती है। रबी के मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमश: लगभग 8000 मेगावाट एवं 14000 मेगावाट रहने की संभावना है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारू व्यवस्था के लिये विद्युत बैंकिग का उपयोग भी किया जाता है। प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है तथा भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी।

7.5 विद्युत विक्रय : वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में 6.28 प्रतिशत अधिक विद्युत का विक्रय हुआ। वर्ष 2013-14 से 2017-18 में विद्युत विक्रय की स्थिति **चित्र 7.1** में दर्शायी गई है :

चित्र 7.1

विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)

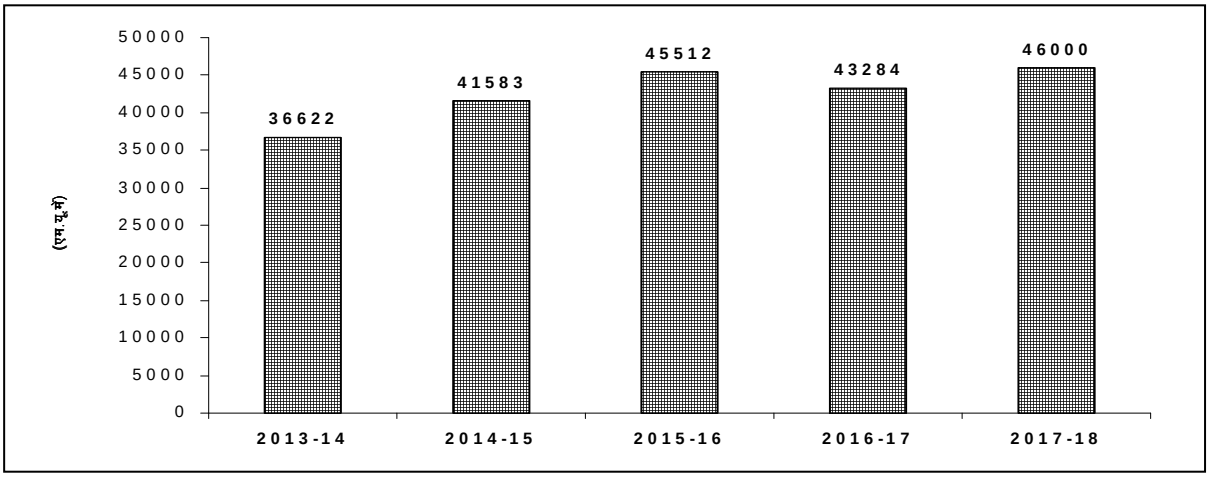

7.6 अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति : विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है । वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की विद्युत मांग आपूर्ति **चित्र 7.2** में दर्शायी गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 8 दिसंबर, 2018 को सर्वाधिक 13474 मेगावाट अधिकतम मांग की आपूर्ति दर्ज की गई है, जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है।

चित्र 7.2

अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति (मेगावाट में)

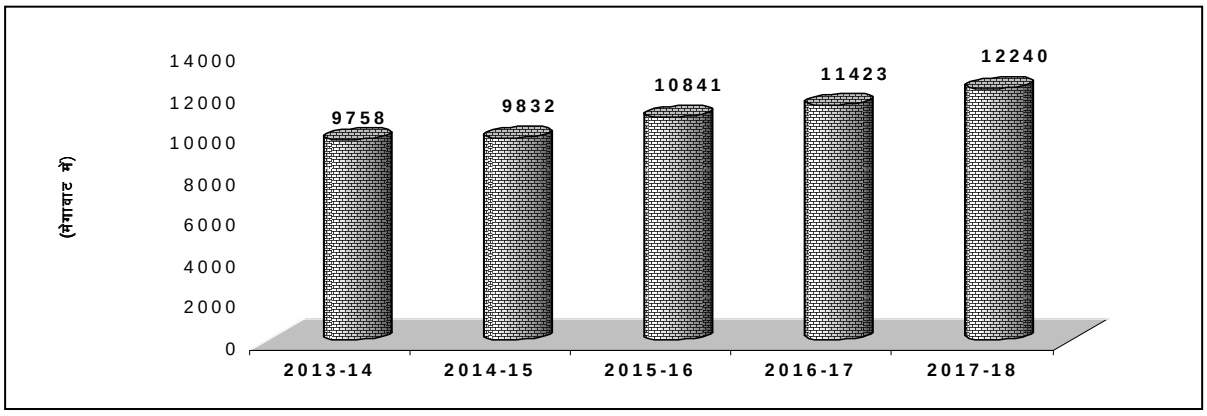

7.7 विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट : वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक प्रदेश विद्युत वितरण प्रणाली में किये गये इनपुट का विवरण **चित्र 7.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.3

विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट

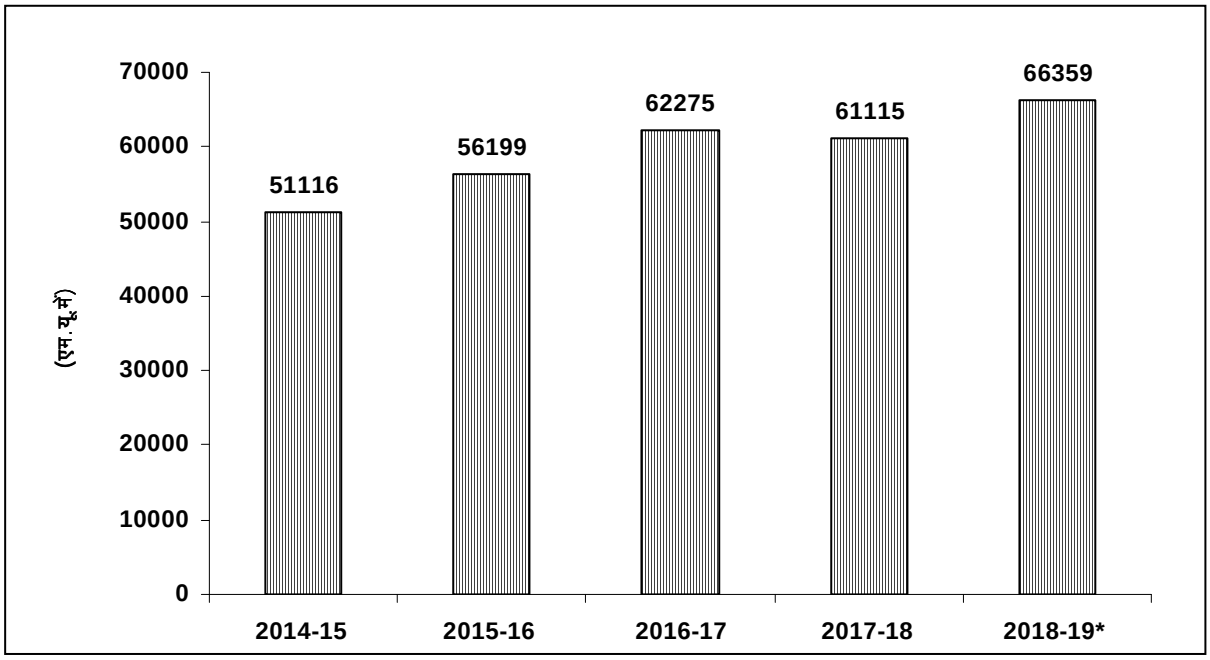

7.8 विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अधोसंरचना सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु विद्युत कम्पनियों के लिये धन की व्यवस्था भी की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विद्युत कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है । विगत वर्षो में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा राज्य शासन के बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के तहत् विभिन्न अधोसंरचना के कार्य विद्युत कंपनियों द्वारा निष्पादित किये जा रहें है । परिणाम स्वरूप पारेषण नेटवर्क की क्षमता वर्ष 2003-04 के 4500 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2018 में 16200 मेगावाट हुई है । यह वृद्धि लगभग 260 प्रतिशत है । उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के विगत वर्षो में किये गये कार्यो के फलस्वरूप वितरण अधोसंरचना में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में उपभोक्ताओं की संख्या 64.42 लाख थी जो बढ़कर मार्च 2018 में 143.23 लाख हो गई ।

7.9 श्रेणीवार विद्युत का उपयोग : वर्ष 2017-18 में विद्युत उपयोग के अन्तर्गत सर्वाधिक विद्युत उपभोग 39.7 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया गया है । इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन

हेतु विद्युत उपभोग का प्रतिशत 24.2 रहा है । वर्ष 2013-14 से 2017-18 में विभिन्न क्षेत्रों मे विद्युत के श्रेणीवार उपयोग को **चित्र 7.4** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.4
विद्युत का उपयोग

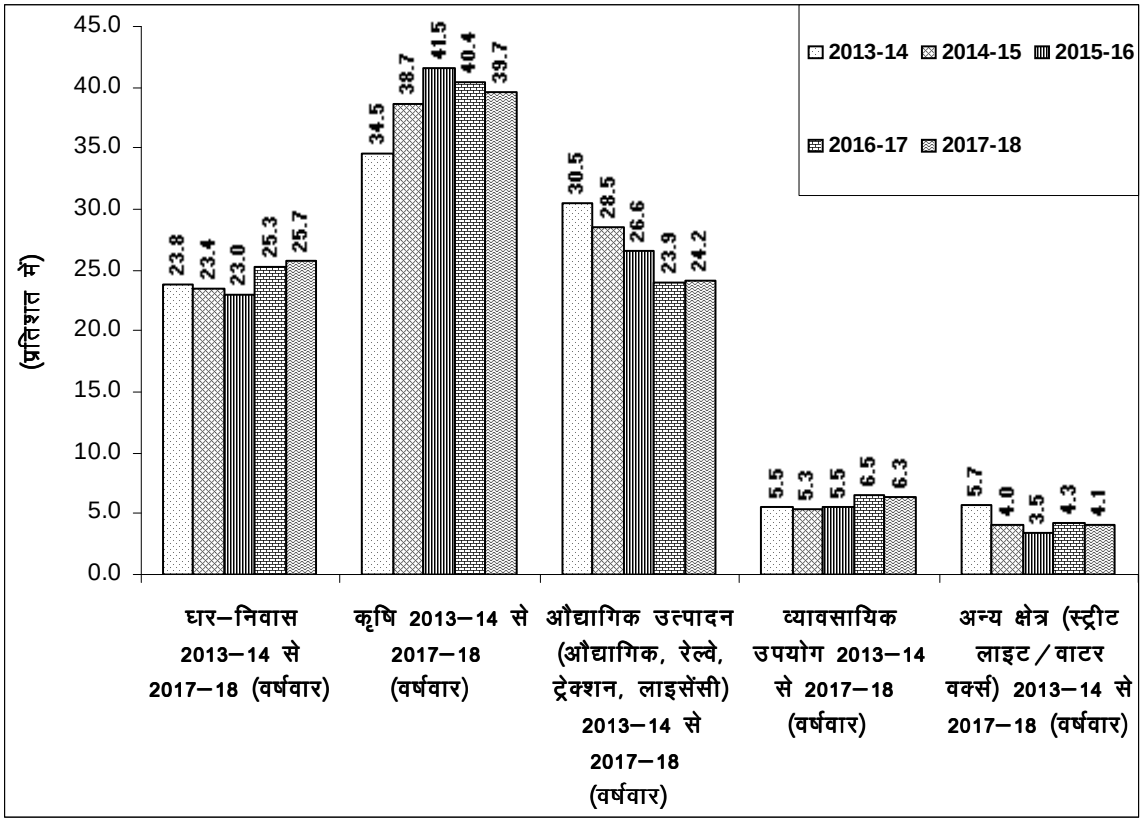

7.10 ग्रामीण विद्युतीकरण : 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रुपये 1402.22 करोड़ लागत की 34 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई जिससे 151 अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण, 17917 मजरों/टोंलों सहित ग्रामों में सघन विद्युतीकरण एंव 4.86 लाख बीपीएल हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

``दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना`` के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण,वितरण प्रणाली सुदृणीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु रुपये 2865 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना में 17734 मजरों/टोलों सहित ग्रामों का सघन विद्युतीकरण के प्रावधान के साथ 140, 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र 23683 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 22746 कि.मी. एल.टी. लाईन के

कार्य, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 46 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है, जिनमें से 58, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों, 11208 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 15616 कि.मी. एलटी लाईन एंव सभी 46 सांसद आदर्श ग्रामो में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.11 उदय योजना : विद्युत वितरण कंपनियों की संचित हानियों एंव बकाया ऋणों में हुई वृद्धि के निराकरण एंव वितरण कंपनियों की वित्तीय साध्यता के लिये भारत सरकार की **उज्जवल डिस्कॉम एंश्योंरेंस योजना (उदय)** में सम्मिलित होने के लिये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 10 अगस्त, 2016 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है । उदय योजनांतर्गत वितरण कंपनियों की संचालन दक्षता में सुधार लाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसके तहत राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों पर कार्यशील पूंजी, पूंजीगत तथा सतत ऋणों के विरुद्ध कुल बकाया राशि रुपये 26055 करोड़ का अधिग्रहण 5 वर्षों में करने हेतु रुपये 7568 करोड़ की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जाएगा तथा शेष राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित की जाएगी । अब तक इसमें से रुपये 7568 करोड़ की राशि अंशपूंजी एंव रुपये 4622 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। योजनांतर्गत शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग, जी.आई.एस. मैपिंग के कार्य भी स्थापित किये जाने है।

7.12 एनर्जी आडिट : वाणिज्यिक हानियो मे कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी.,33 के.व्ही.एवं 11 के.व्ही. फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है । संभागीय स्तर तक निरन्तर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। डी.टी.आर. स्तर तक मीटरीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में ए.टी.एंड सी.हानियां 32.77 एंव ट्रांसमीशन हानियां 2.75 प्रतिशत के स्तर तक लाई गई है ।

7.13 राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है जिसका वर्षवार विवरण **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.4

राजस्व प्राप्ति (राज्य शासन से प्राप्त सब्सिडी मिलाकर)

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल
2013-14	5297	5011	6985	17293
2014-15	6787	6044	8367	21198
2015-16	7386	6808	9549	23743
2016-17	7567	7228	10703	25498
2017-18	8500	8398	12141	29039

7.14 उपभोक्ता सर्विस के सुधार हेतु कदम : विद्युत कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियामक आयोग द्वारा विद्युत सप्लाई कोड लागू किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीनों वितरण कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये गये हैं। विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत एक लोकपाल की नियुक्ति की गई ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही से संतुष्ट नही होने की स्थिति में लोकपाल के समक्ष अपील कर सकें। नवीन कनेक्शनों के लिये ऑनलाईन सेवा प्रारंभ की गई है तथा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेओं की संख्या न्यूनतम की गई है।

7.15 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर-घर योजना (सौभाग्य) : केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 11.10.2017 को आंरभ की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत सभी घरों को दिसंबर 2018 तक विद्युतीकृत किया जाना था। योजना में केन्द्र शासन द्वारा 60 प्रतिशत राशि तथा राज्य शासन/वितरण कंपनियों से 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। **22 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश द्वारा इस योजना में लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई।**

7.16 पंजीकृत श्रमिकों के हित में लागू योजनायें :

1. **सरल बिजली बिल स्कीम :** 1 जुलाई 2018 से लागू इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के साथ ही संनिर्माण कर्मकारों को उनके घरेलू संयोंजनों के लिये बिना कनेक्शन प्रभार लिये नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इस योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 62 लाख है।

2. **बकाया बिजली बिल माफी स्कीम - 2018** : 1 जुलाई 2018 से लागू इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के साथ ही संनिर्माण कर्मकारों एंव बीपीएल उपभोक्ताओं के जून, 2018 की स्थिती में लगभग 6000 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ किये गये हैं । सरचार्ज की संपूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत संबधित वितरण कंपनियों द्वारा वहन किया जा रहा है, जबकि मूल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि, वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में प्रदान करते हुये राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। योजनांतर्गत 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडीराशि का अनुमान लगाया गया है तथा 77 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है ।

7.17 फीडर विभक्तिकरण योजना : इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक 11 केवी फीडरों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राशि रु.1722 करोड़ तथा एशियन विकास बैंक से रु. 1944 करोड़ स्वीकृत हैं तथा राज्य शासन द्वारा रु. 485 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है । योजनांतर्गत लगभग 99.6 प्रतिशत फीडरों का इलेक्ट्रिकल सेपरेशन कर कुल 6669 फीडर विभक्त किये गये हैं । फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत किये गये कार्यों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में तकनीकी हानियों में कमी के साथ-साथ विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार तथा वोल्टेज में बढोत्तरी परिलक्षित हुई है तथा सांयकालीन शीर्षमांग अवधि में विद्युत की मांग का बेहतर प्रंबधन संभव हुआ है।

7.18 मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना : किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये राज्य शासन ने सिंतबर 2016 से "मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना" लागू की है। इस योजना में लगभग 5 लाख स्थायी पंप कनेक्शनों को माह जून 2019 तक स्थाई किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना की आंकलित लागत 4097 करोड़ रुपये है, जिसमें योजना की 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में प्रदान की जा रही है। साथ ही शासन द्वारा वितरण कंपनियों के ऋण हेतु आवश्यक गांरटी, बिना गांरटी शुल्क प्रदान की जायेगी। योजना में शामिल आवेदक से वर्ष 2018-19 में दो हेक्टेयर से कम भूमि धारक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लघु एंव सीमान्त कृषक से 6000/- प्रति हार्सपॉवर तथा अन्य किसानों से 8000/- प्रति हार्सपॉवर अंश राशि ली जा रही है। दो हेक्टेयर तथा अधिक भूमि वाले किसानों द्वारा 13000/- प्रति हार्सपॉवर की दर से राशि देय है। उक्त अंश राशि को छोडकर अधोसंरचना कार्य हेतु शेष राशि का व्यय राज्य शासन / वितरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्थाई कृषि

पम्प कनेक्शन योजना प्रांरभ होने से माह नंवबर 2018 तक तीनों वितरण कंपनियों द्वारा लाईन विस्तार कर 1.20 लाख स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

7.19 फलेट रेट योजना : स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिये फलेट रेट योजना दिनांक 01-04-2013 से लागू की गई है । योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष में 2 बार (छ: माही आधार पर) समान किश्तों में 1400 रुपये प्रति हार्सपॉवर वार्षिक बिल देय है । नियामक आयोग द्वारा लागू टैरिफ से कृषक द्वारा देय राशि के अंतर की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा टैरिफ सब्सिडी के माध्यम से वितरण कंपनियों को की जा रही है । इस हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 5868.10 करोड़ विमुक्त किये गये तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में टैरिफ सब्सिडी मद में राशि रुपये 6025.13 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है ।

7.20 अनुसूचित जाति / जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय : योजना में एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप हेतु नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं से 25 यूनिट खपत तक कोई एनर्जी चार्ज नहीं लिया जाता है। इनकी प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में रुपये 3254.08 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई तथा वर्ष 2018-19 में इस हेतु रुपये 3186.85 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है।

7.21 स्वंय का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) : राज्य शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत दिनांक 4 मई 2011 से कृषकों के लिये "स्वयं का ट्रांसफार्मर" लगाये जाने की योजना लागू की गई है । इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते है । इस योजना के अंतर्गत कृषकों को समूह में भी ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के प्रांरभ से अक्टूबर, 2018 तक 60.42 हजार ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके है ।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

7.22 उजाला योजना :- उर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके बिजली की बचत करने को बढावा देने के लिये वर्ष 2016 में एल.ई.डी. बल्ब, टयूबलाईट एंव 5-स्टार रेटिंग के पंखों को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।दिसंबर 2018 तक 1.74 लाख बल्ब, 4.15 लाख टयूबलाईट एंव 1.05 लाख 5-स्टार पंखों का वितरण किया जा चुका है

जिससे सालाना 3500 मिलियन यूनिट बिजली की बचत होगी तथा उपभेक्ताओं के विद्युत बिलों में सालाना रुपये 2200 करोड़ की कमी आयेगी।

7.23 डी.डी.जी. कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) : वर्ष 2014-15 से प्रारंभ डी.डी.जी कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थानीय ग्रिड के माध्यम से घर-घर एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु विद्युत व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2014-15 से माह दिसम्बर 2018 तक 45 ग्रामों को सौर उर्जा से विद्युतीकृत किया गया है।

7.24 सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट (आफ ग्रिड) : प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जेलों/शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय हेतु सोलर फोटोवाल्टिक पावर पैक की स्थापना की जाती है। वर्ष 2009-10 से माह दिसम्बर 2018 तक 18357.12 कि.वा. क्षमता के सयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनमे मुख्यत: शासकीय भवन वन विभाग, पुलिस विभाग की दूरस्थ ग्रामीण चौकियों/थानों पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों एवं अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं। उपरोक्त आकडों में सोलर रूफटॉप नेट मीटिंग पालिसी के अंतर्गत 12473.52 कि.वा. क्षमता के संयत्र शामिल हैं।

7.25 सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट (ऑफ ग्रिड) : प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2004-05 से माह दिसम्बर 2018 तक 17.24 हजार स्ट्रीट लाईट एवं 13.23 हजार होम लाईट संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

7.26 सोलर पम्प कार्यक्रम (आफ ग्रिड) : प्रदेश के कृषकों एवं आम जन हेतु सिंचाई पेय जल व्यवस्था के लिये सोलर पम्प की स्थापना की जाती है । वर्ष 2013-14 से माह दिसम्बर, 2018 तक 15.41 हजार नग सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। प्रदेश के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान तक 12.30 हजार नग स्थापित किए गए।

7.27 सूर्यमित्र स्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रम : आई.टी.आई / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सौर उर्जा से संबंधित स्थापना कमिशनिंग एवं संचालन रखरखाव हेतु राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान (NISE) भारत सरकार द्वारा तीन माह का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है। अभी तक 312 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इन प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को प्रदेश में स्थापित/स्थापनाधीन सौर पावर प्लान्टस में रोजगार प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहें हैं।

7.28 बायोमास : कृषि अवशिष्टों से बायोमास आधारित केप्टिव/थर्मल/इलेक्ट्रीकल/ कोजनरेशन/कम्बस्चन तकनीक पर आधारित संयंत्र स्थापित किये जाते है। 2004-05 से

दिसम्बर 2017 तक कुल 45.34 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। जिसमें मुख्यत: बेकरी/इंडस्ट्रीज इत्यादि सम्मिलित हैं।

परिवहन

प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है। प्रदेश में रेल मार्गो की लम्बाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2016-17 (प्रा) एवं 2017-18 (त्व.) में इस क्षेत्र की अंश भागीदारी क्रमशः 2.71 एवं 2.65 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर (2011-12) क्रमशः 3.13 एवं 3.18 रही है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2016-17 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.11 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.23 प्रतिशत अंश है । वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.13 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.26 प्रतिशत है । मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में संचार क्षेत्र का अंश वर्ष 2016-17 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर 1.88 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्व.) के अनुसार 1.93 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2016-17 में 2.17 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्व.) में 2.32 प्रतिशत अंश परिलक्षित है । राज्य सकल मूल्यवर्धन में परिवहन का अंश का वर्षवार विवरण **तालिका 7.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.5

सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिवहन का अंश

अवधि	क्षेत्र					
	परिवहन (अन्य साधन)		रेल्वे		संचार	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011 -12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011 -12) भावों पर
2011-12	3.22	3.22	1.05	1.05	1.69	1.69
2012-13	3.10	3.17	1.19	1.24	1.65	1.69
2013-14	3.00	3.18	1.10	1.24	1.85	1.97
2014-15	3.09	3.31	1.09	1.20	2.02	2.16
2015-16	2.97	3.30	1.17	1.30	2.16	2.41
2016-17 (प्रा.)	2.71	3.13	1.11	1.23	1.88	2.17
2017-18 (त्व.)	2.65	3.18	1.13	1.26	1.93	2.32

(प्रा.) - प्रावधिक अनुमान (त्व.) - त्वरित अनुमान

पंजीकृत वाहन

परिवहन विभाग प्रमुख कार्य केन्द्रीय/राज्यीय मोटरयान अधिनियम/नियम 1988, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन, नियमन नियंत्रण एंव शासन को शुल्क व कर के रूप में राजस्व उपलब्ध कराना है । वर्ष 2017-18 में परिवहन विभाग ने 2576 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 3200.00 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 30 सिंतबर 2018 तक लगभग राशि रूपये 1758.00 करोड़ का राजस्व लक्ष्य अर्जित किया गया है। जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 0.53 प्रतिशत अधिक है।

7.29 पंजीकृत वाहनों की संख्या : प्रदेश में पंजीकृत वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है जहां वर्ष 2017-18 में 14.70 हजार वाहन पंजीकृत हुये थे वहीं वर्ष 2018-19 में माह नवंबर 2018 तक 9.20 हजार वाहन पंजीकृत हुये। जिसका वर्षवार विवरण तालिका 7.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.6
पंजीकृत वाहनों की संख्या

(संख्या हजार में)

वर्ष	कार एवं जीप	टेक्सी केब/ थ्रीव्हीलर	यात्री वाहन	माल वाहन	मोटर-सायकिल/ स्कूटर, मोपेड आदि	अन्य ट्रेक्टर ट्राली सहित	कुल पंजीकृत वाहन
2013-14	611	151	156	263	7668	872	9721
2014-15	696	226	172	244	8831	972	11141
2015-16	784	243	176	267	9632	1027	12129
2016-17	877	261	180	292	10498	1085	13193
2017-18	982	268	226	318	11596	1192	14706

7.30 विभाग की कार्ययोजना की प्रगति एवं लाभकारी योजना:- मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा आम जनता को मोबाइल एप तथा एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

एम.पी.मोबाइल एप्प सेवा के माध्यम से पंजीकृत वाहन, ड्रायविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहनों पर लगने वाले मोटरयान कर की गणना अस्थाई पंजीयन एवं भुगतान रसीद के विवरण आदि की जानकारी सहजता से प्राप्त की जा सकती हैा इसके अलावा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई ई-सेवा के तहत परिवहन विभाग की बेबसाईट www.mptransport.org व एस.एम.एस. नम्बर 53030 पर वाहनों से संबंधित समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा ई-डी.एल. एवं ई-आर.सी.सेवा के माध्यम से चालक लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र को डिजीटल स्वरूप में मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है।

वाहनों का पंजीयन, चालक लाइसेंस, फिटनेस अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहनों के परमिट, कर भुगतान एवं डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से नवीन वाहन क्रय करने वाले वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

7.31 लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत सेवायें: आम जनता की सुविधा के उद्देश्य से विभाग से संबंधित 20 आवश्यक सेवाओं को लोकसेवा गारंटी अधिनियम की परिधि में लाया गया है।

- परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं के हित में चालक अनुज्ञप्ति नि:शुल्क जारी किये जाने का निर्णय लिया है। दिसम्बर 2015 से यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। जिसमें अब तक 2.23 लाख ड्रायविंग लाइसेंस तथा 2.89 लाख लर्निंग लाईसेंस नि:शुल्क जारी किये जा चुके हैं।
- यात्री वाहनों में महिलाओं के लिए पृथक से सीट आरक्षित है साथ ही नवजात शिशुओं की माताओं को दूध पिलाने की सुविधा हेतु चालक के ठीक पीछे वाली सीट को पर्दे से ढकने की व्यवस्था लागू की गई है।
- दिव्यांग यात्रियों को देय किराये में 50 प्रतिशत की छूट तथा पृथक से सीटों को आरक्षित किया गया है।
- **मध्यप्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है जिसमें खुली परमिट नीति, कम टैक्स दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन सुविधा उपलब्ध कराना, वास्तविक कृषकों के स्वामित्र की ट्रेक्टर, ट्राली, हारबेस्टर को परमिट से छूट प्रदान की गई है।**
- बस स्टेण्डों पर यात्रियों को सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन संसाधन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। गंतव्य स्थल पर शीघ्र पहुंचाने की दृष्टि से नॉन स्टाप बस सेवा प्रारंभ की गई है।

- दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के लिए स्कूल वाहनों, यात्री एवं मालवाहनों में 01 अप्रैल 2017 से स्पीड गर्वनर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
- प्रदूषण को कम करने हेतु सी.एन.जी./ बैटरी चलित छोटे वाहनों पर मोटरयान कर की दरों में कमी की गई है तथा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स अधिरोपित किया गया है।
- मोटरयान चालकों/परिचालकों और उनके परिवार के कल्याण हेतु मध्यप्रदेश मोटरयान चालक/ परिचालक कल्याण योजना 2015 जारी की गई जिसके अंतर्गत शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत चालक/ परिचालकों को लाभांवित किया जाता है।
- करो के सरलीकरण के संदर्भ में अब 12000 किलोग्राम सकल यान भार के माल यानों को भी जीवन काल कर जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- इंदौर में ऑटोमेटिक एवं कम्प्यूटरीकृत ड्रायविंग ट्रेक का निर्माण किया गया है। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर व सागर में ड्रायविंग ट्रेक खोलने की योजना प्रथम चरण में है। जिस हेतु केन्द्र शासन को रूपये 2.80 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडावर्ग समुदाय के वाहन मालिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए ऋण से वाहन क्रय करने पर पंजीयन दिनांक से 4 वर्ष के लिये मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

राज्य में सड़कें

सड़क परिवहन, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग एंव प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना से निर्मित विभिन्न श्रेणी के मार्गों की लंबाई की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 7.7

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रान्तीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला / ग्रामीण मार्ग	कुल योग(कि.मी.)
2015 *	4774	10934	19429	26482	61619
2016	7175	10934	19429	26482	64020
2017	7175	10934	21132	23755	62996
2018	8010	11389	22129	23395	64923

* जनवरी

7.32 राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग एंव मुख्य जिला मार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई माह जनवरी 2018, तक 8010 किलोमीटर है एंव प्रांतीय राज्यमार्गों की लंबाई 11389 किलोमीटर है तथा राज्य में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कुल 22129 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सामान्य विकासखण्ड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है ।

7.33 योजनायें एंव उपलब्धियां :-

1. योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में वार्षिक लक्ष्य 5200 किमी सडक निर्माण के विरूद्ध 5222 किमी सडक निर्माण कराए जाकर राशि रूपये 1905 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय 2018-19 में वार्षिक भौतिक लक्ष्य 4500 किमी के विरुद्ध माह दिसंबर 2018 तक राशि रुपये 1470 करोड़ व्यय करते हुये 2194 किमी सडक निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है ।
2. योजना में प्रारंभ से दिसंबर 2018 तक कुल 73006 किमी. लम्बाई की 17968 सडकों तथा 280 बडें पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए रूपये 21934 करोड़ का व्यय किया गया तथा शेष स्वीकृत मार्गों/पुलों का कार्य प्रगति पर है ।
3. प्लास्टिक अपशिष्ट **(Waste Plastic)** का उपयोग कर 5404 किमी मार्गों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसंबर 2018 के अंत तक प्लास्टिक अपशिष्ट तकनीकि का उपयोग कर लगभग 1159 किमी मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. भारत सरकार द्वारा विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश को 5015 किमी मार्गो का उन्नयन तथा 247 पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है । अब तक 1600 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.34 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना : सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सडक सम्पर्क (ग्रेवल सडक उपलब्ध कराने) हेतु मनरेगा, बीआजीएफ और राज्य मद के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया है। योजनांतर्गत 8723 ग्रामों को जोडने हेतु 8332 सडके जिसकी लंबाई 19193 किमी के कार्य राशि रूपये 4093 करोड़ से सम्पन्न कराए जा रहे हैं। दिसंबर, 2018 तक 7856 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जाकर 7558 सडकों का कार्य पूर्ण करा जा चुका है जिस पर राशि रूपये 2966 करोड़ व्यय किये गये है।

विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना द्वारा 10.00 हजार किलोमीटर ग्रेवल मार्गो का डामरीकरण एवं 510 किलोमीटर नवीन मार्गो का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गो के नवीनीकरण हेतु 391 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 8178 किमी के कार्यों हेतु अनुबंध किया जा चुका है । अनुबंधित कार्यों में से अब तक 3000 किमी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

सिंचाई

7.35 कुल सिंचाई क्षमता : राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है । राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है जो कुल उपलब्ध जल का 69.7 प्रतिशत है ।

7.36 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई के स्त्रोत : वर्ष 2016-17 शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9876.0 हजार हेक्टर था जो वर्ष 2017-18 में बढकर 10566.0 हजार हेक्टर हो गया । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि रही । वर्ष 2017-18 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 67.34 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 20.24 तथा अन्य स्त्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 12.42 रहा । विभिन्न स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.8
सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	शासकीय नहरें	तालाब	नलकूप/कुऐं	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2013-14	1625.0	264.5	6217.6	1347.5	9454.6	15525	24150	60.9
2014-15	1646.3	273.1	6403.0	1261.6	9584.0	15454	23913	62.0
2015-16	1682.5	262.1	6198.8	1141.1	9284.5	15252	23817	60.9
2016-17	1791.2	295.1	6565.3	1224.4	9876.0	15331	24317	64.4
2017-18	1856.9	281.6	7115.1	1312.3	10566.0	15191.0	25114.0	69.6

स्त्रोत:- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

7.37 शासकीय साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2017-18 में 2473.04 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक 2922.22 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है। वर्षवार विवरण **तालिका 7.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.9
सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग	लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग	कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग
2013-14	1569.00	761.00	2330.00
2014-15	1633.10	758.90	2392.00
2015-16	1968.71	781.68	2750.39
2016-17	1998.63	904.11	2902.74
2017-18	1814.16	658.88	2473.04
2018-19 (दिसम्बर 2018 तक)	2046.31	875.93	2922.24

7.38 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र : समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2016-17 में 10671 हजार हेक्टर एवं वर्ष 2017-18 में 11394 हजार हेक्टेयर रहा । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्रफल में 6.77 प्रतिशत की वृद्धि रही । इस अवधि में धान, समस्त दलहन, समस्त तिलहन, गन्ना, कपास के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 6.89, 50.59, 8.24, 3.33, 0.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गेहूं, मसाले, फल एंव सब्जियां एंव अन्य के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमश: 3.20, 20.75, 4.19 एंव 10.81 प्रतिशत की कमी आंकी गई है । प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.10

प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	धान	गेहू	समस्त दलहन	समस्त तिलहन	गन्ना	कपास	मसाले	फल एवं सब्जियां	अन्य	कुल योग
2013-14	557	5638	2054	428	102	325	328	330	157	9919
2014-15	704	5934	1910	393	121	333	369	341	195	10300
2015-16	721	5647	1797	407	130	335	423	396	173	10029
2016-17	842	6054	1868	425	120	342	429	406	185	10671
2017-18	900	5860	2813	460	124	343	340	389	165	11394

स्त्रोत:- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

कमाण्ड क्षेत्र (विकास) :-

7.39 कमाण्ड क्षेत्र (विकास) कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी : राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर, कृषि उत्पादन में वृध्दि करने के उदेश्य से वर्ष 1974 में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष 1980 में स्वतंत्र आयाकट विभाग का गठन किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 से आयाकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलियन जल संसाधन विभाग में करके आयाकट विकास प्राधिकरणों को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 08 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिसमें 23 परियोजनायें शामिल हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 10.38 लाख हेक्टर क्षेत्र के विरूद्ध मार्च, 2018 तक 6.54 लाख हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से 2045 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया है।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के लिए वित्तिय वर्ष 2018-19 हेतु 68.77 हजार हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसंबर, 2018 तक 32.08 हजार हेक्टर कार्य संपादित किया गया है एंव राशि रुपये 197.77 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसंबर 2018 तक राशि रुपये 84.51 करोड़ व्यय किये गये।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

7.40 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास : परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु " राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन", मध्यप्रदेश नोडल संस्था है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के अधीन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। "विकास आयुक्त" राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अध्यक्ष है।

- "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य (1) मृदा एवं जल संरक्षण/संवर्धन के माध्यम से वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना। (2) वर्षा आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। (3) संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान राशि रूपये 2547.89 करोड़ की लागत से 21.23 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 377 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रूपये 12000.00 प्रति हेक्टयर के मान से परियोजना राशि आवंटित की जाती है। जो वित्त पोषण हेतु 60: केन्द्रांश तथा 40: राज्यांश का प्रावधान किया गया है।
- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रूपये 274.78 करोड़ उपलब्ध हुए जिसके विरूद्ध राशि रूपये 249.58 करोड़ व्यय किये जाकर वित्तीय 91% वित्तीय प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में 5745 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामत: 25503.00 हेक्टयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए 42.00 हेक्टर पडत भूमि को कृषि/उद्यानिकी भूमि के रूप में विकसित किया गया है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल राशि रूपये 189.57 करोड़ उपलब्ध हुए है जिसके विरूद्ध राशि रूपये 165.40 करोड़ व्यय किये जाकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में 3122 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामत: 10308 हेक्टर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

8

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 73.0 से कम है। उपरोक्त साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग 40 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है । राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा

8.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 : प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है । समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत 4186.74 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई। राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित योजनाओं की वर्ष 2017-18 की वित्तीय उपलब्धि (अगस्त 2018 की स्थिति में) का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.1
राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं

(करोड़ रूपये में)

घटक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
सर्व शिक्षा अभियान	5632.50	2743.85
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	108.45	68.63
योग	**5740.95**	**2812.48**

8.2 सर्व शिक्षा अभियान : प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है । अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है । प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को **बाक्स 8.1** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.1

प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण

- **प्रत्येक बसाहट के निर्धारित माप दण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलो मीटर की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि माध्यमिक शाला की सुविधा उपलब्ध कराना।**
- **6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराना ।**
- **शालाओं में दर्ज बच्चों की निरंतरता एंव नियमितता सुनिश्चित करना ।**
- **शाला त्यागी दर कम करना ।**
- **सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें ।**
- **शिक्षा के गुणात्मक स्तर में वृद्धि पर विशेष बल देना ।**
- **बालक-बालिकाओं के बीच भेदभाव तथा सामाजिक असमानताओं को प्रारंभिक शिक्षा के स्तर से दूर करना।**

8.3 शालायें : राज्य में 80807 शासकीय प्राथमिक शालायें एवं 30228 शासकीय माध्यमिक शालायें हैं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

8.4 नामांकन : राज्य में वर्ष 2016-17 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन 78.92 लाख था। जो कि वर्ष 2017-18 में घटकर 77.30 लाख हो गया । माध्यमिक शालाओं में कुल नामांकन वर्ष 2016-17 में 44.61 लाख था जो वर्ष 2017-18 में घटकर 43.63 लाख हो गया । प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुल नामांकन की स्थिति **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.2

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	41.45	37.47	78.92	40.38	36.92	77.30
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	23.40	21.21	44.61	22.97	20.66	43.63
प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	**64.85**	**58.68**	**123.53**	**63.35**	**57.58**	**120.93**

प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के शुद्ध नामांकन अनुपात लगभग समान हो गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात भी अन्य वर्गो के समान हो चुका है किन्तु अनुसूचित जनजाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात अन्य वर्गो की तुलना में कम है। शुद्ध नामांकन अनुपात का विवरण **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.3

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 2017-18 (N.E.R.)

वर्ग	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	99.80	99.83	99.81	99.80	99.82	99.80
अनुसूचित जनजाति	98.94	99.40	99.16	98.94	99.09	98.73
अन्य	99.77	99.81	99.78	99.77	99.82	99.80
योग	**99.55**	**99.70**	**99.62**	**99.55**	**99.63**	**99.53**

8.5 शाला त्याग दर : विगत वर्षो की तुलना में प्रदेश में विभिन्न कारणों से शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 5.10 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 4.71 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2017-18 में शाला त्यागी दर में कमी होकर कक्षा 1 से 5 तक कक्षा छात्रों की 4.63 प्रतिशत एवं छात्राओं की 3.63 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार राज्य में वर्ष 2016-17 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 6.87 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 6.55 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2017-18 में 6 से 8 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 4.75 प्रतिशत एवं छात्राओं की 4.63 प्रतिशत है। जो शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अच्छे प्रयासों को दर्शाता है। विभिन्न स्तर की शालाओं में शाला त्यागी दर **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.4

शाला त्याग दर

स्तर	2016-17			2017-18		
	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	5.1	4.7	4.9	4.6	3.6	4.2
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	6.9	6.6	6.7	4.7	4.6	4.7

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एवं गणवेश वितरण : शासकीय विद्यालयों पंजीकृत मदरसो एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । सत्र 2018-19 में कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्रों को 2 जोडी गणवेश हेतु रूपये 600 का प्रावधान है, प्रदेश के 33 जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश सिलवाकर प्रदान की जा रही है । शेष जिलों में शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से बच्चों को चैक के माध्यम से गणवेश हेतु राशि वितरण की कार्यवाही की गयी।

8.7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी बसाहटो जहां 3 किमी की परिधि में माध्यमिक स्कूल नहीं हैं, की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 28800 हजार बलिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। इसके अलावा 324 बालिका छात्रावास स्थापित किये गये जिनमें प्रतिवर्ष 23 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही है। शहरी क्षेत्रों के बेघर, अनाथ एवं शाला संबंधी बच्चों के स्वीकृत 66 नए 100 सीटर आवासीय छात्रावासों से लगभग 6600 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ।

8.8 निःशुल्क सायकिल वितरण : पांचवीं कक्षा पास करके छठवीं में दूसरे ग्रामों में स्थित शासकीय शालाओं में अध्ययन हेतु जाने वाली बालक/बालिकाओं को वर्ष 2016-17 से साईकिल क्रय करके प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017-18 से उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे बालक बालिकाओं को भी साईकिल का प्रावधान किया गया जो ग्राम की बसाहट में निवासरत है तथा बसाहट से शाला की दूरी 2 किमी से अधिक है। वर्ष 2017-18 में लगभग 2 लाख एवं 2018-19 में 1.75 लाख बच्चे इस योजना से लाभांवित हुये।

8.9 सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति वितरण : शासकीय शालाओं की कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ।

8.10 विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास : विकलांग बच्चों के लिये 60 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं । बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं । निःशक्त बच्चों के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी विकसित की गई है ।

8.11 स्कूल चले हम : प्रदेश के हर बच्चे का स्कूलों में प्रवेश हो, बच्चों को सतत रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर वर्ष स्कूल चले हम अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वत किया जाता है।

स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तित्व को बहुआयामी विकास को भी ध्यान में रखा गया है जिसका आशय है कि प्रदेश के बच्चे पढाई भी करें और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करें। इसी भावना से शिक्षा सत्र के प्रारंभ में प्रवेशोत्सव के दौरान खेलकूद, गायन, चित्रकारी, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

8.12 गुणवत्ता सुधार योजना : राज्य के प्रत्येक जिलों की आवश्यकताओं और भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए अकादमिक गुणवत्ता सुधार योजना कार्यक्रम चलाया गया है । प्रदेश में 3099 संकुल हैं। प्रत्येक संकुल स्तर पर 4 प्राथमिक एवं 4 मिडिल शालाओं को उन्नत शाला के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम चलाया गया है। शैक्षणिक उपलब्धियों एवं शालेय व्यवस्थाओं के सही मूल्यांकन हेतु प्रतिभा पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करने एवं पढ़ना उनकी आदत में शामिल हो इस हेतु प्रयास करने, भाषा की दक्षताओं के विकास के उद्देश्य से प्रदेश में "कहानी उत्सव" तथा "मिल बांचे मध्यप्रदेश" कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके इस उद्देश्य से प्रदेश में कुछ विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है । कक्षा 1 एवं 2 को पढाने वाले शिक्षकों को मूलभूत दक्षताओं के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। गुणवत्ता सुधार हेतु 16005 प्राथमिक शालाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) तथा 14280 माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि (ALM) कार्यक्रम चलाया गया है। वर्ष 2017-18 में सक्रिय अधिगम प्रविधि (ALM) कार्यक्रम का विस्तार कर प्रदेश के समस्त मिडिल स्कूलों में लागू किया जा रहा है। समस्त मिडिल शालाओं को गणित विज्ञान किट उपलब्ध कराई जाएगी। जूनियर गणित व विज्ञान ओलिंपियाड का आयोजन किया जा रहा है।

8.13 शिक्षा का अधिकार : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है। अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूल की प्रवेशित कक्षा में वांछित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित की जाकर अब तक 10.50 लाख से अधिक बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है ।

8.14 स्वच्छ विद्यालय अभियान : स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

8.15 विशेष प्रयास :

- स्कूल शिक्षा विभाग से जुडे मुद्दों जैसे शालाओं, शिक्षकों, बच्चों के नामांकन, शाला से बाहर बच्चों एवं उनके फॉलोअप, गणवेश एवं साइकिल वितरण, निर्माण कार्य, बच्चो की उपलब्धि स्तर की जानकारी हेतु शिक्षा विभाग का एजूकेशनल पोर्टल **http://www.education portal.mp.gov.in and http://www.shikshaportal. mp. gov.in** प्रारंभ कर जन सामान्य हेतु सुलभ किया गया है।
- **विद्यालयों के विकास के लिए प्रणाम पाठशाला- विद्यालय उपहार योजना-** योजना स्थानीय नागरिकों को विद्यालय के प्रति अपने सम्मान और आदर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। शालाओं के भौतिक और अकादमिक विकास में सामाजिक सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ की गई इस योजना में कोई व्यक्ति, संस्था शासकीय विद्यालयों को उपहार स्वरूप सामग्री अथवा धनराशि प्रदान कर सकते हैं।
- **स्मार्ट क्लास:-** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 1380 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है।
- स्मार्ट क्लास में अकादमिक कठिन बिन्दुओं को मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था है।

माध्यमिक शिक्षा

8.16 माध्यमिक शिक्षा:- छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को बढावा देने की दृष्टि से प्रदेश मे वर्ष 2017-18 कुल 8373 हाईस्कूल एवं 8998 हायर सेकेण्डरी स्कूल इस प्रकार कुल 17371 शालाएं संचालित हैं। हाईस्कूलों में 25.82 लाख तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 13.72 लाख इस प्रकार कुल 39.54 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

वर्ष 2019-20 में क्रमश: 620 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में एवं 340 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्ययन कर पदों की स्वीकृति प्रदान कि गई है। प्रदेश में कुल नामांकन एवं शिक्षकों की जानकारी निम्नानुसार है।

तालिका 8.5

शालाओं की संख्या की स्थिति

(यूडाईस के आधार पर)

स्तर	प्रदेश में संचालित कुल शालाएं
हाईस्कूल	8373
हायर सेकण्डरी	8998
योग	17371

नोट: इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

तालिका 8.6

शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2018-19 की स्थिति में
हाईस्कूल	4998
हायर सेकण्डरी	4238
योग	9236

तालिका 8.7

कुल छात्रों की संख्या/नामाकंन की स्थिति (शासकीय एवं निजी)

(संख्या लाख में)

स्तर	छात्रों की संख्या/नामांकन
हाईस्कूल	25.82
हायर सेकण्डरी	13.72
योग	39.54

स्त्रोतः- यु डाईस 2017-18

तालिका 8.8

कुल छात्रों के वर्गवार नामाकंन की स्थिति (शासकीय एवं निजी)

(संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
हाईस्कूल	13.87	11.95	4.45	4.82
हायर सेकण्डरी	7.37	6.35	2.05	1.80
योग	21.24	18.30	6.50	6.62

स्त्रोतः- यु डाईस 2017-18

तालिका 8.9
समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति

स्तर	शिक्षकों की संख्या
हाईस्कूल	42166
हायर सेकण्डरी	18347
योग	60513

स्त्रोतः- यु डाईस 2017-18

8.17 उत्कृष्ट विद्यालय : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं विकास खंड के मुख्यालयों पर एक शासकीय उ.मा.वि. को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है । वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों एवं 194 विकास खंड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं । वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 39037 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है । जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 182360 विद्यार्थी । वर्ष 2017-18 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम लगभग 94 प्रतिशत एवं 88 प्रतिशत रहा है । विदयालय की अधोसंरचना सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2018-19 में प्रति उतकृष्ट विद्यालय लगभग रूपये 3,65,000/- प्रदान किए गये ।

8.18 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण : शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजना की सफलता के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना का विस्तार किया गया है। राज्य एवं केन्द्र के पाठ्यक्रम में एकरूपता को इस हेतु राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23 नवबंर 2016 द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को राज्य में अभिग्रहित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किये गए हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में शिक्षा सत्र 2017-18 से कक्षा 9 वी के विद्यार्थियों को गणित एवं विज्ञान तथा कक्षा 11 वीं के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्यपुस्तकें अभिग्रहित कर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है एवं शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 10 वीं में गणित एवं विज्ञान तथा कक्षा 12 वीं में गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्य पुस्तकें (एन.सी.ई.आर.टी.) अभिग्रहीत कर नि:शुल्क वितरण योजनांतर्गत उपलब्ध कराई गई है ।

योजनांतर्गत समस्त वर्गो (एससी/एसटी/सामान्य/निर्धन वर्ग) छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया जाता है। वर्ष 2018-19 में लगभग 25.50 लाख छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया गया है एवं सत्र 2019-20 में भी समस्त वर्ग के नामांकित छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

8.19 निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना : नि:शुल्क सायकिल योजनान्तर्गत कक्षा 9 वी में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके गॉव में शासकीय हाई स्कूल नही है, जो शहर के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिये जाते है। उसे नि:शुल्क सायकिल वितरण योजनांतर्गत लाभांवित किया जाएगा। इस योजना का लाभ छात्र को 9 वी प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। अर्थात 9 वी कक्षा में पुन: प्रवेश लेने पर उसे सायकिल की पात्रता नहीं होगी। कक्षा 9 वी के विद्यार्थी को 20 इंच की सायकिल प्रदाय की जाती है। वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा-ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से ज्यादा है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्रों को सायकिल दी जावेगी। वर्ष 2018-19 में लगभग 4.15 लाख (कक्षा 9वी) छात्र-छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है ।

8.20 छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

- सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना ।
- सुदामा शिष्यवृत्ति योजना ।
- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ।
- पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति ।
- मृत/अंपग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति ।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 से **"बेटी बचाओ अभियान"** अन्तर्गत इकलौती बेटी को **"शिक्षा विकास छात्रवृत्ति"** योजना प्रारंभ की गई है । इस योजनान्तर्गत ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संन्तान है एवं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठयक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायरसेकेण्डरी विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्र होगी । यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क रूपये 1500/- से कम होगा ।

वर्ष 2013-14 से उक्त योजनाऐं समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत राज्य शासन के 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियां समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर विद्यार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में मिशन वन-क्लिक के माध्यम से लगभग 76 लाख विद्यार्थियों को लगभग 509 करोड़ की राशि वन-क्लिक के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

8.21 सुपर 100 योजना : शासकीय स्कूल में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं, आई.आई.टी./मेडिकल कालेज/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. एवं इन्दौर के शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. में सुपर 100 योजना संचालित है । वर्ष 2018-19 में 4.00 करोड़ रूपये प्रावधान के विरूद्ध 510 विद्यार्थी को लाभांवित किया गया है ।

8.22 विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (I.E.D.S.S.) : यह योजना 1 अप्रैल, 2009 से लागू है । यह योजना को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत शासन द्वारा कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयो में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रूपये 3500/- के मान से सुविधा भत्ता प्रदाय करती है । I.E.D.S.S. योजनांतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वार्षिक रूप से प्रदाय किये जाने वाली राशि पुस्तक, स्टेशनरी एवं गणवेश भत्ता हेतु राशि रूपये 1100 प्रति हितग्राही प्रतिवर्ष की दर से प्रदाय किया जाएगा तथा मासिक दर के आधार पर प्रदान की जाने वाली राशि जिसमें परिवहन भत्ता हेतु राशि रूपये 1000 बालिकाओं के लिए राशि 200 रूपये प्रति हितग्राही माह की दर से अधिकतम 10 माह के लिये राशि रूपये 2000 प्रदाय किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से अध्याधिक अक्षम बच्चों के लिये राशि रूपये 1000 प्रति विद्यार्थी एवं अल्प दृष्टि बाधित व दृष्टि बाधित बच्चों के लिये राशि रूपये 750 प्रति छात्र प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2018-19 में उक्त दर से लगभग 10562 बच्चे लाभांवित हुए हैं।

8.23 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना : राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से मधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है । शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्यनरत कक्षा 12वी में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्रापत करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रू. 25,000 प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है । यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से सतत प्रदाय की जा रही है ।

वर्ष 2016-17 की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 18578 विद्यार्थियों द्वारा सामान्य वर्ग के 85 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं विमुक्त एवं अर्ध घुमक्कड जाति के विद्यार्थियों को जिनके द्वारा 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये जाने पर उन्हें प्रति विद्यार्थी को 25,000 हजार की दर से कुल राशि रू. 46,44,50,000 वितरित कर लाभांवित किया गया । वर्ष 2016-17 से व्यवसायिक शिक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को भी उपरोक्तानुसार लाभ प्रदाय किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 में 12 उत्तीर्ण करने वाले 67615 विद्धयार्थियों को जिसमें सामान्य वर्ग के 58565 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के 9050 विद्धयार्थियों को राशि रूपये 25000/- प्रति छात्र के मान से आनलाईन भुगतान किया गया ।

8.24 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन:- मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है। इन स्कूलों को बैंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में शैक्षणिक रूप से पिछडे सभी 201 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल संचालित है। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित रहेगी। कक्षा 9 वीं प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इन स्कूलों में वर्तमान में कक्षा 9 वीं से 12 तक कक्षा संचालित है जिसमें विगत वर्ष 2015-16 में कुल 42556 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्ष 2015-16 तक योजना में 75:25 का केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात था। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग बंद किए जाने के कारण अब यह योजना राज्य स्तर पर संचालित की जा रही है। वर्ष 2018-19 में इन मॉडल स्कूलों को लगभग रूपये 12.00 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है । इन स्कूलों का वर्ष 2017-18 का परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं तथा 12वीं का क्रमश: 87.71 तथा 77.72 रहा है ।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं राष्ट्रनिर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। उच्च शिक्षा बनाये रखने की समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करना विभाग की कार्य योजना का महत्तवपूर्ण पहलू है।

8.25 नवीन शासकीय महविद्यालय:

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षा की सुविधा के विस्तार के लिये वर्ष 2018 में उच्च शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल में 44 नवीन महाविद्यालय तथा 03 आदर्श शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, इससे प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या 469 से बढकर 515 हो गई है।

8.26 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश व्यवस्था: पाठयक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था छात्र हित में संचालित की गई है । इस प्रक्रिया के संचालन से विद्यार्थियों को घर बैठे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है । वर्ष 2018-19 में स्नातक में 4,11,571 एवं स्नातकोत्तर में 90,882 कुल 5,02,453 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया है।

8.27 गांव की बेटी योजना : ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का उच्च शिक्षा के प्रति रूझान बढाने के लिये गांव की बेटी योजना लागू की गई है, इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रू. 3773.00 लाख का व्यय हुआ। जिससे 42,599 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं।

8.28 प्रतिभा किरण योजना : प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार देने के लिये राशि रू. 283.00 लाख राशि का व्यय कर 1811 छात्राओं को लाभांवित किया गया।

8.29 पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 की स्थिति में राशि रू.1552.15 लाख का व्यय हुआ तथा कुल 77600 विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदाय किया गया।

8.30 प्रयोगशाला उन्नयन योजना : वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 475.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 40 महाविद्यालयों को राशि रू 427.59 का आवंटन जारी किया गया।

8.31 भवन निर्माण योजना : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 हेतु शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 489.00 करोड़ की निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16 शासकीय महाविद्यालयों के मुख्य भवन एवं 86 अन्य निर्माण कार्य इस प्रकार कुल 102 निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 35362.08 लाख की स्वीकृति जारी की गई है ।

8.32 विक्रमादित्य योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रू. 100.00 लाख का व्यय किया गया है तथा इस योजनान्तर्गत 616 छात्र लाभन्वित हुए ।

8.33 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना : मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्रों जिनके पालकों की वार्षिक आय 6 लाख से कम है ऐसे सभी वर्गो के मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु यह योजना 2017 में प्रारम्भ की गई है। सत्र 2016 या उसके पश्चात आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन हेतु किसी भी चिन्हित राज्य एवं

राष्टीय स्तर की शैक्षिणिक संस्थाओं में प्रवेश होने पर उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जावेगी। इस योजना से उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में अध्ययनरत 48735 मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

8.34 मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना : श्रम विभाग के पोर्टल पर श्रमिक के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की संतानों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा देने के उददेश्य से मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना प्रारंभ की गई है। योजना से लगभग 20,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है ।

8.35 अनुसूचित जाति/जनजाति पी.एच.डी. हेतु आर्थिक सहायता : अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 535.00 लाख का व्यय तथा वर्ष 2017-18 में कुल 202 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है ।

उच्च शिक्षा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियां :

- नैक से मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत वर्तमान में 112 शासकीय महाविद्यालय-नैक मूल्यांकित है। इसमें 20 ए-ग्रेड प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 17 अनुदान प्राप्त एवं 85 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित है।
- विश्व बैंक परियोजना के तहत चयनित भवन विहीन 50 शा. महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में रू 125 करोड़ पी.आई.यू. को हस्तांतरित किये गए एवं 46 महाविद्यालयों में निर्माण कार्य पर अब तक रू 77 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- रूसा परियोजना चरण-2 के अंतर्गत उपलब्धियां-
    - 8 जिलों में अनुमोदित नवीन आदर्श महाविद्यालय की स्थापना हेतु MHRD से 6 करोड़ प्रति महाविद्यालय के मान से कुल राशि रू 48 करोड़ (केन्द्रांश+राज्यांश) प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त।

    - 22 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास हेतु MHRD से 1 करोड़ प्रति महाविद्यालय के मान से कुल राशि रू 22 करोड़ (केन्द्रांश+राज्यांश) प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन को अधिक दक्ष एवं कौशल युक्त बनाती है। प्रदेश में स्थापित तकनीकी संस्थाओं की संख्या एंव विभिन्न स्तरों के पाठयक्रमों में वार्षिक प्रवेश क्षमता का वर्षवार विवरण **तालिका 8.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.10
तकनीकी शिक्षण संस्थाएं

(संख्या में)

तकनीकी संस्था	2017-18		2018-19	
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर	180	72153	164	62205
एम.सी.ए.	49	3110	42	2540
एम.बी.ए.	164	20295	154	19665
बी. फार्मा/डी फार्मा	100	7166	113	9795
डिप्लोमा (इंजी.) पाठ्यक्रम	149	30231	136	27531
महायोग	**642**	**132955**	**609**	**121736**

वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल 609 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता की संख्या 121736 है ।

8.36 मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना:- प्रदेश के मूल निवासी एंव 6.00 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पालकों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये यह योजना सत्र 2017-2018 से लागू की गई एंव 30000 विद्यार्थियों की लगभग 61.33 करोड़ की राशि शुल्क के रूप में मध्यप्रदेश शासन ने वहन की है। सत्र 2018-19 के अक्टूबर माह तक लगभग 27000 लाभार्थियों को देय शुल्क के रूप में लगभग 54.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

8.37 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना:- असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत माता/पिता के विद्यार्थियों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये यह योजना सत्र 2018-19 से लागू की गई है एंव लगभग 17200 आवेदकों के प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं।

8.38 मुख्यमंत्री बाल हृदय/ बाल श्रवण उपचार योजना : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में माह फरवरी, 2019 तक कुल 2156 बच्चों की हृदय रोग की सर्जरी एंव बाल श्रवण उपचार योजना अंतर्गत कुल 523 श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी मान्यता प्राप्त उच्च स्तरीय संस्थाओं में करायी गयी है।

8.39 मातृ स्वास्थ्य : मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर को कम करने हेतु आवश्यक जीवन चक्र आधारित रणनीति अपनाकर गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

विभाग के प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर एस.आर.एस. 2011-13 में 221 से कम होकर एस.आर.एस. 2014-16 में 173 हो गई है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 1533 स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलेवरी पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है जिसके विरुद्ध 1249 डिलेवरी पॉइंट में प्रसव हो रहे हैं।

आपातकालीन प्रसूति सेवाओं हेतु 148 सीमॉक संस्थाओं में से 110 क्रियाशील हैं जिसमें 6 ट्रस्ट एंव मिशन हॉस्पिटल को एफ.आर.यू. के रूप में चिन्हित कर सीमॉक सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 5 जिला अस्पतालों को लक्ष्य अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उनके प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत प्रंबधन तथा समस्त जांचें करायी जाती हैं। प्रदेश के 51 जिलों की 155 स्टॉफ नर्स को **नर्सिंग मेंटर्स** के रूप में चयनित कर प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2018-19 में चिन्हांकित डिलेवरी पाईटस पर 1144 नर्सिंग मेटंर्स के भ्रमण निर्धारित मोबाइल एप द्वारा रिर्पोट किये गये। इसी प्रकार 23 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में प्रति विकासखण्ड 2 **ए.एन.एम. मेंटर्स** के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य एंव पोषण दिवस पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा एंव सर्पोटिव सुपरविजन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 133 ए.एन.एम. को मेंटरिंग हेतु प्रशिक्षित किया गया। एन.एफ.एच.एस. 4 के आंकडों अनुसार प्रदेश का संस्थागत प्रसव 80.8 प्रतिशत है तथा प्रदेश की गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण ए.एन.सी. परीक्षण 11.4 प्रतिशत है। **ए.एन.एम. इंडक्शन प्रशिक्षण मॉडयूल** राज्य में समस्त कार्यक्रम प्रंबधकों के सक्रिय सहयोग से विकसित किया गया है जिसके तहत 1448 नई भर्ती की गई ए.एन.एम. को कौशल वृद्धि हेतु 12 दिनों का ए.एन.एम. इंडक्शन प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त मातृ पोषण को सुदृढ करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्मित स्क्रीनिंग टूल एंव स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर द्वारा महिलाओं के पोषण स्तर की जांच तथा कुपोषित

महिलाओं को चिन्हित कर कांउसिल मटेरियल के माध्यम से आवश्यक परामर्श दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न अभियान चलाये जातें हैं :-

महिला स्वास्थ्य शिविर : प्रतिवर्ष की तरह 2018-19 में भी प्रदेश की समस्त महिलाओं (गर्भवती, अन्य आयु वर्ग एंव शाला त्यागी किशोरी बालिकाऐं) को ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जांच एंव उपचार प्रदान करने हेतु ग्राम स्तरीय महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करके रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, कैंसर, नि:संतानता एंव स्त्री रोग संबधी अन्य समस्याओं की पहचान एंव उपचार किया गया है। शिविरों में 2.61 लाख गर्भवती महिलाएं, 11.25 लाख अन्य आयु वर्ग तथा किशोरी बालिका, कुल 13.92 लाख महिलायें लाभान्वित हुई हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान : प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में जांच हेतु निजी क्षेत्र के 686 चिकित्सकों द्वारा वालेन्टियर सेवायें दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच एंव सुरक्षित मातृत्व संबंधी जागरुकता हेतु माइक सिस्टम एंव पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। अगस्त 2016 से दिसंबर 2018 तक 17.87 लाख गर्भवती महिलाओं का अभियान अंतर्गत परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा अनुसार वर्ष 2018-19 में प्रदेश को सर्वाधिक वॉलेन्टियर पंजीयन एंव सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

दक्षता कार्यक्रम : प्रसव के दौरान एंव प्रसव के उपरांत गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुदृढ बनाने हेतु डॉक्टर एंव नर्सेस कौशल उन्नयन हेतु **दक्षता कार्यक्रम** का प्रांरभ 34 जिलों में जपाईगो के तकनीकि सहयोग से किया जा रहा है।

8.40 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : प्रदेश में 1 जुलाई 2011 से संचालित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं (जन्म से 1 वर्ष तक) के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना है। शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने वाली महिलाओं को नि:शुल्क सामान्य एवं सीजेरियन प्रसव, औषधि, सामग्री, भोजन, प्रयोगशाला जांचें, सोनोग्राफी सुविधाएं तथा नि:शुल्क पिकअप तथा ड्रॉपबैक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

8.41 शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाना प्रमुख लक्ष्य है।

प्रदेश की वर्तमान शिशु मृत्यु दर 47 प्रति हजार जीवित जन्म है जिसका 2/3 भाग नवजात शिशु मृत्यु का है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रदेश के 49 जिला चिकित्सालयों एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयां संचालित हैं। वर्ष 2018-19 में फरवरी 2019 तक इन इकाईयों के माध्यम से 93666 शिशुओं को उपचारित किया गया तथा कुल 693102 शिशु लाभांवित हुए। प्रदेश में वर्तमान में 62 नवजात शिशु स्थिरिकरण इकाईयां संचालित हैं। जिनके माध्यम से वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 में 18725 तथा कुल 118361 शिशुओं को लाभांवित किया गया। 1533 चिन्हित प्रसव केन्द्रों में न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर संचालित हैं जिनके माध्यम से समस्त शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल एवं नवजात पुनर्जीवन सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2018-19 में 20501 तथा कुल 54034 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को इकाई के माध्यम से उपचारित किया गया।

8.42 शिशु स्वास्थ्य एंव पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख अभियान चलाये जातें हैं :-

1. दस्तक अभियान:- वर्ष 2018-19 में दस्तक अभियान को दो चरणों में प्रदेश के 5 वर्ष से छोटे उम्र के लगभग 67 लाख बच्चों तक घर-घर पहुँच बनाई गई एवं गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्तरोग, जन्मजात विकृतियों तथा अन्य बीमारियों की पहचान की गई। वर्ष 2018-19 में 5 वर्ष से कम उम्र के 66,58,406 बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग की गई तथा गंभीर कुपोषित, एनीमिक, दस्त रोगी, निमोनिया ग्रसित तथा जन्मजात विकृति वाले बच्चों को चिन्हांकित कर इलाज दिया गया तथा परिवारों को शिशु एंव बाल आहार आपूर्ति संबंधी समझाईश दी गई।

2. आशा (ASHA - Accredited Social Health Activist) कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रदेश में लगभग 62306 आशा कार्य कर रही हैं। आशा कार्यकर्ता 25 से 45 वर्ष की विवाहित/विधवा महिला हो सकती है जो कि न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आशाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को और बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु सहयोगी तंत्र विकसित किया गया है। इस सहयोगी तंत्र में 4322 आशा सहयोगी, 242 ब्लाक कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं 45 जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर कार्य कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण एंव कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आशा कार्यकर्ताओं को कुल राशि रुपये 17378.67 लाख का भुगतान विभिन्न प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया है ।

8.43 रेफरल ट्रांसपोर्ट के प्रमुख अभियान :-

1. चलित अस्पताल : प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य 44 जिलों में 150 दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित हैं। चलित अस्पताल द्वारा निर्धारित दूरस्थ ग्रामों में जाकर रोगियों का परीक्षण, नि:शुल्क उपचार, गर्भवती महिलाओं की जांच, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में बच्चों का टीकाकरण, परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवायें दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 23.58 लाख तथा वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक कुल 25.39 लाख हितग्राहियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई हैं।

2. संजीवनी 108 : नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त 606 दीनदयाल-108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 5.76 लाख तथा वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक कुल 7.70 लाख मरीजों को इस सेवा के द्वारा लाभान्वित किया गया है ।

8.44 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : वर्ष 2016 से प्रांरभ किये गये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण 4डी (जन्मजात विकृति, कमी, रोग एंव विकासात्मक विलंब सह दिव्यांगता) के अंतर्गत किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी, 2019 तक 87.37 लाख बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें 10.10 लाख बच्चे 4डी के धनात्मक पाये गये जिसमें से कुल 7.46 लाख बच्चों को आवश्यक उपचार प्रदान किया गया तथा 34913 बच्चों की आवश्यक शल्यक्रिया मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में करायी गयी।

8.45 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन:- शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में जीवन यापन कर रहे शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्ष 2013-14 से प्रारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन कुल 66 शहरों में किया जा रहा है। सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों में बाहय रोगी सेवा, प्राथमिक उपचार सुविधायें, नि:शुल्क औषधियॉ तथा पैथोलोजिकल जांचें, परिवार कल्याण सेवायें तथा गर्भवती महिला व शिशु टीकाकरण, संचारी तथा असंचारी रोगों का उपचार, परिवार नियोजन तथा रेफरल सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं।

8.46 परिवार कल्याण कार्यक्रम :- खुशहाली के लिये परिवार को सीमित रखने के उद्येश्य से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम मूल रूप से स्वैच्छिक स्वरूप का है। परिवार को सीमित करने के लिए दो प्रकार की विधियॉ हैं :- 1. अस्थायी 2. स्थायी । अस्थायी विधियों के रूप में गर्भ निरोधक गोलियां एवं निरोध का उपयोग किया जाता है।

जबकि स्थायी विधि के रूप में पुरूष एवं महिला के नसबंदी आपरेशन किये जाते हैं। सामान्यत: प्रदेश में 3.5-4.5 लाख आपरेशन एक वर्ष में किये जाते हैं। हितग्राही एवं प्रेरक को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी प्रावधान है।

8.47 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम :- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 10 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं व दिमागी बीमारी से ग्रस्त है जिसका मुख्य कारण डिप्रेशन है। वर्ष 2018-19 में दिसंबर, 2018 तक 25369 से भी अधिक मरीजों को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिलास्तर पर पहचान कर चिकित्सालयों में उपचार प्रदान किया गया।

8.48 राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम:- भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्येश्य वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों एंव उनकी रोकथाम के उपायों के प्रति जनजागरुकता फैलाना तथा बुजुर्ग मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था एंव वातावरण निर्माण करना है। कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर जिला अस्पतालों में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक हेतु प्रथक पंक्ति की व्यवस्था, जरारोग वृद्धजन क्लीनिक, रैफरल सुविधायें, जनरल वार्डो में आरक्षण व्यवस्था, पैथालोजिकल जांचें व दवाओं की नि:शुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग मरीजों के लिये जिला चिकित्सालय स्तर पर फीजियोथैरिपी यूनिट की व्यवस्था भी की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मध्यप्रदेश के 51 जिलों के जिला चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 5187 बुजुर्ग मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा 7908 से अधिक लैबोरेटरी एंव अन्य नैदानिक जांचें की गईं।

पेयजल व्यवस्था

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैंडपंप एवं नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराता है। प्रदेश की 127448 बसाहटों में लगभग 5.40 लाख हैण्डपंपों एवं 15500 नलजल प्रदाय योजनायें हैं 112216 बसाहटों में निर्धारित 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध करवाकर पूर्णत: आच्छादित किया गया है।

जलप्रदाय व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय एवं स्वायत्तशासी बनाने के उद्देश्य से नलजल प्रदाय योजनाओं से अधिकाधिक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध

कराने का लक्ष्य घरेलू नल कनेक्शनों का वर्तमान औसत लगभग 11.38 प्रतिशत का है, जो राष्ट्रीय औसत 17.93 प्रतिशत से तुलनात्मक रूप से कम है। राष्ट्रीय औसत के समतुल्य पहुॅचने के लिये सतही स्त्रोतों की उपलब्धता एवं ग्रामों की आपसी दूरी को दृष्टिगत रखते हुये समूह एवं एकल नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जावेगा।

सतही स्त्रोत आधारित समूह योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2012 में जल निगम का गठन किया। जल निगम के द्वारा 6182 ग्राम की 67 लाख जनसंख्या हेतु 59 समूह नलजल योजनाऐं लागत रूपये 7900 करोड़ की स्वीकृत की गयी है। 16 समूह योजनाऐं पूर्ण कर ली गई है। जिससे 694 ग्रामों की 7 लाख जनसंख्या को घरेलू नल संयोजन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 42 अन्य समूह जलप्रदाय योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। जायका जापान से सहायता प्राप्त कर 2 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। इनसे 1735 ग्रामों की 20 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। इसके अतिरिक्त जल निगम के द्वारा 23 समूह योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार की गई है। जिनकी अनुमानित लागत 16000 करोड़ है। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री पेयजल योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के 8 ग्रामों का चयन कर प्रथम चरण में विकासखण्ड के 4 ग्रामों में पेयजल योजनाऐं क्रियान्वयन हेतु 1471 योजनाऐं स्वीकृत की गई जिनकी कुल अनुमानित लागत रूपये 1437 करोड़ है तथा उनमें से 997 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाकर 91 योजनाऐं पूर्ण की गई।

प्रदेश में पेयजल के अतिरिक्त, कृषि एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-जल के अत्याधिक दोहन के फलस्वरूप भूजल स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है। भू-जल के अतिदोहन का एक दुष्परिणाम जल गुणवत्ता में गिरावट के रूप में परिलक्षित हुआ है। फलस्वरूप ग्रीष्म ऋतु में नलकूप आधारित योजनाओं से जलप्रदाय प्रभावित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हये विभाग द्वारा सतही जल आधारित योजनाऐं बनाये जाने पर जोर दिया जा रहा है इस हेतु नर्मदा के दौनों ओर की 50 किमी की दूरी पर आने वाली बसाहटों की समूह नलजल योजना बनाई जाना प्रस्तावित है। चूंकि समूह योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु काफी बडी धनराशि की आवश्यकता होगी, इस कारण राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश की लगभग 9183 बसाहटें गुणवत्ता प्रभावित के रूप में चिन्हित की गई थीं इनमें से 9083 बसाहटों में वैकल्पिक शुद्ध पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष 150 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें आगामी 2 वर्षों मे पूर्ण कर लिया जावेगा।

हैण्डपंप योजनाओं का संधारण विभाग द्वारा एवं नलजल प्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों में स्वच्छ पेयजल के उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जल सहायता संगठन के माध्यम से प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। जिससे पंचायतीराज संस्थाओं में न सिर्फ जागरूकता पैदा हो रही है बल्कि योजना संचालन हेतु क्षमता का विकास भी हो रहा है।

स्वच्छ पेयजल के उपयोग एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्त्रोतों के जल के परीक्षण हेतु प्रदेश में विभाग की एक राजस्तरीय 51 जिलास्तरीय एवं 104 उपखण्डस्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल के गुणात्मक परीक्षण हेतु ग्रामीणजनों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं उसका उपयोग सुनिश्चित कर ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य के प्रति विभाग प्रतिबद्ध है।

श्रम

श्रमिकों के हितों का संरक्षण एंव औद्योगिक क्षेत्र में शान्तिपूर्वक कार्य संचालन एंव द्वंद निराकरण श्रम विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्ष 2017-18 में (अप्रैल से सितम्बर 2017 तक की अवधि में) औद्योगिक अशांति के कारण 10 विवाद उत्पन्न हुए एवं 30.00 हजार मानव दिवसों की हानि हुई।

8.49 ग्रामीण श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी : कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करके कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन माह, सितम्बर 1989 से प्रभावशील किया गया था। अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत छमाही (जनवरी-जून 2018) में 20 औसत बिंदुओं की व्रद्धि हुई है। अप्रैल, 2018 से जारी दरें यानि 6118.00 रूपये प्रतिमाह अथवा 209.93 रूपये प्रतिदिन दरों को दिनांक सिंतबर, 2018 तक जारी किया गया है।

8.50 बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 मई 2016 से लागू की गई है। इस योजना में शतप्रतिशत-अंश (100 प्रतिशत) केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है।

योजना में पुरुष बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 1.00 लाख,बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रूपये 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रूपये 3.00 लाख प्रावधानित है। बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु प्रति जिला राशि रूपये 4.50

लाख, राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रूपये 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रूपये 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। नवीन योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(अ) प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जायेगा जिसमें रूपये 10.00 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तात्कालिक सहायता राशि रूपये 20 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। निधि में बंधक श्रमिकों के नियोजकों से प्राप्त होने वाले दण्ड की राशि जमा की जायेगी। इस निधि में से किए जाने वाले सम्पूर्ण व्यय की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में जिला कलेक्टर द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

उक्त योजना के प्रकाश में प्रथमतया 51 जिलों में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि गठन करने पर निम्नानुसार CORPUS निर्मित करने हेतु राशि रूपये 278.98 जिलो को आवंटित की गई है।

8.51 बाल श्रम : राज्य में बाल श्रम कुप्रथा के उन्नमूलन हेतु वर्ष 2017-18 में बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत 1012 निरीक्षण किये गये तथा 87 बाल श्रमिक विमुक्त कराये गये एवं 66 उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किये गये राज्य में 9 जिलों में राष्ट्र बालश्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष विद्यालय संचालित है, जिनके अंतर्गत 252 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। परियोजना के अंतर्गत 41729 से अधिक कामकाजी बच्चों को मुख्य धारा में प्रवेश दिलाया गया है।

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेधएएवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को जारी संशोधित नियम लागू किये गए :-

नियम 2 अ-अधिनियम के उल्लंघन में बालकों एवं कुमारों के नियोजन के संबंध में जागरूकता - (क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों एवं कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधो के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को बालकों एवं कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके।

उक्त कार्य हेतु प्रत्येक जिले हेतु राशि रू. 1.00 लाख की दर से प्रदेश के 51 जिलों हेतु रू.51 लाख का बजट प्रदान किया गया है।

रोजगार

8.52 पंजीयन : मध्यप्रदेश राज्य स्थित 52 रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2017 में 17.05 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया था। वर्ष 2018 की अवधि में लगभग 7.48 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया। रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2017 के अंत में 23.85 लाख थी, जो वर्ष 2018 के अंत में बढकर 26.82 लाख हो गई जो गत वर्ष से 12.45 प्रतिशत की बढोत्तरी दर्शाती है।

8.53 शिक्षित बेरोजगार : राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगार आवेदकों की संख्या वर्ष 2017 के अंत में 21.79 लाख थी जो वर्ष 2018 के अंत में 11.70 प्रतिशत बढकर 24.34 लाख हो गई है वर्ष 2017 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगार आवेदकों का प्रतिशत 91.36 था जो वर्ष 2018 के अंत में घटकर 90.75 प्रतिशत हो गया।

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगार आवेदकों में से रोजगार दिलाये गये आवेदकों की संख्या वर्ष 2017 के अंत में 109 थी जो घटकर वर्ष 2018 के अंत में 54 हो गई है।

8.54 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास : मध्यप्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2018 में 54 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसमें 33 अनुसूचित जाति के आवेदक हैं (महिलायें एंव अनुसूचित जनजाति के आवेदक नहीं हैं) जबकि पूर्व वर्ष 2017 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये कुल 109 आवेदकों के भरे गये पदों में से 36 महिलायें, 48 अनुसूचित जाति एंव 07 अनुसूचित जनजाति के आवेदक थे।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

8.55 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च, 2018 के अंत तक राज्य में कुल 735559 कर्मचारी कार्यरत रहे । कुल शासकीय कर्मचारियों में वर्ष 2017 की अपेक्षा वर्ष 2018 में 0.57 प्रतिशत की कमी हुई । कुल कर्मचारियों में शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी 452429 राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं

अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं में 56869 नगरीय स्थानीय निकायों में 88367 ग्रामीण स्थानीय निकायों में 130291 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 1657 एवं विश्वविद्यालय में 5936 कर्मचारी कार्यरत रहे।

8.56 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : राज्य में जनवरी 2018 तक कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 15881 है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 885175 है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन करता है ।

8.57 इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें वर्ष 2016-17 में 5.87 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 5.87 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसमें 5.52 लाख आवास पूर्ण कराये गये है।

8.58 मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना: योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में कुल 0.26 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 0.26 लाख आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। जिसमें से 0.23 लाख आवास पूर्ण कराये गए हैं।

8.59 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन एवं कच्चे/अर्धपक्के आवासों में निवासरत ग्रामीणें को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई है। यह एक " मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-अनुदान" योजना है। यह मिशन 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 6 जिला सहकारी बैकों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान में लगभग 6.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु लगभग राशि रूपये 6000 करोड़ का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है जिसमें राशि रूपये 3000 करोड़ शासकीय अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना को समाप्त किया जा रहा है।

8.60 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : योजना का कदम सभी आवासरहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 तक लक्ष्य 14.29 लाख आवास के विरुद्ध 11.96 लाख आवास पूर्ण कराये गये।

8.61 मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

- मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य आजीविका मिशन का प्रारंभ वर्ष 2012 से हुआ है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित आजीविका मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- स्व-सहायता समूहों से निर्धन ग्रामीण परिवारों को जोडने हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 6 लाख परिवारों के विरूद्ध माह दिसंबर 2018 तक 2,87,400 परिवारों को 25,592 महिला स्वसहायता समूहों से जोडा गया है।
- स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण प्रदाय करने के वार्षिक लक्ष्य 42,000 समूहों को रू. 451 करोड़ के बैंक ऋण के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक 22715 समूहों को रू. 125.25 करोड़ का ऋण दिलाया गया।
- ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य 90,000 युवाओं के विरूद्ध माह दिसंबर 2018 तक 75368 युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 7,000 हितग्राही एवं बजट राशि रू. 35 करोड़ के विरूद्ध माह दिसंबर 2018 तक 5233 प्रकरण राशि रू. 25.12 करोड़ के स्वीकृत हुए तथा 4427 प्रकरण राशि रूपये 21.43 करोड़ के वितरित किये गये।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 7,000 हितग्राही एवं बजट राशि रू. 70 करोड़ के विरूद्ध माह दिसंबर 2018 तक 5211 प्रकरण राशि रू. 65.22 करोड़ के स्वीकृत हुये तथा 4343 प्रकरण राशि रू. 54.11 करोड़ के वितरण किये गये।

8.62 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम : योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के लागू होने से मजदूर द्वारा काम की मांग करने से लेकर उसके खाते में मजदूरी भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशित होने लगी है। कार्मिकों के हितों के लिये लागू यह पारदर्शी व्यवस्था है। म.प्र. में 26 नवम्बर 2016 से एनईएफएमएस लागू किया गया है जिससे श्रमिक के खाते में राशि सीधे भारत सरकार से हस्तांतरित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक योजनांतर्गत कार्य पर उपस्थित 50.62 लाख परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम कार्य निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया गया। इसमें 1539.06 लाख मानव दिवस सृजित हुयें हैं। पूर्ण कार्य 10,83,262 हैं तथा प्रगतिरत कार्य 7.06 लाख है।

8.63 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम : मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम सभी प्राथमिक / माध्यमिक शासकीय शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, बालश्रम परियोजना की शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्रसे सहायता प्राप्त मदरसों में क्रियान्वित किया जाता हैं । लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में पका हुआ रुचिकर एंव पौष्टिक भोजन वितरित किया जाता है । कार्यक्रम के प्रमुख उद्येश्य निम्नानुसार हैं :-

- शिक्षा का लोकव्यापीकरण
- दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि
- उपस्थिति में निरंतरता
- आय मूलक गतिविधियों की संभावनाओं की तलाश कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

वर्ष 2018-19 की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति माह दिसंबर 2018 :- प्रदेश के लक्षित शालाओं के 52.60 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 1.14 लक्षित शालाओं में मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया गया।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 969.74 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रु. 674.90 करोड़ व्यय किया गया।

अभिनव प्रयास :-

- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में पारदर्शिता एंव भुगतान में समयबद्धता लाने हेतु मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से रसोइयों के मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में तथा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को शालावार खाद्यान्न आंवटन किया जा रहा हैं।
- प्राथमिक शालाओं के लगभग 32 लाख एंव आंगनवाडियों के लगभग 26 लाख बच्चों को सप्ताह में 03 दिवस दूध पाउडर से तैयार कर 100 मि.ली. तरल दूध प्रदाय किया जा रहा है । दुग्ध प्रदाय योजना हेतु राशि रु. 123.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध राशि रु. 61.44 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

8.64 पंचायतराज संचालनालय :पंचायतराज संचालनालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रुपये 6759.72 करोड़ का प्रावधान है । जिसमें से वर्ष 2018-19 में कुल राशि रुपये 6195.30 करोड़ विभाग के बीसीओ पर प्राप्त हुये है ।

- प्रदेश में **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फेस-1 में चयनित ग्रामों को राशि रुपये 63.33 करोड़ वितरित की गई है। वर्तमान में प्रदेश के 316 ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **सांसद आदर्श ग्राम योजना** विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से चलायी जा रही है । माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है । इसके अंतर्गत अब तक 68 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ।

- **पंचायत भवन निर्माण योजना** अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल 1117 भवन विहीन पंचायतों में पंचायत भवन बनाने हेतु राशि रुपये 16174.16 लाख स्वीकृत किये जा चुके हैं ।
-
- **पुरस्कार योजना** भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत राजगढ एंव झाबुआ को रुपये 50.00 लाख, जनपद पंचायत बलडी एंव पृथ्वीपुर को रुपये 25.00 लाख एंव ग्राम पंचायत सिहाडा एंव सुन्द्रेल को रुपये 12.00 लाख एंव ग्राम पंचायत कोदरिया को रुपये 15.00 लाख, ग्राम पंचायत बरखेडी अबदुल्ला, किल्लोद, इटायली, भरलाई, बिनवारा, परवलिया, जलकुंआ एंव भम्होरा रुपये 8.00 लाख प्रत्येक को पुरस्कार राशि प्राप्त हुई ।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अभियान प्रांरभ से अब तक 62.78 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्मित हुये । ग्रामीण क्षेत्र के 90.69 लाख घरों में शौचालय की सुविधा के साथ प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है । प्रदेश के समस्त 51 जिलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश को सम्पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है ।ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु चरणबद्ध ढंग से **ठोस अपशिष्ट प्रंबधन रणनीति** बनाई जा रही है जिससे समूचे प्रदेश में शुद्ध वातावरण का निर्माण हो सके ।

शहरी क्षेत्र में रोजगार

8.65 दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिए स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है ।

8.84.2 यह योजना वर्ष 2011 से जनगणना के आधार पर अक्टूबर 2013 से प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है। वर्तमान में 70 शहरों में लागू की गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रं.	जनसंख्या	प्रदेश के शहर
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर
2	5 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3	3 लाख से 5 लाख	सागर
4	1 लाख से 3 लाख	देवास,सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाडा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतुल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर, डबरा ।
5	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सीहोर, मडंला, रायसेन, पन्ना, बडवानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ, अलीराजपुर,अनुपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर,
6	50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर	मण्डदीप, आष्टा, सिरोंज, गंजवासौदा, गोहद, सेंधवा, गाडरवाडा, मैहर, बीना, खुरई, जावरा, राघौगढ- विजयपुर, मकरोनिया, शुजालपुर, सारणी,

8.66 योजना के प्रमुख घटक :

- सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास ।
- कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से
- स्वरोजगार कार्यक्रम
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका 8.11 निम्नानुसार है :

तालिका 8.11

शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति)

(रु० लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	स्वरोजगार कार्यक्रम	2016-17	7200.00	12000	11779.63	15466
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		4000.00	40000	2500.30	44432
3	स्वरोजगार कार्यक्रम	2017-18 माह दिसम्बर तक	-	30000	10631.05	15112
4	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		-	49076	-	5285

राज्य शासन की नवीन योजनायें

8.67 हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना : प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान तक 57652 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

8.68 शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना : शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारम्भ की गई है । योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रशिक्षण अवधि में 2000/- पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है । वर्तमान तक 63109 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

8.69 मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना : प्रदेश में शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के

लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 से लागू की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है । वर्तमान तक 32060 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

8.70 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत केश शिल्पी कल्याण योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्पी का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में लागू की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 10635 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

8.71 मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना : शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना प्रारंभ की गई है । उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी । नवम्बर 2017 तक 436 हितग्राहियों को ई-रिक्शा तथा 32 हितग्राहियों को ई-लोडर का वितरण किया गया है।

8.72 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है । वर्तमान तक 30445 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

8.73 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 2,00,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 7 प्रतिशत से

अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा। समूह के लिए रोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 10,00,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है । वर्तमान तक 31034 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वागीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही है । बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन 453 बाल विकास परियोजनाओं मे कुल 84465 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र एंव 12670 हजार मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ।

8.74 पोषण आहार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश में संचालित 453 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार पर व्यय की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार पूरक आहार दिए जाने का प्रावधान है ।

हितग्राही	01-04-2018 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रू-8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
अति कम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रू. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती/धात्री माता	रू. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

- **06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे/गर्भवती धात्री महिलायें :** प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों

गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन पोषण आहार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है ।

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे :** शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन साप्ताहिक मीनू के अनूसार पूरक पोषण आहार देने के रूप में दिया जा रहा है।

- **06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील:** 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन तथा मंगलवार गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता दिये जाने का प्रावधान है।

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दूध का प्रदाय:** आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को 100 एम.एल. मीठा सुगन्धित स्किम्ड फलेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 03 दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) को प्रदाय किया जा रहा है।

8.75 सबला योजना (किशोरी बालिका) : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित जिलों में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है ।

8.76 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन : प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहायोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उद्येश्य से मिशन प्रांरभ किया गया है, ताकि वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे- वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढीकरण पर भी ध्यान दिया जा सके। वर्ष 2020 हेतु मिशन के लक्ष्यों का पुननिर्धारण एवं रणनीति का अनुमोदन मिशन की साधारण सभा द्वारा निम्नानुसार किया गया।

क्र.	विवरण	एन.एफ.एच.एस.4 (2015-16)	अटल बाल मिशन में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर	65	40
2	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	42.8	30
3	गंभीर कुपोषण (SAM) का प्रतिशत	9.2	<5

वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्युदर (यू.एफ.एम.आर.) 94.2 प्रति हजार से घटकर 65 प्रति हजार हो गया है। वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के बच्चों के दर 60 प्रतिशत से घटकर 42.8 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण (SAM) की दर 12.6 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत हो गई है।

8.77 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) : यह योजना संपूर्ण देश में **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013"** के तहत लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना है। गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके तथा नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना है। योजनांतर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को प्रथम जीवित बच्चे पर (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को छोडकर) तीन किस्तों में 5000 रूपये राशि देयक होगी। प्रथम किस्त में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन करने पर 1000 रूपये द्वितीय किश्त में कम से कम प्रसव पूर्व एक जांच (गर्भावस्था के 06 माह बाद) 2000 रूपये एवं तृतीय किश्त में बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर 2000 रूपये ऐसी धात्री माताओं को नगद प्रोत्साहन राशि Direct Benifit transfer के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 4.33 लाख हितग्राहियों को राशि रूपये 31.53 करोड़ का भुगतान किया गया।

8.78 वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना : सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुविधायें जैसे-अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनौवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी जिलो में वनस्टॉप सेंटर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर पर 2481 महिलाऐं पंजीकृत की गयी।

8.79 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही थी, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ ब्लॉक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी/ वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किये गये हैं। योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में 6400 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

8.80 स्वाधार आश्रयगृह योजना : कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला बाल विकास द्वारा स्वाधार आश्रयगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में निराश्ररित, विधवांए, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्ररित हुई महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, हिंसा से पीढित मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं आदि आश्रयगृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुर्नवास का लाभ पाती है। इस योजना में जमीन,भवन निर्माण/ किराया राशि गृह की व्यवस्था, परामर्श सेवा, पुर्नवास हेतु आर्थिक गतिविधि एवं प्रशिक्षण के लिए राशि दिये जाने का प्रावधान है। 16 जिलों में 17 स्वाधारगृह संचालित है।

8.81 महिला वसति गृह योजना : भारत सरकार सहायित कामकाजी महिला वसति गृह योजना अंतर्गत कामकाजी महिलाओ/प्रशिक्षणार्थी बालिकाओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में जिला इंदौर एंव भोपाल में शासकीय कामकाजी महिला वसति गृह संचालित है।

8.82 किशोरी बालिका योजना : योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के संपूर्ण जिलों में किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को सशक्त बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना, स्वास्थ्य, साफ-सफाई परिवार आधारित, जीवन उपयोगी कौशल उन्नयन करना, शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा से जोडकर शिक्षा के मुख्यधारा में लाना है। साथ ही 11-14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरियों को आंगनवाडी केन्द्र के माध्यम से 300 दिवस का टी.एच.आर. दिया जाता है।

8.83 उदिता योजना : योजनांतर्गत किशोरियों एवं अन्य महिलाओं में पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य, स्वच्छता, समुचित महामारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा अच्छी गुणवत्ता

वाले सेनेटरी नेपकिन के उपयोग के लिये प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। बाल किशोरियों एंव महिलाओं को सेवा में उपलब्ध कराने हेतु आंगनवाडी केन्द्रों पर उदिता कॉर्नर बनाए गये है।

महिला वित्त एवं विकास

8.84 महिला वित्त एवं विकास निगम की योजनायें : महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा महिलाओं के हित के लिए निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है

8.85 तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आय फेड) के सहयोग से योजना प्रदेश के 06 जिले जैसे- डिण्डोरी, मण्डला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ में क्रियान्वित की जा रही है। इन जिलों के चयन का आधार आदिवासी बाहुलता, व्यापक गरीबी तथा महिलाओं की स्थिति में असमानता है के आधार पर चयन किया जाता है। सामुदायिक संस्था का विकास, सूक्ष्म वित्त सेवायें, आजीविका एवं उदगम विकास, महिला सशक्तीकरण,सामाजिक न्याय व समानता तथा शौर्यदल योजना के प्रमुख घटक है।

योजना से जुडने के पश्चात 80 प्रतिशत महिलाओं की आय में बढोत्तरी हुई है। तेजस्वनी महिलाओं की औसत मासिक आय 163 प्रतिशत बढी है। जबकि इस योजना से जुडने के पश्चात 63 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुडी है। पंचायती राज्य व्यवस्था में तेजस्वनी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

8.86 आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण योजना:- योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मण्डला जिले के विकासखण्ड निवास में कुल 1470 महिलाओं के साथ राई एवं रामतिल की आधुनिक पद्धति से कृषि विपणन एवं आईल एक्सपेलर यूनिट की स्थापना की गयी है। जिला बालाघाट के क्षेत्र गढी में 300 आदिवासी महिलाओ के साथ अलसी क्रय विक्रय व रोस्ट यूनिट की स्थापना की गयी है ।

8.87 संवेदना कार्यक्रम : निगम द्वारा जाबाली योजना के अंतर्गत संवेदना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेडिया, बाछडा, सांसी, जाति की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोडना है व इन जाति में प्रचलित कुरीतियों को हतोत्साहित करना है।

8.88 डिंडोरी के 9 विकासखंडों में उन्नत कृषि:- योजनांतर्गत आदिवासी विभाग द्वारा जिले में 4500 आदिवासी महिला कृषकों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें 9 तेजस्वनी महिला महासंघ की 500 आदिवासी महिला सदस्य को शामिल कर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

8.89 ममत्व मेला : मध्यप्रदेश में ममत्व मेले का आयोजन वर्ष 1990 से प्रांरभ हुआ। मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम द्वारा स्व-सहायता समूहो/विभिन्न महिला समूहों तथा ग्रामीण /शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनाई सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए बडे शहरों में ममत्व मेला (म.प्र. महिला त्वरित विकास) का आयोजन किया जाता है। मेले के माध्यम से महिला उद्यमियों, विशेष तौर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों को सीधे शहर में बेचने का अवसर मिलना है, उनके द्वारा रोजगारोन्मुखीकरण के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है।

ममत्व मेले में ग्राहको के निरन्तर सहयोग और आकर्षण को देखते हुए आवश्यक बदलाव किये गये है। वस्तुत: अब यह मेला सिर्फ बेचने व खरीदने का स्थान अकेला न होकर महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं की क्षमता वृद्धि का आधार बन गया है। विगत वर्षो में ममत्व मेला में महिला हितो और महिला सशक्तिकरण के लिए वातावरण बनाये जाने पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 2016 में ममत्व मेले का आयोजन भोपाल में किया गया एवं वर्ष 2017-18 में ममत्व मेले को ही स्वरोजगार मेले का रूप दिया गया है।

अनुसूचित जातियों का विकास

इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाऐ संचालित कर रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है। इसी अनुपात में राज्य की कुल आयोजन का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गो के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है।

अनुसूचित जाति उप योजना के तहत अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/आयोजन के नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति विभाग नोडल विभाग है।

शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां :-

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 571 जूनियर छात्रावास (कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु) 1153 सीनियर छात्रवासों (कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु) संचालन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रवास प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 12 छात्रवास संचालित किये जा रहे है। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 महाविद्यालयीन छात्रवास संचालित है। इन समस्त छात्रवासों में 97952 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अत्याचार निवारण :-

अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा शेष जिलो में जिला न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। 10 ऐसे जिले जहॉ उत्पीड़न के अधिक मामले दर्ज हुये है वहॉ प्रभावी रूप से पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करने तथा सशक्त बहस के लिये 10 उप संचालक लोक अभियोजक के पद स्वीकृत कर पदस्थापना कराई गई है।

तालिका 8.12

अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	जुनियर छात्रावास	256	12008	315	16107	571	28115
2	सीनियर छात्रावास (उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रो सहित)	633	30168	520	25354	1153	55522
3	महाविद्यालयीन छात्रावास	108	5770	81	4345	189	10115
4	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास	10	1800	10	1800	20	3600
5	प्रवीण्य उन्नयन हेतु संचालित छात्रावास	6	300	6	300	12	600
	योग	**1013**	**50046**	**932**	**47906**	**1945**	**97952**

छात्रावासों में रहने वाले बालकों को 1140 एंव बालिकाओं को 1180 प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।

राज्य छात्रवृति

यह छात्रवृति कक्षा 1 से 10 तक बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है :

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5 तक	-	250 (10 माह के लिए)
6 से 8 तक	200 (10 माह के लिए)	600 (10 माह के लिए)
9 से 10 तक	600 (10 माह के लिए)	1200 (10 माह के लिए)

8.90 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण : प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले (जहां मुख्य ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुॅची है) में विद्युत लाइन विस्तार करने संबधी योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से यह योजना अनुसूचित बस्ती विकास में समाहित की गई है। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 250.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 134.78 लाख का व्यय कर 48 कार्य स्वीकृत किये गये।

8.91 अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम भवनों क निर्माण : वर्तमान में कुल 1945 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है, जिनमें से 502 संस्थाऐं भवन विहीन है। वर्ष 2018-19 में भवन निर्माण में राशि रूपये 152.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जिससे 43 छात्रावास तथा 36 पूर्व छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई जिसमें 65 छात्रावास भवनों का निर्माण किया गया है।

8.92 अनुसूचित जाति बस्तियों का विकासः प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु नवीन अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2017 स्वीकृत हैं। अनुसूचित जाति बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/वार्डों/मोहल्लों/ मजरे/टोले/पारे से है, जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इन बस्तियों में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हेण्ड पम्प खनन, पहुॅच मार्ग पर रपटा/पुलिया आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है ।

वर्ष 2017-18 में बजट प्रावधान राशि रूपये 1000.00 लाख के विरूद्ध 8417.28 लाख का व्यय कर 1677 बस्तियों में कार्य स्वीकृत किये गये है । अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों हेतु 88 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड

मुखयालयों पर रुपये 41.80 लाख प्रति भवन की लागत से "डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन" का निर्माण कराया जा रहा है।

8.93 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्ष 2017-18 में किए गए उल्लेखनीय कार्य:

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:-** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 6995 युवकों के स्वरोजगार प्रकरणों की स्वीकृति के विरूद्ध 6564 प्रकरणों में ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया।
- **मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना:-** योजनांतर्गत 3098 प्रशिक्षित किये गये एवं इनमें से 12 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना:-** इस योजनांतर्गत 4063 प्रकरणों में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 594.76 लाख अनुदान वितरित किया गया है।
- **विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:-** वर्तमान में 28 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत है जिन पर 372.23 लाख रूपये व्यय किया गया है। वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के विरूद्ध 35 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
- **नवीन छात्रावासों की स्वीकृति:-** वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 76 प्री मैट्रिक (जूनियर एवं सीनियर) और 2 पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन) छात्रावास संचालित किये गये हैं जिससे 3900 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
- **परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र:-** परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेशित रहे 82 विद्यार्थी म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं 15 विद्यार्थी वर्ष 2017-18 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए है।
- **वाल्मीक प्रोत्साहन योजना:-** योजनांतर्गत 82 अनुसूचित जाति विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आई.आई.टी. जे.ई.ई./ क्लेट के माध्यम से चयनित होकर देश के आई.आई.टी. एन.आई.टी एवं एन.एल.यू.आई. में प्रवेश लिया है जिन्हें योजना के प्रावधान अनुसार लाभान्वित किया गया ।
- **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:-** समग्र छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 170074 विद्यार्थियों को 52.27 करोड़ राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया है एवं 185625 महाविद्यालयीन छात्रों को राशि रूपये 276.31 करोड़ छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।
- **विद्यार्थी आवास सहायता योजना:-** गत वर्ष प्रवेशित रहे 39887 विद्यार्थियों को 7100.00 लाख का भुगतान कर लाभान्वित किया गया । वर्ष 2018-19 में अब तक ऑनलाईन के माध्यम से 41808 विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए जिसके लिए भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

- **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-** संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल 106 अभ्यार्थियों को रूपये 399.77 लाख वितरित किये गये।
- **सिविल सेवायें आई.ए.एस., आई.पी.एस. की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग:-** 82 विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाया गया।
- **ज्ञानोदय विद्यालयों का संचालन:-** 10 ज्ञानोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक 3600 स्वीकृत सीट के विरूद्ध 88.55 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस वर्ष 10 में 99.13 प्रतिशत तथा कक्षा 12 में 99.07 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए है।
- **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना:-** 637 युगल को योजनांतर्गत रूपये 1274.00 लाख राशि वितरित की गई।
- **छात्रावास भवनों का निर्माण:-** निर्माणधीन 131 भवनों में से 65 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- **डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन निर्माण:-** स्वीकृत 88 डॉ. अम्बेडकर मंगल भवनों में से 71 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जनजातियों वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे है । विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाऐं प्रमुख है । विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए कतिपय योजनाऐं भी संचालित की जा रही है ।

वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजति की जनसंखया 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी की 21.10 प्रतिशत है । भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है । इन जनजातियों के विकास हेतु 03 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाऐं 05 मध्यम परियोजनाऐं 30 माड़ा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल कार्यरत है । प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड है ।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानुसार है-:

8.94 शैक्षणिक संस्थायें : प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही है । शिक्षा में सुधार लाने के लिये इन शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है । वर्ष 2018-19 का विवरण **तालिका 8.13** में दर्शाया गया है

तालिका 8.13

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान

संस्था का नाम	संख्या
प्राथमिक शालाएं	12643
माध्यमिक शालाएं	4369
हाई स्कूल	805
उ.मा.वि.	786
आदर्श आवासीय उ.मा.वि.	08
कन्या शिक्षा परिसर	72
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	29
विशेष पिछडी जनजाति आवासीय विद्यालय	03
क्रीड़ा परिसर	26
जूनियर छात्रावास	199
सीनियर छात्रावास	979
आश्रम शालाएं	1083
उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	216
शासकीय गुरूकुलम विद्यालय	04
महाविद्यालयीन छात्रावास	152

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक 60 रुपये मासिक एंव 9 वीं से कक्षा 11 वीं तक 130 रुपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। वर्ष 2016-17 में 44819 कन्याओं को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 990.00 लाख तथा वर्ष 2018-19 में राशिरुपये 1125.00 लाख लोकशिक्षण संचालनालय को हस्तांतरित की गई।

8.95 राज्य छात्रवृत्ति : राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को एवं कक्षा 6 से 10 तक के बालक-बालिकाओं को, दस माह हेतु निम्न दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं जिसका विवरण **तालिका 8.14** में दर्शाया गया है:-

तालिका 8.14
अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

कक्षा	बालक/ वार्षिक	बालक/ वार्षिक
1 से 5	150/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	150/-
6 से 8	200/-	500/-
9 से 10	600/-	1300/-

वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5वीं की छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 2911.50 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 2620.35 लाख की राशि व्यय की जाकर 944135 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

वर्ष 2016-17 में कक्षा 6 से 10वीं की छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 15913.82 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 14322.44 लाख की राशि व्यय की जाकर 1425773 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

8.96 पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत): पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू 2.50 लाख से रू 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावको के बच्चों को राज्य शासन के स्त्रोत से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 14378.30 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 11922.68 लाख की राशि व्यय की जाकर 251732 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

8.97 विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है ।

वर्ष 2016-17 में 4 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया राशि रूपये 216.00 प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 194.02 लाख की राशि व्यय की जाकर संबंधित के खातों में जमा की गई है ।वर्ष 2017-18 में 50 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.98 क्रीड़ा परिसर : आदिवासी बच्चों को खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये प्रदेश में 100 सीटर कुल 26 आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 19 बालकों के लिए तथा 07 बालिकाओं के लिए हैं। प्रवेशित छात्रों को रूपये 3000 प्रतिमाह खाने एवं पोषण आहार हेतु राशि दी जाती है। वर्ष में एक बार स्पोर्टस किट के लिए 3000/- रूपये की सुविधा दी जा रही है। इन क्रीड़ा परिसरों का ध्येय प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र/छात्राओं की खोज करना एवं

उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल कराकर प्रतिभा का विकास करना है।

वर्ष 2017-18 में 222 खिलाडियों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पदक प्राप्त किये गये है।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता हैः-

(राशि रूपयों में)

	राष्ट्रीय स्तर (एकल)	**राज्य स्तर(सामूहिक)**	**राज्य स्तर पर शाला**
प्रथम स्थान	21000	10000	7000
द्वितीय स्थान	15000	7000	5000
तृतीय स्थान	11000	5000	3000
सहभागिता	4000	-	-

वर्ष 2017-18 में 26 क्रीडा परिसरों में 7 क्रीडा परिसरों का चिन्हांकन कर अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा एवं कोचिंग उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित किया गया है। (इंदौर, खरगोन, शहडोल में बालक एवं डिण्डोरी, धार और झाबुआ कन्या परिसर) प्रत्येक क्रीडा परिसर में 2-2 विधायें चिन्हित की गयी हैं एवं शिष्यावृत्ति 3000.00 से बढकर 6000.00 माह की दर से देय होगा।

वर्ष 2017-18 में प्रावधान राशि 2030.12 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 1380.48 लाख व्यय हुई है एवं वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 1891.36 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 972.57 लाख की राशि व्यय की गई है।

8.99 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना : अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधायें यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सडके, नाली निर्माण मुख्य सडक से अनुसूचित जन जाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण, आदि उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 11725.13 लाख प्रावधान के विरूद्ध51 जिलों में स्वीकृत कार्य पर राशि रू 9658.24 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 15690.78 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 6781.23 लाख व्यय किये गये।

8.100 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय : प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में 29 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 वीं तक 8617 विद्यार्थी है, जिसमें 4250 बालक और 4367 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

वर्ष 2017-18 में आवर्ती मद में राशि 3647.28 लाख तथा अनावर्ती मद में राशि 3560.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ ।

8.101 अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु नवीन सायकिल प्रदाय योजना: इस योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी के जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई है तथा उन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 2 किमी से अधिक की दूरी तय करनी पडती है, ऐसी बालिकाओं को सोजना का लाभ दिया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 में 2192 बालिकाओं को लाभांवित कर राशि रूपये 69.97 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर 2018 तक 285 बालिकाओं को लाभांवित कर राशि रूपये 9.10 लाख व्यय किये गये हैं।

8.102 मेधावी विद्यार्थियों को पुरूस्कार योजना : इस योजना में दो प्रकार की पुरूस्कार योजनाऐं संचालित हैं।

- **शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरूस्कार योजना** : माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के (मेरिट सूची से चयनित) विद्यार्थियों को शंकर शाह एवं रानी दुर्गावती पुरूस्कार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017 में कक्षा 10 वीं के 07 छात्र/छात्राऐं एवं कक्षा 12 वीं के 10 छात्र/छात्राओं को रानी दुर्गावती/शंकर शाह पुरूस्कार वितरित किया गया है। वर्ष 2018-19 में योजनांतर्गत राशि रूपये 11.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 6.20 लाख की व्यय हुई है।

- **अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरूस्कार योजना:** वर्ष 2017-18 में 17 विद्यार्थियों को रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरूस्कार एवं 10 बालिकाओं को बालिका विज्ञान प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जाने की स्वीकृति जारी कर राशि रूपये 5.00 लाख की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2018-19 में भी राशि रूपये 5.00 लाख व्यय हुई है।

8.103 शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार: योजना को तीन श्रेणियों में संशोधित कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। 1. सीनियर छात्रावास 2. विभागीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूलों के लिये पुरूस्कार 3. प्राचार्य हेतु पुरूस्कार। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 9.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 2.50 लाख की राशि व्यय की गई है एवं वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 40.50 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 2.15 लाख व्यय कर लगभग 327 संस्थाओं को पुरूस्कृत किये जाने का प्रावधान है।

8.104 विद्यार्थी कल्याण: अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1.	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	-	1000/-
2.	विद्यार्थियों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।	-	3000/-
3.	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	-	3000/-
4.	असामयिक विपत्ति	-	25000/-
5.	विशेष रोग, केंसर, टी.बी .हृदय रोग आदि	-	5000/-
6.	मृत्यु होने पर (दुर्भाग्य पूर्ण रूप से घटना होने पर)	-	25000/-

वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 44.55 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 35.03 लाख व्यय की गई है जिसमें 8000 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.105 विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश प्रदाय: प्रदेश के 15 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया एवं भारिया के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग दिये जाने की योजना स्वीकृत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गणवेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये जाते हैं अतः स्वेटर, जूते मोजे हेतु 600/- प्रति विद्यार्थी एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश, स्वेटर, जूते मोजे, बैग के लिये 1100/- रूपये बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।

वर्ष 2017-18 में 140243 विद्यार्थियों को लाभांवित कर राशि रूपये 841.47 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 855.00 लाख प्रावधान

के विरूद्ध राशि रूपये 261.81 लाख व्यय किये गये। जिससे 2.20 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया।

8.106 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण: विभाग द्वारा संचालित 786 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रायोगिक सामग्री की व्यवस्था की जाती है, ताकि अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं इंजीनियरिंग/मेडिकल में सफलता प्राप्त कर सके। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक राशि रूपये 360.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 252.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 786 संस्थाओं को लाभांवित किया गया।

8.107 विज्ञान एवं सामूहिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना : कक्षा 10वीं उत्तीर्ण जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर 2000/- रूपये प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बी.एस.सी भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान में प्रवेश लेने पर 3000/- रूपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक राशि रूपये 400.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 135.34 लाख व्यय की जाकर 25000 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.108 आवास भत्ता सहायता योजना /छात्रगृह योजना : योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर से शिक्षा निरंतर रखने के लिए संभाग स्तर पर रू .2000/- प्रति विद्यार्थी तथा जिला स्तर पर प्रति विद्यार्थी रू .1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुखयालय पर रू .1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि प्रदान की जाती है । वर्ष 2017-18 में 42420 विद्यार्थियों को लाभांवित कर राशि रूपये 9476.07 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 6100.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 4100.82 लाख व्यय किये जाकर 43905 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है।

8.109 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना - राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया हैं। इस योजनांतर्गत विभिन्न स्तरो पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है -:

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 40000.00
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 60000.00
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रू. 50000.00

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए - (अभिभावकों की आय राशि रूपये 8.00 लाख अधिक न हो) तथा दूसरी बार उत्तीर्ण होने पर 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 20000.00
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 30000.00
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रू. 25000.00

वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर, 2018 तक 424 विद्यार्थियों को लाभांवित कर राशि रूपये 84.80 लाख व्यय किये गये।

8.110 अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग -:

- अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी संघ लोकसेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिए निजी कोचिंग योजना स्वीकृत की गई है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों को उम्र योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 61 अभ्यार्थियों को लाभांवित कर राशि रूपये 109.19 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर, 2018 तक 97 अभ्यार्थियों को लाभांवित कर राशि रूपये 71.00 लाख व्यय किये गये।

विभाग द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य योजनाऐं भी संचालित की जाती हैं- जैसे अनुसूचित जनजाति प्रतिभा योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, स्टेलाईट के माध्यम से शिक्षा योजना, प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र/छात्राओं के लिये

नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन एवं गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आदिवासी प्रतिनिधियों के लिये विकास दर्शन योजना आदि।

8.111 पिछड़ा वर्ग कल्याण : राज्य में वर्तमान में 93 जाति /उपजाति /वर्ग समूहोंको पिछडी जातियों के रूप में शासन द्वारा मान्य किया गया है। इन जातियों के शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार मूलक प्रशिक्षण एंव सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्येश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित कर लाभान्वित किया जा रहा है। योजनायें निम्नानुसार हैं :

8.112 राज्य छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति पिछडा वर्ग के उन विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर विद्याध्यन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं या दस एकड से अधिक कृषि भूमि धारक हैं। छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु॰ 20.00	रु॰ 30.00
9 एंव 10	रु॰ 30.00	रु॰ 40.00

वर्ष 2017-18 में कुल राशि रुपये 161.00 करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिसके विरुद्ध कक्षा 6वीं से 12वीं के 33.84 लाख विद्यार्थियों को राशि रु॰ 138.01 करोड़ की राज्य तथा कक्षा 11वीं एंव 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु॰ 166.27 करोड़ का प्रावधान किया जाकर राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।

8.113 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछडा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नात्कोत्त्र तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरो पर प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की पात्रता उन विद्यार्थियों को है। जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख से कम हो। वर्ष 2017-18 में 4.5 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 573.96 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 661.75 करोड़ का बजट प्रावधान किया जाकर 5 लाख विद्यार्थियों को लाभांन्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 4.60 लाख विद्यार्थियों के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं । 56416 विद्यार्थियों हेतु कुल राशि रू 115.04 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

8.114 राज्य स्तरीय रोजगार एंव प्रशिक्षण केन्द्र (पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछडे वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक

सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रू. प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति एंव निशुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 105.89 लाख के आवंटन विरूद्ध केन्द्र द्वारा राशि रू. 81.53 लाख व्यय किये गये है तथा कुल 123 प्रशिक्षणार्थी लाभांवित हुये।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 128.19 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2018 तक रु. 60.00 लाख व्यय किये गये। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 125, मुख्य परीक्षा हेतु 39 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। 15 प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं 4 प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफल घोषित हुए ।

8.115 मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग के व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार योजना : पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों में से पी.ई.टी./पी.पी.टी./एम.सी.ए. की परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 1 लाख, व्दितीय स्थान पाने वाले को रूपये 50 हजार एवं तृतीय स्थान पाने वाले को रूपये 25 हजार की राशि पुरस्कार में दिये जाने की व्यवस्था है।

8.116 राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन : योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि का विवरण **तालिका 8.15** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.15
प्रोत्साहन राशि

विवरण	**स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये में**	
	संघ लोक सेवा आयोग	**राज्य लोक सेवा आयोग**
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योग	**100000**	**50000**

वर्ष 2017-18 में 914 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर राशि रू. 147.40 लाख की राशि व्यय की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि 160.00 लाख का

प्रावधान किया जाकर दिसम्बर 2018 तक 464 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीक़त की जाकर राशि रूपये 78.05 लाख व्यय किया गया है ।

8.117 पिछडा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति : यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनान्तर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 5 हजार, 12 वी के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार एंव प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है । वर्ष 2017-18 में राशि रू. 16.00 लाख प्रावधान विरूद्ध 15.30 लाख व्यय कर 204 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16 लाख का प्रावधान किया जाकर 208 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.118 विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : चयनित पिछडा वर्ग के विदयार्थियों को विदेशों स्नात्तकोत्तर पाठयक्रमों, शोध उपाधि एवं शोध (पी.एच.डी.) उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभन्वित करने का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 502.00 लाख प्रावधान विरूद्ध 22 विद्यार्थियों पर 485.29 लाख व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 550.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 587.07 लाख व्यय किये जाकर 26 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.119 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : प्रदेश में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वराजगार के रूप में कृषि उद्योग व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है । वर्ष 2017-18 में कुल राशि रू. 2800.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध राशि रु. 2758.89 लाख व्यय की जाकर 2354 हितग्राहियों को अनुदान राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रु. 3640.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध 1916.48 लाख की राशि आंवटित कर दिसम्बर 2018 तक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 1465 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया है ।

8.120 पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गांरटी योजना) : इस योजना के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 20.00 करोड़ प्रावधान विरूद्ध 8225 अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 69.03 करोड़ का प्रावधान किया गया। जिसके विरूद्ध 20,060

अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दिसम्बर, 2018 तक राशि रूपये 33.31 करोड़ व्यय किये गये है ।

8.121 राम जी महाजन स्मृति पुरस्कार : योजना में प्रतिवर्ष पिछडे वर्ग उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछडे वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरूष सम्मिलित होते है प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ती से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है । वर्ष 2016-17 में 15 (8 पुरूष एवं 7महिला) समाज सेवियों को पुरूस्कृत किया गया । वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 23 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

8.122 छात्रगृह योजना : विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हो के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत 2 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली पानी इत्यादि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र 1000/- की दर से निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 72.44 लाख की राशि व्यय की गई है । तथा 703 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 100.80 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 924 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाकर राशि रूपये 29.43 लाख व्यय की गई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

8.123 पिछडा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास निर्माण : केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है ।

वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 470.00 लाख का प्रावधान किया गया था । जिसके विरूद्ध रूपये 183 लाख की राशि निर्माण एजेन्सी को हस्तांतरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 570.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2018 राशि रूपये 351.83 लाख लोकनिर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तातंरित की गई है ।

8.124 पिछडा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण : प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र योजनान्तर्गत प्रदेश

के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :**
  अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ठ और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ्म की है जिसमें (1) शहीद असफाक उल्लाह खॉ पुरस्कार (2) शहीद हमीद खां पुरस्कार (3) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार। प्रत्येक पुरस्कार रूपये 1 लाख का है। वित्तिय वर्ष 2018-19 में 51.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना) -**अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 4.00 करोड़ की राशि का व्यय किया जाकर 1595 अभ्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.00 करोड़ का प्रावधान किया जाकर 1446अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दिसम्बर, 2018 तक राशि रूपये 3.5 करोड़ व्यय किये गये है ।

- **भोपाल में हज हाउस का निर्माण -** भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस का निर्माण कराया गया है । वर्ष 2017 की हज यात्रा नवनिर्मित हज हाउस से सम्पन्न की गई है । जिसमें 3742 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया। मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40.00 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध 40.00 लाख की राशि व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 2018-19 में 45.00 लाख का प्रावधान किया जाकर दिसम्बर, 2018 तक राशि रू. 33.75 लाख व्यय की गई है । वर्ष 2018 में कुल 4777 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया है ।

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम -** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रू 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2018 तक राशि रू 23.31 लाख का व्यय किया गया है ।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाऐं

8.125 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति : भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी एवं जैन) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ की गई है इस योजना मे अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ।

योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 8433 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 2686 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

8.126 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल 29406 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 28177 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया।

8.127 प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति : भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक न हो । वर्ष 2017-18 में कुल 113783 विद्यार्थियों को योजनांतर्गत लाभांवित किया गया। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 118772 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया।

सामाजिक न्याय

8.128 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : प्रदेश में वर्ष 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत जो म.प्र. का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध,18 वर्ष से 39 वर्ष की आयु की विधवा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों,18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलायें, जो

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो,वर्ष 6 से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के नि:शक्त व्यक्ति जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लाभांवित होंगे। उक्त को दी जाने वाली पेंशन दिनांक 1 सितंबर 2016 से **'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'** के नाम से दी जा रही है। 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंत:वासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहे हो उन्हें इस योजनान्तर्गत एक अप्रेल 2019 से योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि रूपये 600 प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	48875.00	43466.87	6,50,138
2018-19	50201.00	42881.71 (फरवरी 19 तक)	9,93,939

8.129 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रदेश में अप्रैल, 2019से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के नि:शक्तजनो को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है । दिनांक 1 अप्रेल 2019 से राज्य सरकार द्वारा रूपये 600/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	6940.00	5243.27	1,16,724
2018-19	7620.40	4130.57 (फरवरी 19 तक)	1,17,663

8.130 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है । योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष से 79 वर्ष के हितग्राहियो को राशि रूपये 500/- मासिक पेंशन देने का प्रदाय की जा रही है । दिनांक 1 अप्रेल 2019 से राज्य सरकार द्वारा रूपये 600/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	54159.70	50573.00	18,72,889
2018-19	57732.05	51852.16 (फरवरी 19 तक)	19,42,317

8.131 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना : प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ इस योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पैंशन भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 1 अप्रेल 2019 से राज्य सरकार द्वारा रूपये 600/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	40170.00	37865.56	10,20,034
2018-19	41885.10	34664.25 (फरवरी 19 तक)	10,12,824

8.132 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : प्रदेश में दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/- की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	8005.00	7763.66	38,818
2018-19	8005.00	4957.48 (फरवरी 19 तक)	24,787

8.133 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब,जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु **"मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"** 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

नवम्बर 2016 से योजनान्तर्गत निम्न व्यवस्था प्रभावशील है :-

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एंव गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17000 की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही कन्या को उपलब्ध कराने का प्रावधान था। दिनांक 18 दिसंबर 2018 से इस राशि को बढाकर रूपये 51,000/- की गई है ।
- विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/- (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।)
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000 ।
- दिनांक 18 दिसंबर 2018 से इस योजनांतगर्त राशि बढाकर रूपये 51,000/- की गई है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	15000.00	9644.88	34,446
2018-19	15000.00	13409.75 (फरवरी 19 तक)	47,027

8.134 मुख्यमंत्री निकाह योजना : वर्ष 2012 से प्रारंभ इस योजना में गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा /परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये 25,000/- प्रदान की जाती थी । दिनांक 18 दिसंबर 2018 से इस योजनांतगर्त राशि बढाकर रूपये 51,000/- की गई है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	1000.00	470.75	1681
2018-19	900.00	690.53 (फरवरी 19 तक)	2137

8.135 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : यह योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारभं की गई है। 1 अप्रैल 2019 से योजनांतर्गत हितग्राहियों को रूपये 600/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नि में से किसी भी

एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2017-18	2500.00	2378.23	47,289
2018-19	2500.00	2173.20 (फरवरी 19 तक)	53,548

8.136 बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों एवं व्यक्ति को आर्थिक सहायता : मध्यप्रदेश के सभी 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्त व्यक्ति को 500/- (रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है । योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.06.2009 से प्रारंभ की गई है। फरवरी 2019 तक 73969 हितग्राही लाभान्वित हुए।

8.137 नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : योजना में दम्पत्ति में कोई एक के नि: शक्त होने पर रूपये 1.00 लाख एवं दोनों नि:शक्त होने पर रूपये 2.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है । पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि नि:शक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रू. 51000/- अतिरिक्त सहायता/सामग्री दिये जाने के प्रावधान भी है। नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 18-08-2008 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2018-19 जनवरी, तक 946 हितगाही लाभान्वित हुए।

नगरीय विकास

8.138 प्रधानमंत्री आवास योजना : भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक सभी 378 निकायों में परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है । 6,56,958 आवासीय इकाईयों और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । जिनमें से 1.45 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है । योजना अवधि में कुल 10 लाख आवासीय इकाईयां बनाया जाना लक्षित है ।

8.139 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) : भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के कुल 34 शहरों (33 शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं औंकारेश्वर पर्यटन शहर) में अधोसंरचना के विकास के लिए राशि रू. 6459.78 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

वर्तमान में भारत सरकार से प्रथम एवं द्वित्तीय किस्त कुल राशि रू 1470.58 करोड़ प्राप्त हो चुकी है । जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है । परियोजना को मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश भारत में तृतीय स्थान पर है ।

8.140 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):- सभी नगरीय निकायों को खुले में शोच से मुक्त करने हेतु 5 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। राज्य स्तर पर सभी नगरीय निकायों को समेकित कर 26 कलस्टर बना कर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है । स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश के 4043 शहरों में नगर पालिका निगम इंदौर प्रथम स्थान पर एवं नगर पालिक निगम भोपाल राज्य को राजधानियों में प्रथम स्थान पर रहा।

8.141 स्मार्ट सिटी मिशन :- इस योजना के तहत 111 प्रोजेक्ट लागत रू 2175.73 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है । 224 प्रोजेक्ट लागत रू 8494.98 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके है। 68 प्रोजेक्ट लागत रुपये 7664.02 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है । 9 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रुपये 541.54 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। 126 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रुपये 4412.9 करोड़ की डीपीआर बनाए जाने की प्रक्रिया में है । भारत सरकार के Digital Payment Award 2018 के प्रथम चरण मे जारी परिणाम में देश के प्रथम 5 शहरों में प्रदेश के 4 शहर (उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर) को स्थान प्राप्त हुआ है । भारत सरकार द्वारा जारी देश की समस्त स्मार्ट सिटी की रैंकिग में भोपाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ।

8.142 मुख्यमंत्री कृषक उद्धमी योजना :- यह योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई है । योजना अंतर्गत केवल कृषक पुत्री/पुत्र को नवीन उद्धमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । उद्धम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 50,000 से अधिक 2.00 करोड़ रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधन किया गया है । परियोजना लागत का 15-20 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्धमी हेतु 06 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षो तक (अधिकतम रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा ।

8.143 दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्टीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) :- यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिए 55 शहरों में अक्टूबर 2013 से लागू की गई है । भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से इसका संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत बेघर नागरिकों को आश्रय, आवश्यक सेवाएं एवं सामजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करते हुए, समुचित स्थानों पर हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में जनगणना 2011 के अनुसार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर एवं सभी जिला मुख्यालय, शहर (जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है वह भी शामिल है)। द्वितीय चरण वर्ष 2017-18 से 50000 से अधिक जनसंख्या वाले 15 निकाय एवं तृतीय चरण वर्ष 2018-19 से 36000 से अधिक जनसंख्या वाले केवल 10 निकाय शामिल है।

योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय :

वर्ष	प्राप्त आवंटन			व्यय
	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना की राशि का आवंटन	2654.22	884.74	3538.96	-
2104-15	3205.22	1068.41	4273.63	2425.02
2015-16	1953.13	651.05	2604.18	5325.91
2016-17	3379.06	2254.66	5631.72	5463.95
2017-18	4175.36	2783.57	6958.94	5875.09
2018-19	1366.00	910.00	2276.00	4271.49
योग	16732.99	88552.43	25283.43	23361.46

8.144 अटल मिशन फार रिज्यूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT):-

- इस योजना की शुरूआत 25 जून 2015 को भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 शहर एवं ओंकारेश्वर पर्यटक शहर को सम्मिलित किया गया है।
- योजना के कुछ हिस्सों में भारत शासन का अंश 50 प्रतिशत एंव कुछ हिस्सों में 40 प्रतिशत रहता है।

- योजना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरो के निकाय द्वारा 17 प्रतिशत एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में निकाय द्वारा 10 प्रतिशत राशि का अंशदान दिया जाता है।
- इस योजनांतर्गत मुख्य रूप से जल प्रदाय, सीवरेज, वर्षाजल निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं उघान तथा खेल के मैदानों की विकास की योजना है।
- भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की राशि रू. 6459.78 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है । मार्च 2020 तक योजना पूर्ण कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
- वर्तमान स्थिति तक भारत सरकार से प्रथम एवं द्वितीय किश्त कुल 60 प्रतिशत राशि रू. 1470.58 करोड़ प्राप्त हो चुकी है ।
- अमृत योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश भारत में तृतीय स्थान पर है ।

8.145 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना :-

- इस योजना के द्वितीय चरण की मंत्री परिषद आदेश दिनांक 20.09.2016 से राशि रूपये 1800 करोड़ की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश भारत में तृतीय स्थान पर है ।
- रूपये 1800 करोड़ में से रूपये 360 करोड़ (20 प्रतिशत) अनुदान एवं 1440 करोड़ (80 प्रितशत) ऋण है ।
- 378 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास योजना के कार्यो की सैध्दांतिक स्वीकृत जारी की गई है, जिसमें 367 नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति राशिरू 1263.94 करोड़ की जारी गई है ।
- वर्तमान तक नगरीय निकायों को निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:- (करोड़ में)

क्र.	विवरण	कुल प्रावधानित राशि	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	नवगठित नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास	150.00	82.94	67.06
2	अधोसंरचना विकास संबंधी राज्य सरकार की घोषणाएं	400.00	399.07	0.93
3	योजना के प्रथम चरण में शेष एवं अन्य शहरों में अधोसंरचना विकास	950.00	950.00	0.00
4	राज्य स्तरीय स्मार्ट सिटी अधोसंरचना विकास	300.00	300.00	0.00
	योग	1800.00	1732.01	67.99

8.146 अन्य योजनाएं :-

- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
- मुख्यमंत्री कृषक उघमी योजना
- मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा एवं ई लोडर योजना
- हाथठेला एवं सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना
- केश ह्रिपी कल्याण योजना
- शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना

9

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं : मध्यप्रदेश राज्य में 11 केन्द्रीय जेलें, 41 जिला जेलें, 73 सब जेलें एवं 05 खुली जेल कुल 130 जेलें संचालित है। इन जेलों की कुल अधिकृत बंदी आवास क्षमता 28561 बंदियों को रखे जाने की है, जबकि दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 की स्थिति में 43106 बंदी परिरुद्ध हैं। इस प्रकार प्रदेश की जेलों में लगभग 50.93 प्रतिशत अधिक बंदी परिरूद्ध है ।

विभागीय उपलब्धियां:-

9.1 वर्ष 2017-18 में किए जाने वाले सुरक्षा निर्माण कार्य:- जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने, बंदियों की आवास क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष 2017-18 में जेलों में 36 नए बैरक, सुरक्षा गार्डरूम, सी.सी.टी.वी. कंट्रोल रूम, वॉच टावर एवं केन्द्रीय जेलों में दोहरी दीवार निर्मित करना प्रस्तावित है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में राशि रू. 20.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत कार्य प्रगति पर रहे ।

9.2 नई जेलों का निर्माण :- प्रदेश में 41 पुरानी जेलों में से शहर की घनी आबादी में आ चुकी 17 जेलों को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के माध्यम से पुनर्घनत्वीकरण की योजना में शहरों के बाहर सुरक्षित एवं आधुनिक मापदण्डों के अनुसार बनाया जाना प्रस्तावित है।

9.3 खुली जेल कॉलोनी:- बंदियों में अनुशासन तथा उनमें जवाबदार नागरिक की भावना विकसित करने के लिए होशंगाबाद में खुली जेल कॉलोनी का निर्माण कर कुल 25 बंदियों की अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था का यह प्रयोग अत्यंत ही सफल साबित होने पर सतना, केन्द्रीय जेल सागर, जिला जेल इंदौर एंव केन्द्रीय जेल जबलपुर में खुली जेलें प्रांरभ की गई हैं तथा केन्द्रीय जेल भोपाल में 12 बंदी की खुली जेल प्रांरभ किया जाना प्रस्तावित है ।

9.4 मानव संसाधन पुनर्संरचना रिपोर्ट:- जेल विभाग में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के मानव संसाधन का मॉडल प्रिजन मैन्युअल तथा उच्च स्तरीय समितियों की अनुशंसाओं / उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में विश्लेषण कर राज्य शासन को जुलाई 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिस पर शासन स्तर से कार्यवाही प्रगति पर है ।

9.5 बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाना:- प्रदेश की समस्त जेलों को उनके संबंधित न्यायालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोडा जा रहा है । शीघ्र ही सभी जेलों की बंदियों की पेशी एंव सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी । इससे बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित होने के अतिरिक्त विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सकेगा ।

पुलिस विभाग :

9.6 सायबर अपराध अन्वेषण योजना आई.डी.क्रमांक 4065 (एस.एस.) : सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास के साथ-साथ कम्प्यूटर तथा सूचना तंत्रों पर आधारित अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है इन अपराधों से निपटनें हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 तथा संशोधित कानून 2008 लागू हो गया है। वर्ष 2012 में राज्य सायबर पुलिस के अंतर्गत सायबर एंव उच्च तकनीकि अपराध पुलिस थानें का गठन किया गया है जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 80.00 लाख का बजट प्रावधान हुआ है । राज्य सायबर पुलिस को ई-मेल आईडी हैकिंग इंटरनेट बैंकिग फ्रॉड जॉब फ्रॉड अश्लील फेसबुक /आरकुट प्रोफाईल मानहानि अश्लील एसएमएस मोबाईल चोरी डिफेमिंग संबधी शिकायतें प्राप्त होती हैं । पंजीबद्ध सायबर अपराधों की संख्या में वर्ष 2006 एंव 2007 में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर था ।

9.7 मुख्यमंत्री पुलिस आवासीय योजना : कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिये पुलिस की आवासीय योजना के लिये प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार वर्ष 2018-19 में रु. 360.62 करोड़ की राशि प्रदान की गई । प्रथम चरण के 5000 आवास निर्मित हो चुके हैं ।

9.8 क्षमता निर्माण एंव दक्षता विकास : पुलिस विभाग (कल्याण शाखा) द्वारा दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें भोपाल एंव इंदौर में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्येश्य पुलिस कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों को गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे दक्ष एंव कार्यकुशलता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये तकनीकी एंव गैर तकनीकी व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार / नौकरी प्रतिष्ठानों के लिये शिक्षित दक्ष /कुशल कर्मी तैयार करना है । क्षमता निर्माण दक्षता विकास लागत राशि रु. 998.45 लाख की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ।

9.9 स्ट्रेथिंग होम लैण्ड सिक्यूरिटी : वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक अपराध सामाजिक अपराधोंके ट्रेंड में काफी परिवर्तन आने के कारण आंतरिक सुरक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। संगठित अपराध जघन्य मामले (वामपंथी /साम्प्रदायिक गतिविधियां) मादक पदार्थों की तस्करी एंव वन्य जीव अपराध तथा कानून-व्यवस्था अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ करने हेतु विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष शाखा एंव नवीन विशिष्ट इकाइयों के लिये इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यावसायिकता एंव दक्षता के उन्नयन हेतु होमलेण्ड सिक्यूरिटी योजना कुल लागत राशि 13629.00 लाख रुपये प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 21.00 करोड़ राशि का प्रावधान हुआ है ।

9.10 100 नंबर पुलिस सहायता सेवा व्यवस्था : डायल-100 योजना के अंतर्गत भोपाल में पुलिस दूरसंचार भवन में 110 सीट का एक अत्याधुनिक राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है । इसमें आधुनिक तकनीकी जैसे **CTI, CAD, GIS, VOICE, LOGGER** आदि स्थापित की गई है । प्रदेश में 1000 सुसज्जित **First Responce Vehicle (FRV)** तैनात किये गये है जो 24 घंटे डयूटी पर तैनात रहतें हैं तथा आवश्यकता पडनें पर 5 मिनट में पुलिस सहायता उपलब्ध करातें हैं । 31 अगस्त 2017 तक 32.64 लाख पीडितों एंव जरूरतमंदों को पुलिस सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 114.17 करोड़ का आवंटन दिया गया ।

9.11 राजमार्गों की सुरक्षा / संरक्षा : माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन की मंशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य के महत्वपूर्ण राजकीय मार्गों पर हाईवे सुरक्षा एंव सहायता केन्द्र बनाना प्रस्तावित है जिससे हाईवे पर लूट डकैती दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की असुरक्षा आदि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

9.12 05 बडे शहरों में यातायात प्रबंधन : प्रदेश के 05 बडे शहरों इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर उज्जैन में यातायात व्यवस्था सुदृढीकृत करने हेतु चिन्हित चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाये जाने की योजना प्रस्तावित है एंव योजनांतर्गत 11 यातायात थाने एंव 04 ट्रॉफिक मैनेजमेंट डाटाबेस सेंटर के भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । वर्ष 2018-19 में 1.50 करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ है ।

9.13 फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य /क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन एंव नवीन क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना : वर्तमान में फोरेंसिक प्रयोगशालायें सागर भोपाल इंदौर एंव ग्वालियर में कार्यरत हैं । माह जनवरी 2017

से क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जबलपुर ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 2.23 करोड़ की राशि आंवटित की गई ।

9.14 नारकोटिक्स शाखा का पुर्नगठन : प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम करने नशा एंव नशे से व्याप्त सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागृति लाने तथा नशे के आदी व्यक्तियों का पुर्नवास करने हेतु नारकोटिक्स शाखा के पुर्नगठन की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारकोटिक्स शाखा हेतु संचालनालय निर्माण कार्य इंदौर मंदसौर नीमच जिलों में प्रगति पर है ।

9.15 ग्रंथालयों का पुर्नगठन एंव सुदृढीकरण : वर्तमान में पुलिस को अपराध नियंत्रण के साथ ही आंतकवाद तथा नक्सलवाद जैसी ज्वलंत समस्याओं से जूझना पड रहा है इससे निपटने के लिये पुलिसकर्मियों को शारीरिक एंव मानसिक रूप से मजबूत होना अत्यावश्यक है। पुलिस ग्रंथालयों के माध्यम से अपराध के नये तरीके आपराधिक अनुसंधान एंव सहविषयों पर संबंधित साहित्य का अध्ययन कर पुलिस अभ्यर्थियों में कौशल आत्मविश्वास एंव आत्मबल में वृद्धि होती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 2.21 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है । उक्त व्यय राशि से ग्रंथालय भवन का विस्तार एंव ग्रंथालयिन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुस्तकें आादि क्रय किया गया है । योजना की संपूर्ण राशि शासन से आंवटित की गई है ।

9.16 समेकित पुलिस प्रशिक्षण काम्प्लेक्स का निर्माण : मध्यप्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं की काफी कमी होने व प्रशिक्षण स्तर में सुधार हेतु इन्ट्रीगेटिव पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौंरी भोपाल में बनाने का निर्णय वर्ष 2008 में लिया गया था । जिसका उदघाटन 10 जून 2013 को किया गया था । अकादमी में विभाग के सभी प्रशिक्षण संबंधी कोर्स कराये जाने व संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने के उद्येश्य से नाम परिवर्तन कर **मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी** रखा गया । वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 5.30 करोड़ का बजट प्रावधान शासन द्वारा किया गया है । योजना की संपूर्ण राशि आंवटित की गई है ।

9.17 महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन : प्रदेश स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हुई शर्मनाक घटनाओंक के परिप्रेक्ष्य में इस मुददे पर समाज की संवेदनशीलता के दृष्टिगत इसकी रोकथाम एंव प्रभावी नियंत्रण हेतु महिला अपराध शाखा का गठन पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया गया है एंव राज्य योजना आयोग द्वारा **महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन** परियोजना स्वीकृत की गई है । इस नवीन परियोजना के माध्यम से महिलाओं के साथ बलात्कार

अपहरण छेडछाड एंव मानव तस्करी के अपराधों का अन्वेषण संवेदनशीलतापूर्ण एंव त्वरित निराकरण हेतु वरिष्ट स्तर पर पर्यवेक्षण अनुश्रवण एंव अध्ययन तथा समीक्षा हेतु पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जोन का गठन किया जा रहा है। महिला अपराध शाखा का गठन अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जोन भोपाल इंदौर ग्वालियर एंव जबलपुर के लिये कार्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रक्रियाशील है । जिसके लिये प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक योजना की संपूर्ण राशि रुपये 9.97 करोड़ आंवटित हो चुकी है ।

9.18 महिला पुलिस बल हेतु पुलिस थानों में अधोसंरचना : प्रदेश के 676 थानों में महिलाओं में महिला पुलिस कर्मियों एंव महिला फरियादियों के लिये पृथक कक्ष एंव प्रसाधन कक्ष की विस्तृत कार्ययोजना लागत राशि रु. 40.90 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2018-19 हेतु जारी की गई है।

10

सामाजिक-आर्थिक विकास: चुनौतियां

प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य विकास के विभिन्न सूचकांकों का मूल्यांकन करना है एवं प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि की स्थिति का आकलन करके नीतियों एवं कार्यक्रमों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिष्कृत करना है। प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास की समीक्षा करने पर स्थिति स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश मानव विकास के मानकों पर देश एवं समान परिस्थितियों वाले राज्यों की तुलना में पिछड़ रहा है। उन सभी कारणों एवं परिस्थितियों का समग्रता में विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक आर्थिक विकास के मापदंडों पर अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं कर पा रहा है। सभी बाधाओं एवं परिस्थितियों का समग्रता में विश्लेषण करके त्वरित गति से परिणाम प्राप्त करने के लिए नवीन रणनीति बनाने एवं चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। प्रदेश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का क्षेत्रक(Sector) वार विवरण निम्नानुसार है

10.1 प्रति व्यक्ति आय : मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय देश एवं समान परिस्थिति वाले राज्यों के तुलना में कम है मध्य प्रदेश राज्य को कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है।

मध्य प्रदेश एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मध्यप्रदेश	44931	52129	56069	62616	74787	82941	90998
भारत	70983	79118	86647	94797	104659	114958	126699
म.प्र. की आय का भारत से प्रतिशत	63.3	65.9	64.7	66.1	71.5	72.1	71.8

वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रचलित मूल्य पर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹90998/- थी, जो देश की प्रति व्यक्ति आय ₹126699 का मात्र 71.8 प्रतिशत है। देश के प्रमुख राज्यों में

बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों की प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश से अधिक है।

10.2 ग़रीबी (Poverty) : देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात (Head Count Ratio) 21.92 प्रतिशत तथा प्रदेश में 31.65 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर से जुड़े हुए कुछ प्रमुख एवं चिंताजनक तथ्य निम्नानुसार है :-

- देश में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों को छोड़कर मध्यप्रदेश में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनकी संख्या 2.34 करोड़ है।
- केवल 30% लोग खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11.4 % एवं शहरी क्षेत्रों में 51%, प्रदेश में सिर्फ 23% घरों में नल द्वारा पानी आता है
- राष्ट्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट वर्क 2018-19 के अनुसार मध्यप्रदेश में कृषि मजदूरी की दर ₹210, देश के अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम है।
- मनरेगा में 68.25 लाख परिवार दर्ज है, जो व्यापक गरीबी का सूचक है।

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में गरीबी के स्तर की स्थिति 29 राज्यों में से 27 वें स्थान पर है। प्रदेश में गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख चुनौती है।

10.3 कृषि क्षेत्रक (Agriculture Sector) : मध्यप्रदेश में विगत 5 वर्षों में फसलों से प्राप्त होने वाला मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है-
-

कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	16-17	2017-18
भारत	5.4	-3.7	-2.9	5.0	3.8
मध्य प्रदेश	-1.9	1.3	-4.1	32.7	0.1

आधार वर्ष 2011-12 पर आंकलित

उपरोक्त तालिका में देश एवं प्रदेश की कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर का उतार-चढ़ाव सीमित है वहीं मध्यप्रदेश में वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा है। उतार-चढ़ाव का प्रमुख कारण कृषि की मानसून पर निर्भरता है। मानसून पर निर्भरता के कारण कृषकों द्वारा खेती में किए गए निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

- 28 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी कृषि गणना 2015-16 के अनुसार मध्यप्रदेश में 2011 से 15 के बीच किसानों की संख्या में 11.31 लाख वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में खेती का रकबा 1.66 लाख हेक्टर कम हुआ है
- कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में सीमांत किसान 48.33 प्रतिशत, छोटे किसान 27.74 प्रतिशत एवं मझोले किसान 24.81 प्रतिशत है। की संख्या बढ़कर 75.57 प्रतिशत हो गई है।
- सीमांत किसानों की औसत जोत का आकार 0.49 हेक्टेयर है।

प्रदेश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अनुपात आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र की मानसून पर निर्भरता, छोटी जोतों के कारण बढ़ती लागत, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति कृषि से कम आय प्रदेश में कृषि की चिंताजनक स्थिति की ओर इंगित करते हैं ।

10.4 स्वास्थ्य : सतत विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विश्लेषण के अनुसार "अच्छा स्वास्थ्य एवं ख़ुशहाली" के सूचकांक में देश के 29 राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति 25 वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख सूचकांकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है जिनका विवरण निम्नानुसार है--

- राज्य में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर (IMR)47 है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हज़ार है।
- प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर (MMR) प्रति एक लाख प्रसव पर 173 है, जो राष्ट्रीय दर 130, एवं अधिकतर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।
- प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर (U5MR) 77 है(वर्ष 2011), जोकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में, असम को छोड़कर, सर्वाधिक है।
- प्रदेश में 52.4 प्रतिशत महिलाओं ख़ून की कमी से पीड़ित।(NFHS-4)
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के पद बड़ी मात्रा में खाली है।

प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है।

10.5 पोषण: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के 42% बच्चे अविकसित (Stunted), 25.8% कमज़ोर (Wasted) एवं 42.8% बच्चे कम वजन (Under Weight) से पीड़ित है। बच्चों में कुपोषण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विश्लेषण के अनुसार भुखमरी (Hunger) के सूचकांक में देश के 29 राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति, केवल 2 राज्यों बिहार एवं झारखंड से बेहतर, 27 वें स्थान पर है। नीतिगत बदलाव, कार्यक्रम हस्तक्षेप एवं सामुदायिक भागीदारी से पोषण की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है।

10.6 शिक्षा : जनगणना 1991 के अनुसार देश एवं प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 52.2 एवं 44.7 था। जनगणना 2001 देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 64.8 एवं 63.7 प्रतिशत हो गयी। जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता कर्म से 73.0 एवं 69.3 प्रतिशत रही है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सूचकांकों पर मध्य प्रदेश की स्थिति निम्नानुसार है :-

- वर्ष 2015-16 की स्थिति में प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 78.9 प्रतिशत था जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 87.3 से बहुत कम है।
- प्रदेश के विभिन्न स्तरों के 150762 स्कूलों में से 71 प्रतिशत में बिजली नहीं
- कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा केवल 15.7 प्रतिशत स्कूलों में
- प्रदेश में 19,000 एक शिक्षिकीय स्कूल तथा 4451 स्कूलों में केवल एक कमरे का भवन
- वर्ष 2017-18 प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शाला त्यागने वाले बच्चों में बालकों का प्रतिशत 4.63, बालिकाओं का प्रतिशत 3.63 तथा कुल प्रतिशत 4.20 रहा।

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में 29 राज्यों में से प्रदेश का 23वाँ स्थान है, जो शिक्षा की चिंताजनक स्थिति की ओर इंगित करता है। राष्ट्रीय स्तर की बराबरी करने के लिए नीति एवं कार्यक्रम के स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	382
पुरूष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	943
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.7
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	32.6	25.5
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	31.2	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	38.6	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	3.0	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		**2018-19 (अ.)**	**2018-19 (अ.)**
प्रचलित भावों पर	रूपये	90998	126699
स्थिर (2011-12) भावों पर	रूपये	58706	92718

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
साक्षरता		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
कुल	प्रतिशत	69.3	73.0
पुरूष	प्रतिशत	78.7	80.9
स्त्री	प्रतिशत	59.2	64.6
जीवनांक		**सितंबर 2017**	**सितंबर 2017**
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	24.8	20.2
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	6.8	6.3
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	47	33
बैंकिंग		**मार्च 2017**	**मार्च, 2017**
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	8	10
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	40887	83593
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	24177	61685
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	59.13	73.79

(प्रा.) : प्रावधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित ।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या एवं 2011 की जनसंख्या का उपयोग किया गया है ।

खनिज
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2014-15	2015-16 (स.)	2016-17 (सं.)	2017-18 (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	876.00	1077.14	1050.13	1122.39
बाक्साईट	8.32	6.84	6.76	5.81
ताम्र अयस्क	23.79	25.36	24.15	23.39
आयरन ओर	41.93	24.47	17.72	26.79
मैंगनीज अयस्क	8.78	7.66	6.50	8.31
रॉक फास्फेट	0.79	0.66	1.49	1.13
हीरा (कैरेट में)	36107	36044	36491	39699
चूनापत्थर	395.30	394.30	361.64	427.44

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2014-15	2015-16	2016-17 (सं)	2017-18 (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1114782	1322549	1332789	1535234
बाक्साईट	5267	4794	5437	4548
ताम्र अयस्क	24808	33156	31283	35222
आयरन ओर	24647	14756	7673	12654
मैंगनीज अयस्क	52199	33349	45325	68404
रॉक फास्फेट	672	556	1290	989
हीरा (कैरेट में)	6135	6214	6395	4107
चूना पत्थर	70241	88681	84050	88200

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य

(रूपयों में)

खनिज	2014-15	2015-16	2016-17 (सं)	2017-18 (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1272	1227	1269	1367
बाक्साईट	633	700	803	782
ताम्र अयस्क	42317	41821	45878	46665
आयरन ओर	587	603	433	472
मैंगनीज अयस्क	5945	4349	6969	8228
रॉक फास्फेट	851	839	861	873
हीरा (कैरेट में)	16991	17241	17526	10346
चूनापत्थर	177	225	232	206

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

श्रम एवं रोजगार

रोजगार समंक

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीयत आवेदकों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज आवेदकों की संख्या		नौकरी दिलाये गये आवेदकों की संख्या		
			समस्त आवेदक (हजार में)	शिक्षित आवेदक (हजार में)	कुल (हजार में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जनजाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012	48	540	2069	1677	12	1058	1178
2013	48	424	2066	1751	06	242	276
2014	48	392	2004	1672	1.3	67	71
2015	48	423	1560	1377	0.334	88	10
2016	52	345	1411	1123	0.129	19	32
2017	52	1705	2385	2179	0.109	48	7
2018	52	747	2682	2434	0.054	33	0

स्त्रोत : आयुक्त, उद्योग विभाग मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
शासकीय विभाग (नियमित)	445849	457442	446762	447262	452439
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	61109	59587	63449	59634	56869
नगरीय स्थानीय निकाय	75134	75261	84079	85961	88367
ग्रामीण स्थानीय निकाय	168182	138785	141236	138855	130291
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1706	1746	1739	1687	1657
विश्वविद्यालय	6916	6792	6872	6372	5936
योग	**758896**	**739613**	**744137**	**739771**	**735559**

स्त्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भूतल मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462004
फोन:-0755 - 2551395, फेक्स : 0755 -2551225
वेब: http : //www.des.mp.gov.in
ई-मेल : des@mp.gov.in